ISSN-0971-8397

योजना

जून 2012 | विकास को समर्पित मासिक | ₹ 10

स्त्री सशक्तीकरण

महिला तथा बाल विकास के प्रयास

महिला तथा बच्चों के विकास एवं कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं तथा कई नयी नीतिगत पहलें की हैं जिनमें महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तीकरण तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के उनके पहलुओं में बराबरी हासिल करने के लिए क़दम भी शामिल हैं। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला तथा बाल विकास योजनाओं का दायरा व कवरेज बढ़ता जा रहा है। मुख्य योजनाएं ये हैं:

- **एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) :** यह योजना 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के संपूर्ण विकास तथा गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं के समुचित पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा की 33 परियोजनाओं तथा 4,891 आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ 1975 में शुरू की गई थी। सरकार द्वारा संचयी रूप से 7,076 परियोजनाओं तथा 20,000 'ऑन डिमांड' आंगनवाड़ियों सहित 14 लाख आंगनवाड़ियों के अनुमोदन से अब यह सर्वव्यापी हो गई है। आईसीडीएस योजना को सर्वव्यापी बनाने के साथ सरकार ने अन्य कई क़दम उठाए हैं। इनमें मौजूदा कार्यक्रमों के वित्तीय मानकों में संशोधन, जिनमें पूरक पोषाहार कार्यक्रम (एसएनपी), पूरक पोषाहार के पौष्टिक तथा खाद्य मानकों का संशोधन तथा नये डब्ल्यूएचओ विकास मानकों को शुरू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने केंद्र और राज्यों के बीच लागत सहभागिता को 2009-10 में पूर्वोत्तर हेतु एसएनपी सहित सभी संघटकों के लिए 50:50 से 90:10 तथा बाक़ी सभी राज्यों के लिए एसएनपी हेतु 50:50 तथा अन्य संघटकों हेतु 90:10 के रूप में बदल दिया है। आईसीडीएस हेतु 2011-12 का वार्षिक योजना परिव्यय 14,048 करोड़ रुपये था जिसमें से दिसंबर 2011 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 10,750 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। दिसंबर 2011 तक 6,779 आईसीडीएस परियोजनाएं तथा 12.96 लाख कार्यरत थे।
- **किशोरियों की अधिकारिता हेतु राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी) :** यह योजना 19 नवंबर, 2010 को प्रारंभ की गई थी जिसका उद्देश्य 11-18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को उनकी पोषाहार तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाकर और विभिन्न कौशलों जैसे– गृह कौशल, जीवन कौशल तथा व्यावसायिक कौशल उन्नत करके उन्हें अधिकारिता दिलाना है। प्रारंभ में इसे प्रायोगिक तौर पर देशभर के चुनिंदा 200 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। आरजीएसईएजी को राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है। इसमें पोषण प्रावधान, जिसके लिए 50 प्रतिशत सहायता प्रदान की जा रही है, के अतिरिक्त सभी निविष्टियों के लिए केंद्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु आंगनवाड़ियां केंद्रबिंदु हैं। योजना के अंतर्गत 200 जिलों में लगभग 100 लाख किशोरियों के प्रतिवर्ष लाभान्वित होने की संभावना है। इन 200 जिलों में, आरजीएसईएजी के अंतर्गत किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) तथा किशोर लड़कियों हेतु पोषण कार्यक्रम (एनपीएजी) को मिला दिया गया है। चालू वर्ष में इस योजना के अंतर्गत 750 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
- **कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना :** यह योजना कामकाजी माताओं के 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों को शिशुगृह तथा विकास सेवाएं, यथा–पूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल जैसे टीकाकरण, पोलियो ड्रॉप्स, स्वास्थ्य जांच तथा मनोरंजन के द्वारा दैनिक देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। सुविधाएं प्राप्त करने के लिए माता-पिता दोनों की सम्मिलित आय 12,000 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में कार्यरत शिशुगृहों की संख्या 23,785 तथा लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या 5,94,625 है। 2011-12 के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय 85 करोड़ रुपये था।
- **एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (आईसीपीएस) :** केंद्र द्वारा प्रायोजित तथा राज्यों के माध्यम से कार्यान्वित यह योजना 2009-10 के दौरान शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य देश में बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु एक सुरक्षित तथा निरापद माहौल उपलब्ध कराना है। आईसीपीएस किसी असुरक्षित बच्चे को रोकथाम तथा सांविधिक देखभाल तथा पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराती है। लेकिन यह संभाव्य असुरक्षित परिवारों के बच्चों तथा जोखिम वाले परिवारों तक ही सीमित नहीं होगी बल्कि सामाजिक रूप से छूटे हुए समूहों जैसे–प्रवासी परिवार, अत्यधिक ग़रीबी में रह रहे परिवार, भेदभाव के शिकार अथवा उससे प्रभावित परिवार तथा अल्पसंख्यक परिवार, एचआईवी/एड्स द्वारा संक्रमित व प्रभावित बच्चों, अनाथों, नशे की लत वाले बच्चों, बाल भिखारी, तस्करी किए गए अथवा यौनशोषित बच्चों, बंदियों के बच्चों तथा गली के तथा कामकाजी बच्चों पर भी लागू होगी। जम्मू-कश्मीर के अतिरिक्त सभी राज्यों/संघशासित क्षेत्रों ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राज्य कार्यान्वयन योजनाएं और वित्तीय प्रस्तावों को तैयार करने के विभिन्न चरणों में हैं। राज्यों/संघशासित प्रदेशों को अनुदान उनके द्वारा सांविधिक निकायों तथा डिलीवरी ढांचों की स्थापना के साथ संबद्ध है। 2011-12 के संशोधित अनुमान के चरण में इस योजना के लिए निधियों का आवंटन 213.40 करोड़ रुपये था।
- **महिलाओं के लिए प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम सहायता (एसटीईपी) योजना :** यह योजना ग़रीब महिलाओं को कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्यपालन, हथकरघा, दस्तकारी, खादी तथा ग्रामीण उद्योगों, रेशम उत्पादन, सामाजिक वानिकी तथा बंजर भूमि विकास जैसे 10 पारंपरिक क्षेत्रों और खाद्य प्रसंस्करण और सेवाओं के दो नये क्षेत्रों का अद्यतन हुनर उपलब्ध कराती है ताकि उनकी उत्पादकता तथा आय सृजन में बढ़ोतरी हो सके। इस कार्यक्रम की पहुंच को और व्यापक बनाने और मजबूत करने के लिए योजना के कार्यान्वयन को नवंबर 2009 में संशोधित किया गया था। योजना का उद्देश्य स्थानीय रूप से उपयुक्त क्षेत्रों को प्रवेश कराना है। प्रत्येक योजना में लाभार्थियों की संख्या अब 200 से 10,000 के बीच हो सकती है तथा पांच वर्षों की अवधि तक प्रत्येक लाभार्थी के लिए वित्तपोषण की उच्चतम सीमा 16,000 रुपये होगी। आरंभ होने से अब तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 250 योजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई है। जनवरी 2011 से जनवरी 2012 तक 12 नयी परियोजनाएं स्वीकृत की गई जिनमें 14,225 लाभार्थी कवर हुए तथा एसटीईपी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 11.50 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई।

(शेषांश कवर III पर)

योजना

वर्ष : 56 • अंक : 6 • जून 2012 • ज्येष्ठ-आषाढ़, शक संवत 1934 • कुल पृष्ठ : 60

प्रधान संपादक
रीना सोनोवाल कौली

वरिष्ठ संपादक
राकेशरेणु

संपादक
रेमी कुमारी

संपादकीय कार्यालय

538, योजना भवन, संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
दूरभाष : 23717910, 23096738
टेलीफैक्स : 23359578
ई-मेल : exeed.yojana@gmail.com
yojanahindi@gmail.com
वेबसाइट : www.yojana.gov.in
www.publicationsdivision.nic.in
a) dpd@nic.in
b) dpd@hub.nic.in

संयुक्त निदेशक (उत्पादन)
वी.के. मीणा

व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन)
सूर्यकांत शर्मा

दूरभाष : 26100207, 26105590
फैक्स : 26175516
ई-मेल : pdjucir_jcm@yahoo.co.in

आवरण : **रूबी कुमारी**

इस अंक में

संपादकीय	–	5
बाल लिंगानुपात पर पुनर्विचार	मेरी ई. जॉन	7
कृषि क्षेत्र में महिलाएं	अमृत पटेल	11
सशक्तीकरण के 20 वर्ष	ममता शर्मा	15
भारतीय राज्यों में स्त्री सशक्तीकरण	अरुंधती चट्टोपाध्याय	19
स्वास्थ्य के मोर्चे पर लड़ती भारतीय स्त्री	ऋतु सारस्वत	23
निर्धन महिलाओं को स्वसहायता समूहों से जोड़ेगा आजीविका मिशन	–	25
प्रसंगवश : आमिर ने देश की अंतरात्मा को झकझोरा	–	27
संसद के 60 वर्ष : लोकतंत्र की निरंतरता का उत्सव	–	28
सशक्तीकरण की मौन क्रांति	मन्ना लाल मीणा	31
झरोखा जम्मू-कश्मीर का	–	35
स्त्री शक्ति - महिला सशक्तीकरण	रश्मि सिंह	39
सशक्तीकरण : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण	ममता मोहन	43
महिला सशक्तीकरण की नयी परिभाषा	अजय कुमार सिंह	47
अपराध एवं कानूनी संरक्षण	मनीष कुमार चौबे	51
स्त्री अधिकारिता और कानून	जी.आर.वर्मा	53
नये प्रकाशन : पत्रिकाओं से झांकती शोध की नयी परिपाटी	दिलीप खान	55

योजना **हिंदी के अतिरिक्त असमिया, बांग्ला, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, तमिल, उड़िया, पंजाबी, तेलुगु तथा उर्दू भाषाओं में भी प्रकाशित की जाती है। पत्रिका मंगवाने हेतु, नयी सदस्यता, नवीकरण, पुराने अंकों की प्राप्ति एवं एजेंसी आदि के लिए मनीआर्डर/डिमांड ड्राफ्ट/पोस्टल आर्डर 'महानिदेशक, प्रकाशन विभाग' के नाम से बनवा कर निम्न पते पर भेजें : व्यापार व्यवस्थापक (प्रसार एवं विज्ञापन), प्रकाशन विभाग, पूर्वी खंड IV, तल VII, आर.के.पुरम, नयी दिल्ली-66 दूरभाष** : 26100207, 26105590 तार : सूचनाप्रकाशन।

सदस्य बनने अथवा पत्रिका मंगाने के लिए आप हमारे निम्नलिखित बिक्री केंद्रों पर भी संपर्क कर सकते हैं : सूचना भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110003 (दूरभाष : 24367260, 5610), हाल सं. 196, पुराना सचिवालय, दिल्ली-110054 (दूरभाष : 23890205) * 701, सी- विंग, सातवीं मंजिल, केंद्रीय सदन, बेलापुर, नवी मुंबई-400614 (दूरभाष : 27570686) * 8, एसप्लानेड ईस्ट, कोलकाता-700069 (दूरभाष : 22488030) * 'ए' विंग, राजाजी भवन, बंसल नगर, चेन्नई-600090 (दूरभाष : 24917673) * प्रेस रोड नयी गवर्नमेंट प्रेस के निकट, तिरुवनंतपुरम-695001 (दूरभाष : 2330650) * ब्लॉक सं-4, पहला तल, गृहकल्प, एमजी रोड, नामपल्ली, हैदराबाद-500001 (दूरभाष : 24605383) * फर्स्ट फ्लोर, 'एफ' विंग, केंद्रीय सदन, कोरामंगला, बंगलुरु-560034 (दूरभाष : 25537244) * बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक भवन, अशोक राजपथ, पटना-800004 (दूरभाष : 2683407) * हॉल सं-1, दूसरा तल, केंद्रीय भवन, सेक्टर-H, अलीगंज, लखनऊ-226024 (दूरभाष : 2225455) * अंबिका कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर, पाल्दी, अहमदाबाद-380007 (दूरभाष : 26588669) * के.के.बी. रोड, नयी कॉलोनी, मकान संख्या-7, चेनीकुटी, गुवाहाटी-781003 (दूरभाष : 2665090)

चंदे की दरें : वार्षिक : ₹ 100 **द्विवार्षिक** : ₹ 180; **त्रैवार्षिक** : ₹ 250; **विदेशों में वार्षिक दरें : पड़ोसी देश:** ₹ 500; **यूरोपीय एवं अन्य देश** : ₹ 700।

योजना में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। ज़रूरी नहीं कि ये लेखक भारत सरकार के जिन मंत्रालयों, विभागों अथवा संगठनों से संबद्ध हैं, उनका भी यही दृष्टिकोण हो। पत्रिका में प्रकाशित विज्ञापनों की विषयवस्तु के लिए *योजना* उत्तरदायी नहीं है।

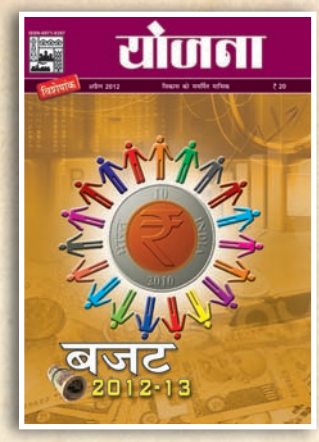

आपकी राय

पाठकों को अद्यतन करती है योजना

मैं जुलाई 2011 से *योजना* का पाठक हूं। *योजना* के प्रत्येक अंक में खास विषयों पर आलेख होते हैं जो संबंधित विषय के विशेषज्ञों द्वारा सरल शब्दों में लिखे होते हैं। पत्रिका के द्वारा मनोरंजन, व्यापार, संचार आदि सभी मुद्दों के सकारात्मक पक्ष बहुत ही मज़बूत, सरल सहज एवं प्रभावशाली ढंग से पाठकों तक पहुंचाए जाते हैं। ये लेख पाठकों के ज्ञान के साथ-साथ भाषा में भी सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

योजना के मार्च अंक में एन. विनोद चंद्र मेनन का लेख 'आपदा प्रबंधन की समस्याएं एवं चुनौतियां' और ज्यां द्रेज एवं अमर्त्य सेन का लेख 'विकास का उचित स्थान' सराहनीय, ज्ञानवर्द्धक एवं प्रभावशाली लगे। ये लेख पाठकों में एक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। बजट 2012-13 के अंक में शामिल लेखों के माध्यम से भारत के भविष्य के अनुमानों तथा वर्तमान में भारत के पक्ष एवं विपक्ष में चल रही समस्याओं का सुसंगठित, तथ्यपरक एवं ज्ञानवर्द्धक प्रस्तुतीकरण बजट का सारगर्भित विश्लेषण करती है।

अप्रैल 2012 के अंक में *योजना* द्वारा बजट शब्दावली का अर्थ सरल रूप में प्रस्तुत किया गया जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने-जानने में पाठकों के लिए सरल एवं आसान ही नहीं बनाया बल्कि एक अलग समझ विकसित करने में भी मदद की। अरविंद मोहन द्वारा लिखित 'समावेशी बजट की सच्चाई', अनिल चमड़िया के लेख 'बजट से जेंडर अपेक्षाएं', कौशलेंद्र प्रपन्न द्वारा प्रस्तुत 'शिक्षा आवंटन का अक्षर ज्ञान' शीर्षक लेखों में सरल, पठनप्रिय और प्रभावशाली शब्दों के प्रयोग द्वारा ज्ञानवर्द्धक प्रस्तुतीकरण वास्तव में मन को भाने योग्य हैं लेकिन संपादकीय पिछले माह की तुलना में कम पसंद आया। प्रभावशाली अंक के लिए धन्यवाद! ❑

जोगिंदर सिंह चौहान
सोनभद्र, उत्तर प्रदेश
ई-मेल : jogindar123@gmail.com

भविष्योन्मुखी बजट

बजट विशेषांक 2012 पढ़ा। संपादकीय सरल, सरस व ज्ञानमय लगा।

वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने अपने 7वें बजट की शुरुआत शेक्सपीयर की रचना *हैमलेट* की पंक्ति- *मैं क्रूर हूं। कृपालु बनने के लिए* से की। किसी भी देश का बजट व विदेशी नीति दो तत्वों से प्रभावित होती है- घरेलू वातावरण व अंतरराष्ट्रीय वातावरण। इस बजट के लोकलुभावन बनने के पीछे भी यही कारण रहा। बजट में 5 प्रमुख उद्देश्य तय किए गए घरेलू मांग आधारित विकास, निजी निवेश में तीव्र उच्च वृद्धिदर की प्राप्ति, कृषि, ऊर्जा व परिवहन क्षेत्र में आपूर्ति संबंधी अवरोधों को दूर करना, कुपोषण की समस्या का निराकरण एवं सुशासन। भ्रष्टाचार व काले धन के क़हर को थामने की बात भी की गई ताकि अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाया जा सके और अगले बजट के लिए राजस्व जुटाकर 2014 में जनकल्याण और समाजोन्मुखी बजट पेश किया जा सके, अर्थात बजट को यथार्थपरक और भविष्योमुखी बजट बनाया।

इन लक्ष्यों को अप्रत्यक्ष करों के द्वारा राजस्व बढ़ाकर हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। सेवा कर तथा उत्पादन शुल्क कर को 10 से 12 प्रतिशत बढ़ाने का प्रस्ताव है। महंगाई के कारण ग़रीब की रसोई से लेकर गाड़ियों तक में आग लगी हुई है। ग़रीब को दो जून की रोटी तक से महरूम होना पड़ रहा है। महंगाई को केवल जादू या वोट बैंक का आधार न मानें। सरकार आमजन के हित में निर्णय लेने के लिए आगे आए। सरकार आधारभूत ढांचे को बल प्रदान करे। बुनकरों के लिए 3,888 करोड़ का कर्ज़ माफ़ करना, आयकर की सीमा 2 लाख करना व जम्मू-कश्मीर के युवाओं के लिए 2011-12 में हिमायत योजना शुरू करना (केंद्र द्वारा पूर्णतः व्यय भारवहन) प्रशंसनीय क़दम हैं। रेल बजट पर लेखक अरविंद कुमार सिंह के लेख के अलावा कुछ नहीं था। मनरेगा ने यू.पी., बिहार, पंजाब व हरियाणा में कृषि पर नकारात्मक प्रभाव डाला है। अतः सरकार

को मनरेगा पर पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। सर्वशिक्षा अभियान का लक्ष्य आज तक पूर्ण नहीं हुआ। अप्रैल 2010 से शुरू अनिवार्य शिक्षा-कानून में निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत ग़रीबों के लिए आरक्षित सीटों की आपूर्ति महज खानापूर्ति बनकर उभरेगी। भारत में कानून बनने से पूर्व ही तोड़ने के सूत्र खोज लिए जाते हैं।

अब युवाओं के हाथों में देश की बागडोर दे देनी चाहिए। बजट से जुड़ी जानकारी रोचक लगी। हरेंद्र प्रताप सिंह, वेद प्रकाश अरोड़ा व अमरेंद्र कुमार राय के लेख भी अच्छे लगे। पोलियो के ख़िलाफ़ जंग पर सुरेश अवस्थी व समीक्षा लेख अच्छा लगा। यह अंक सारगर्भित, ज्ञानयुक्त व रोचकता से सरोबार है। स्त्री सशक्तीकरण पर केंद्रित आगामी अंक में मदर टेरेसा, ममता बनर्जी, मायावती, किरण बेदी, मार्गरेट थ्रैचर में से किसी एक की जीवनी पर प्रकाश डालें या विश्व की प्रथम महिलाओं या हर क्षेत्र में अपने हुनर से परचम लहराने वाली औरतों की सूची प्रकाशित करें। ❑

रणवीर चौधरी 'विद्यार्थी'
सांजटा, बाड़मेर, राजस्थान

वसुधैव कुटुंबकम्

योजना का अप्रैल 2012 अंक प्राप्त हुआ। संपादकीय ज्ञानवर्द्धक लगा। कमल नयन काबरा ने अपने आलेख के माध्यम से सीमित संसाधन और दीर्घकालिक विकास का खाका पेश किया। 'केंद्रीय आम बजट 2012-13 की विशेषताएं' व 'केंद्रीय बजट 2012-13: कुछ पहलू' लेख अच्छे लगे। वित्तमंत्री के बजट भाषण और आर्थिक समीक्षा 2011-12 से स्पष्ट हो गया है कि पिछले कुछ वर्षों से भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर संकट से गुज़र रही है। विश्वव्यापी मंदी का असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है, मगर इतना होते हुए भी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रदर्शन दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर रहा है। एक ओर अमरीका व उसके मित्र राष्ट्र विश्वव्यापी मंदी से जूझ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हमारा भारतवर्ष सशक्त व खुशहाल नज़र आता है। वजह साफ है- *वसुधैव कुटुंबकम* व *जियो और जीने दो* हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग हैं। इतिहास गवाह है कि भारतवर्ष ने किसी भी देश पर आक्रमण नहीं किया, बल्कि विश्व को इंसाफ और शांति का पैगाम दिया है। दूसरी ओर अमरीका अपने निजी स्वार्थों के कारण, इराक़, अफगानिस्तान व लीबिया को बर्बाद करके अपने ही जाल में फंस रहा है। 'खेल बजट की अग्नि-परीक्षा', 'दूरदर्शी और विकासोन्मुखी रेल बजट' और 'बजट शब्दावली' आलेख अच्छे लगे। आखिर में *विकास का समाजशास्त्र* पुस्तक के बारे में संक्षिप्त जानकारी और जवाहर पांडेय के विचार भी अच्छे लगे। ❑

दिलावर हुसैन कादरी
मेहराबाद, जैसलमेर
राजस्थान

सारगर्भित लेख दें

योजना का आपदा प्रबंधन पर केंद्रित अप्रैल 2012 का अंक पढ़ा। इस अंक में आपदा प्रबंधन का जो सही और वैज्ञानिक विश्लेषण विशेषज्ञों द्वारा किया गया है। वह प्रशंसनीय है। शोधयात्रा और स्त्री विमर्श पर जो सामग्री दी गई है, पठनीय व सारगर्भित है। इसी तरह अगले अंकों में देश-दुनिया की ज़रूरतों पर सुरुचिपूर्ण और सारगर्भित आलेख प्रकाशित करते रहें यही अभिलाषा है। ❑

राम नरेश सिंह
लखीबाग, गया
बिहार

योजना
आगामी अंक

जुलाई 2012

योजना का जुलाई 2012 अंक **मानसून** पर केंद्रित होगा।
इस अंक का मूल्य मात्र ₹ 10 होगा

स्वाधीनता विशेषांक • अगस्त 2012

योजना का यह विशेषांक आजादी के 65 वर्षों की यात्रा का लेखा-जोखा प्रस्तुत करेगा।
इस अंक का मूल्य होगा मात्र ₹ 20।

India's No. 1 IAS Training Institution

ALS

Training Steel Pillars For The Nation

Alternative Learning Systems

सामान्य अध्ययन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

सबसे अनुभवी टीम • सर्वश्रेष्ठ परिणाम • सर्वश्रेष्ठ पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन

मुख्य-सह-प्रारंभिक परीक्षा 2012-13 + CSAT

सामान्य अध्ययन के प्रत्येक खंड हेतु विशेषज्ञों की अनुभवी टीम

भारतीय राजव्यवस्था	मनीष गौतम (130+ बैचों को पढ़ाने का अनुभव) एवं मनोज कुमार सिंह (ALS Founder Director, इनके निर्देशन में संस्थान से 2000 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन)
मैजिक मोमेंट्स एवं निबंध	शशांक एटम (ALS Founder Director, 200+ बैचों को प्रशिक्षण देने का अनुभव, इनके निर्देशन में 4000 से अधिक अभ्यर्थियों का चयन)
इतिहास एवं संस्कृति	वाई डी मिश्रा (450+ बैचों को प्रशिक्षण देने का अनुभव प्राप्त, इनके मार्गदर्शन में 3000 से अधिक छात्र चयनित) एवं मनोज कुमार सिंह
राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, भारत एवं विश्व (समसामयिक मुद्दे)	मनीष गौतम, मनोज कुमार सिंह एवं सी.के. सिंह
भारतीय अर्थव्यवस्था	अरूणेश सिंह (150+ बैचों को प्रशिक्षण देने का अनुभव, अनेक पुस्तकों के लेखक
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	मनीष गौतम, अरविंद सिंह एवं संजय पांडे (इन्हें 130+ बैचों को पढ़ाने का अनुभव)
सांख्यिकी	अरविंद सिंह (150+ बैचों को प्रशिक्षण देने का अनुभव)
भूगोल	डॉ. शशि शेखर एवं बी.एम. पाण्डा
सामान्य विज्ञान	शशि शेखर एंव डा. संजय पाण्डे

बैच प्रारंभ 10 जुलाई, 10 अगस्त एवं 10 सितंबर

CSAT

हिन्दी माध्यम CSAT की सर्वश्रेष्ठ टीम

• सामान्य मानसिक योग्यता, तर्क एवं विश्लेषण क्षमता By Arvind Singh • English Basic & Comprehension By David Williams & Sachin Arora • आधारभूत आंकिक क्षमता By Arvind Singh • सम्प्रेषण एवं अन्तर्वैयक्तिक क्षमता By KM Pathi

बैच प्रारंभ 11 Sept, 11 Oct, 11 Nov & 11 Dec

इतिहास द्वारा वाई.डी. मिश्रा

भूगोल शशांक एटम के निर्देशन में

लोक प्रशासन द्वारा ALS Team

समाज शास्त्र द्वारा ALS Team

बैच प्रारंभ 12 जून एवं 10 जुलाई

Programme Director : Manoj Kumar Singh

Managing Director: ALS, Interactions IAS Study Circle, Competition Wizard, ISGS

IAS 2011 Results 23 in top 100, 42 in top 200

Total selections 201

परीक्षा में अब तक 1215 सफल अभ्यर्थियों का चयन, वर्ष 2011 में कुल चयन = 201+, अब तक 2 IAS TOPPERS का चयन

हिन्दी माध्यम में सर्वोच्च परिणाम

सामान्य अध्ययन (नियमित कक्षा के छात्र)

ALS Top 200 in हिन्दी माध्यम

एवं कई अन्य...

ALS ADMISSION ENQUIRY

9999343999, 9999975666
9810312454, 9810269612
011-27651110, 011-27651700

ALS Alternative Learning Systems

IAS Study Circle interactions Shaping dreams into success

Be in touch... Manoj K Singh, Managing Director, ALS, E-mail:manojdelhiias@gmail.com

Alternative Learning Systems (P) Ltd.

Corporate Office: ALS, B-19, ALS House, Commercial Complex, Dr Mukherjee Nagar, Delhi-09. Ph: 27651110, 27651700. *South Delhi Centre:* 62/4, Ber Sarai, Delhi-16 Visit us at: www.iasals.com

YH-37/2012

संपादकीय

महिला सशक्तीकरण एक ऐसा महत्वपूर्ण सामाजिक घटक है जिसको समझने के लिए हमें अपने पारिवारिक ढांचे सहित उसके बहुआयामी प्रभाव पर मनन करना होगा। जनगणना 2011 से एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष यह निकलता है कि देश में स्त्री और पुरुष का अनुपात संतुलित नहीं है। इससे भी अधिक चिंता की बात यह है कि शून्य से छह वर्ष की आयु तक के बच्चों में भी लिंगानुपात लड़कों के पक्ष में झुका हुआ है, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या कम है। संतुलित जनसंख्या के लिए काम करना एक बड़ी चुनौती है। यदि मौजूदा पूर्वाग्रहों पर विजय पाना है तो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करनी होगी। उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल विकास, ऋण सुविधाएं और निर्णय लेने के अवसर के साथ-साथ कानूनी अधिकार भी प्रदान करने होंगे ताकि वे सही अर्थों में सशक्त और समर्थ बन सकें।

जेंडर इक्वलिटी अर्थात स्त्री-पुरुष समानता का सिद्धांत हमारे संविधान में ही दिया हुआ है, जिसमें महिलाओं की समानता की गारंटी निहित है। इससे वर्षों से सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक भेदभाव झेल रही महिलाओं की समस्याओं को दूर कर उनके पक्ष में सार्थक वातावरण तैयार करने का अवसर हमें मिलता है। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत हमारे कानून, विकास संबंधी नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रमों में महिलाओं की उन्नति हमारा प्रमुख लक्ष्य रहा है।

सरकार के ऐसे अनेक कार्यक्रम हैं जिनमें महिला-संवेदी कल्याण कार्यक्रम, सहायक सेवाएं और जागरुकता फैलाने पर जोर दिया गया है। ये कार्यक्रम स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और ग्रामीण विकास क्षेत्रों के कार्यक्रमों के पूरक के तौर पर काम करते हैं। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से सशक्त बनाना है ताकि वे राष्ट्रीय विकास के प्रयासों में पुरुषों के समान और सक्रिय भूमिका अदा कर सकें।

राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण नीति, 2001 में महिलाओं के साथ भेदभाव को दूर करने के लिए तीन नीतिगत दृष्टिकोण अपनाए जाने की बात कही गई है। जरूरी है कि विधिक प्रणाली और अधिक उत्तरदायी और महिलाओं की आवश्यकता के प्रति अधिक संवेदनशील हो। इसके साथ ही विशेष प्रयासों के माध्यम से महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से और सशक्त बनाया जाना चाहिए। आंकड़े बताते हैं कि भारत में पुरुषों के मुक़ाबले महिलाओं की स्थिति चिंतनीय है। अतः सच्चाई को ढंकने से काम नहीं चलेगा। प्रतीकवाद और बहानों का सहारा लिए बिना हमें आगे आकर समस्या का समाधान करना होगा। परंतु केवल सरकारी हस्तक्षेप से काम नहीं बनेगा। बेहतर परिणाम तभी प्राप्त होंगे जब दृढ़ प्रतिज्ञ महिलाएं स्वयं अपने-आप को सशक्त बनाने का प्रयास करेंगी और इसमें उन्हें समाज के प्रबुद्ध वर्ग का प्रोत्साहन मिलेगा।

महिला विकास पर भारत सरकार की नीति में स्वतंत्रता के बाद से अनेक परिवर्तन हुए हैं। सबसे उल्लेखनीय परिवर्तन पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आया जब महिलाओं के कल्याण से हटकर महिलाओं के विकास पर जोर देने की नीति अपनाई गई। आठवीं योजना में पुनः विकास प्रक्रिया में महिलाओं को समान भागीदार बनाने पर जोर दिया गया। आज, समावेशी विकास पर हमारा ध्यान केंद्रित है। ऐसे में महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति हमारी जागरुकता में और वृद्धि हुई है। समाज के निचले स्तर से महिलाओं का सशक्तीकरण होना चाहिए और इसके लिए उनके प्रति मूल्यों और व्यवहार में परिवर्तन के साथ-साथ उन्हें आर्थिक रूप से समर्थ बनाने की आवश्यकता है। स्पष्ट है कि सभी समस्याएं असमानता के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इसलिए महिलाओं के साथ व्यवहार में समानता और देश के विकास में उनकी पूरी सहभागिता के लिए क़दम उठाना आवश्यक है।

यहां पर स्वामी विवेकानंद की इस उक्ति को उद्धृत करना उपयुक्त होगा, 'जब तक महिलाओं की स्थिति में सुधार नहीं होगा विश्व के कल्याण की कोई संभावना नहीं है। एक पक्षी के लिए एक पंख से उड़ना संभव नहीं है।' एतद परिवर्तन का समय आ गया है। *योजना* के इस अंक में इन जटिल मुद्दों में से कुछ पर चर्चा की गई है। भारत में महिला सशक्तीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों और उनमें आने वाली समस्याओं के साथ-साथ संभावनाओं पर विशिष्ट लेख प्रकाशित किए जा रहे हैं। आशा है कि पाठकगण इन्हें उपयोगी पाएंगे। ❑

आस्था IAS

(सफलता का आधार) IAS / PCS बनाने की प्रक्रिया में निरंतर उच्च सफलता हासिल करते हुए

नामांकन जारी

आर.कुमार, शाह फैसल, इसरार अहमद, पंकज मिश्रा

सामान्य अध्ययन

(Mains + Pre. + CSAT)

''क्या पढ़ें? क्या छोड़ें? जो पढ़ें उसे कैसे याद करें?

ऐसी स्थिति में जब सामान्य अध्ययन में सूर्य एवं उसके नीचे की सभी कुछ शामिल

By **R.Kumar** & Team

Mob.: 9810664003

(सामान्य अध्ययन की अब तक की सर्वश्रेष्ठ टीम ,15 वर्ष का अनुभव)

प्रथम बैच **12 June**

द्वितीय बैच **26 June**

समाज शास्त्र

By

Pankaj Mishra

(UPPCS में चयनित)

Ph.: 09415639012, 08800545471

विगत दो वर्षों में सर्वोच्च अंक 381, 378

इलाहाबाद में भी (श्री साई गुरुकुल IAS एकेडमी) A.N.Jha हॉस्टल के सामने (विश्व विद्यालय चौराहा)

बैच प्रारंभ 25 मई, 12 जून

आस्था IAS एक बेहतर विकल्प क्योंकि

- सभी शिक्षक विषय विशेषज्ञ एवं अनुभवी
- श्रेष्ठ नोट्स, गहन अध्यापन, उच्चस्तरीय समझ के आधार पर To the point लेखन शैली का विकास
- प्रोजेक्टर, इंटरनेट तथा अन्य आधुनिक सुविधाओं का उपयोग
- UPSC के साथ UP., BPSC, MP, RAJ, JPSC, UTTARA., HARYANA, CHATTIS.PCS की भी तैयारी
- सहायक सुविधाएँ जैसे सफल छात्रों द्वारा मार्गदर्शन, शाह फैसल, (1st Rank- IAS 09) मिथिलेश मिश्रा (46th Rank IAS 10) नरेन्द्र मीणा (46th Rank IAS 09) प्रशांत सिंह, राजीव रंजन, प्रभाकर चौधरी विवेक गुप्ता द्वारा आस्था IAS के छात्रों का प्रत्यक्ष मार्गदर्शन किया गया

जीवंत पत्राचार पाठ्यक्रम उपलब्ध

सामान्य अध्ययन + CSAT, समाज शास्त्र एवं अन्य विषय

(लगभग 80% प्रश्न प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में नोट्स से) **(Printed Notes + Class Notes, Test Paper**

पत्राचार पाठ्यक्रम शुल्क →

G.S. (Mains) - ₹5500/-

समाज शास्त्र - ₹ 5500/-

Mains + Pre. + CSAT - ₹ 8,000/-

प्रारम्भिक परीक्षा Paper I & II - ₹ 4500/-

फोन से संशय समाधान सुविधा भी उपलब्ध

ड्राफ्ट आस्था IAS के नाम से बनाये

वैकल्पिक विषयः- इतिहास, उर्दू, लोक प्रशासन, मैथिली, तथा अन्य...

आवासीय सुविधा उपलब्ध

M-2, Jyoti Bhawan, Mukherjee Nagar, - 011 27651392, 9810664003

YH-39/2012

बाल लिंगानुपात पर पुनर्विचार

● मेरी ई. जॉन

लिंगानुपात अर्थात बालकों के मुक़ाबले बालिकाओं के अनुपात संबंधी प्रश्न और बालिकाओं की गणना के बारे में हमारा समूचा नज़रिया कैसा होना चाहिए? ऐसे समय में जब बालक-बालिका का अनुपात (सीएसआर) 2001 के 927 के मुक़ाबले घटकर प्रति 1,000 बालक की तुलना में 914 पर आ गया है, यह प्रश्न पूछना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। जनगणना 2011 के आलोक में गृह मंत्रालय के सचिव को यहां तक कहना पड़ा है कि सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। परंतु सबसे पहले यह जानना दिलचस्प होगा कि अब तक की स्थिति क्या रही है और जनगणना 2011 से हम क्या सीख सकते हैं?

भारत में 1991 के बाद बाल लिंगानुपात

भारत में बाल लिंगानुपात की पद्धति पर चर्चा शुरू करने के लिए एक तालिका तैयार की गई है जिसे पहले की जनगणना के आंकड़ों और ताज़ा जनगणना के प्रारंभिक आंकड़ों के आधार पर तैयार किया गया है। बाद के दशकों में जो अंतर रहा है, उसे भी इसमें शामिल किया गया है ताकि विषय को ठीक से समझा जा सके। देश को उत्तर-पश्चिम, उत्तर-केंद्र, पश्चिम, पूर्व और दक्षिण क्षेत्रों में बांट कर देखने से पिछले दो दशकों के प्रतिमानों की झलक देखने को मिलती है। इस पर विचार करते समय हमें अपने दिमाग में यह बात बनाए रखनी होगी कि यह कालखंड न केवल नवउदारवाद का युग कहा जाता रहा है बल्कि यह एक पूरी पीढ़ी की दास्तान कहती है। राष्ट्रीय स्तर पर बाल लिंगानुपात में 2001 में 18 अंकों की गिरावट आई थी जिसमें अब 13 अंकों की और गिरावट आ गई है। अधिकतर परिवारों में अब कम बच्चों का जन्म हो रहा है और प्रजनन दर में कमी आ रही है। इसलिए बालकों की तुलना में बालिकाओं की संख्या में कमी का सिलसिला जारी है। संक्षेप में कहा जाए तो पिछले दशक में 0-6 आयु वर्ग में लड़कियों के अनुपात में ऋणात्मक अंतर धीरे-धीरे बढ़ता रहा है। यह प्रवृत्ति देश के बड़े भू-भाग में फैलती जा रही है।

1991 के आंकड़े इसलिए प्रस्तुत किए गए हैं ताकि यह पता चल सके कि एक दशक पूर्व 2001 की जनगणना क्यों सुर्खियां बनी हुई थी। यह उस समय हुआ था, जब बाल लिंगानुपात समग्र लिंगानुपात (पुरुषों के मुक़ाबले महिलाओं की संख्या) से पहली बार नीचे आया था। बालिकाओं का अनुपात जहां 1991 में प्रति 1,000 बालकों के मुक़ाबले 943 था वहीं वह 2001 में गिरकर 927 पर आ गया, जबकि समग्र लिंगानुपात उसी समयावधि में 927 के मुक़ाबले बढ़कर 933 हो गया। यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि महिलाओं की औसत आयु (जीवन प्रत्याशा) में उल्लेखनीय सुधार हो रहा है। भारत के उत्तर-पश्चिम के अनेक राज्यों में लड़कियों के अनुपात में गिरावट का भयावह दौर 2001 में शुरू हुआ। पंजाब ऐसे राज्यों में सबसे आगे था जहां प्रति 1,000 बालकों के पीछे बालिकाओं की संख्या 800 अंक से नीचे के स्तर पर पहुंच गई। हिमाचल प्रदेश में भी पहली बार भारी गिरावट दर्ज़ की गई। वर्ष 2001 में उस समय इतिहास रचा गया जब बाल लिंगानुपात 950 से भी नीचे आ गया। प्रति 1,000 बालकों पर 950 बालिकाओं का जन्म पूरे विश्व में एक मानक के रूप में स्वीकार किया जाता है। उत्तर-पश्चिम के राज्यों के अलावा गोवा, ओडिशा नगरीय इलाक़े के पूर्वोत्तर के कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में भी लड़कों के मुक़ाबले लड़कियों की संख्या में कमी आने के संकेत दिखाई देने लगे थे। उत्तर-पश्चिम में इस प्रवृत्ति के पीछे जन्म के समय बच्चे के लिंग चुनाव करने का बढ़ता चलन जिम्मेदार माना जा रहा है। यह प्रवृत्ति उन क्षेत्रों में विशेष रूप से दिखाई दे रही है

जहां कन्या शिशु की हत्या और उच्च महिला मृत्युदर का पूर्व इतिहास रहा है। अन्य स्थानों में कुछ थोड़े से परिवारों में भी संभवत: यही प्रक्रिया अपनाई जाने लगी है।

जनगणना 2011 पर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि उत्तर-पश्चिम और शेष भारत के राज्यों में लिंगानुपात में स्पष्ट अंतर दिखाई देता है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लिंग के आधार पर बच्चे के जन्म का निर्णय लेने का रिवाज़ बढ़ रहा है, जबकि चंडीगढ़ और पंजाब में इस विषय में मामूली सुधार दिखाई दे रहा है। गौरतलब है कि उत्तर-पश्चिम के किसी भी राज्य में और अधिक गिरावट नहीं आई है, फिर भी वे 1991 के स्तर तक नहीं पहुंच सके हैं। तब वे 950 के अंक से काफी नीचे थे। पंजाब में 2011 के आंकड़ों के अनुसार, लड़कियों का अनुपात 798 से 48 अंक बढ़कर 846 हो गया है। यह आंकड़ा उसे कुछ हद तक अपने पड़ोसी राज्यों के समकक्ष ला खड़ा करता है। परंतु जिलावार विश्लेषण करने से ही पता चलेगा कि वास्तविक परिवर्तन कहां आया है। दिल्ली और गुजरात जैसे राज्यों में परिवारों का वही अनुपात लिंग चयन का तरीक़ा अपना रहा है, जो एक दशक पूर्व कारा रहा था। यहां यह याद रखना होगा कि यह गणना उन बालिकाओं की संख्या के बारे में है जो 1996-2001 और 2006-11 के बीच पैदा हुईं और जीवित हैं। पंजाब में इस रिवाज़ की गंभीरता में मामूली-सी कमी आई है। हरियाणा के जिलावार आंकड़ों के बारे में प्रकाशित ख़बरों के अनुसार कुरूक्षेत्र जिले में जहां बालिकाओं का अनुपात प्रति 1,000 बालकों के पीछे 2001 में 771 था, वह अब सुधर कर 817 पर पहुंच गया है। इससे लगता है कि हरियाणा के कुछ जिलों में भी पंजाब जैसी सुधारात्मक प्रवृत्ति में वृद्धि हुई है। परंतु झज्जर, महेंद्रगढ़, रिवाड़ी, भिवानी, फरीदाबाद जैसे कुछ जिलों में स्थिति 2001 के मुक़ाबले बदतर हुई है।

तालिका -1

बाल लिंगानुपात (0-6 वर्ष) जनगणना 1991, 2001, 2011 चुनिंदा राज्य					
	महिलाएं प्रति 1,000 पुरुष				
राज्य	**1991**	**2001**	**दशकीय अंतर 2001-1991**	**2011**	**दशकीय अंतर 2011-2001**
भारत	945	927	-18	914	-13
उत्तर-पश्चिम					
हिमाचल प्रदेश	951	896	-53	906	+10
पंजाब	875	798	-77	846	+48
हरियाणा	879	819	-40	830	+11
चंडीगढ़	899	845	-46	867	+22
दिल्ली	915	868	-47	866	12
उत्तर-मध्य					
उत्तर प्रदेश	928	916	-12	899	-17
मध्य प्रदेश	952	932	-20	912	-20
पश्चिम					
गुजरात	928	883	-45	886	+3
राजस्थान	916	909	-7	883	-16
महाराष्ट्र	946	913	-33	883	-30
गोवा	964	938	-26	920	-18
पूर्व					
बिहार	959	942	-17	933	-9
झारखंड	निरंक	965	-	943	-22
प. बंगाल	967	960	-7	950	-10
नगालैंड	993	964	-29	944	-20
ओडिशा	967	953	-14	934	-19
दक्षिण					
आंध्र प्रदेश	975	961	-14	943	-18
कर्नाटक	960	946	-14	943	-3
तमिलनाडु	948	942	-6	946	+4
केरल	958	960	+2	959	-1

उत्तर-पश्चिम भारत में जो कुछ भी सुधार हुआ हो, पश्चिमी, मध्य और पूर्वी भारत के काफी बड़े भाग में बाल लिंगानुपात में गिरावट आ रही है। महाराष्ट्र, गोवा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में लिंग चयन के आधार पर बच्चों को जन्म देने की प्रवृत्ति बढ़ती नज़र आ रही है। तमिलनाडु के सलेम और धर्मपुरी जिले में तो लिंग चयन और कन्या शिशु हत्या का एक लंबा इतिहास रहा है। राज्यवार आंकड़े इस प्रवृत्ति के विस्तार की ओर संकेत करते हैं। संख्याएं भले ही इतनी नाटकीय नहीं हों, परंतु यह उत्तर-पश्चिम भारत के तथाकथित समृद्ध इलाक़ों से बढ़कर निर्धन राज्यों की ओर फैलने लगी है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश के एक हालिया समाचार में बताया गया है कि लिंग चयन की प्रवृत्ति पूर्वी शहरों और कस्बों में भी पांव पसारने लगी है, जबकि कुछ समय पूर्व उधर के लोग इसके बारे में जानते तक नहीं थे। केवल एक ही राज्य जम्मू-कश्मीर ही ऐसा राज्य है जहां के आंकड़े चकित करते हैं, और उन पर संदेह भी होता है। जम्मू-कश्मीर में जनगणना 1991 में नहीं हो सकी थी, परंतु 2001 और 2011 में जो गणना की गई उसके प्रारंभिक आंकड़ों के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में बाल लिंगानुपात 941 से गिरकर 859 पर आ गया है। 82 अंकों की यह गिरावट अविश्वसनीय-सी लगती है। इसके साथ ही, जम्मू-कश्मीर देश का एकमात्र राज्य है, जिसमें इसी अवधि में प्रजननदर में सकारात्मक वृद्धि दर्ज़ हुई है। इस प्रकार के आंकड़े भ्रामक

लगते हैं और इस बारे में और भी जांच की आवश्यकता है।

यह संभव है कि उत्तर-पश्चिम राज्यों में जो सुधार दिखाई देता है वह अन्यत्र फैल रहे लिंग चयन की प्रवृत्ति के विरुद्ध लिंग परीक्षण पर निगरानी के बढ़ते प्रयासों के कारण आई हो। परंतु इन दोनों की तुलना करना अनुचित होगा, क्योंकि विषय उससे कहीं अधिक जटिल है। यह एक तथ्य है कि बाल लिंगानुपात पश्चिम के समृद्ध गोवा जैसे राज्यों से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे निर्धन राज्यों तक में नीचे आ रहा है। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 2011 में 30 अंकों की तीव्र गिरावट चिंता का विषय है और इस संदर्भ में व्यापक शोध और विचार की आवश्यकता है।

पिछले दशक में इस प्रकार के प्रासंगिक विश्लेषण का एक उदाहरण यहां उद्धृत करना उपयुक्त होगा। शोधकर्ताओं के एक समूह (जॉन और अन्य, 2008) ने 2003-05 में भारत के पांच सबसे कम सीएसआर वाले जिलों में जो सर्वेक्षण किया, उससे स्पष्ट होता है कि इस लंबे-चौड़े क्षेत्र में जहां बाल लिंगानुपात में तेज़ी से गिरावट आई थी, स्थानीय प्रसंग कोई कम महत्वपूर्ण नहीं थे। उदाहरणार्थ, पंजाब के फतेहगढ़ साहिब में ऐसे अनेक परिवार थे जिनमें कुल एक ही बेटा (विशेषकर जाट जिलों और शहरी उच्च वर्ग में) था और कांगड़ा और रोहतक में अनेक परिवारों में केवल दो बच्चे (ऐसे बहुत कम थे जिनके दोनों लड़कियां थीं) थे। धौलपुर और मुरैना जिलों में बाल उपेक्षा के प्रचलन के कारण बड़े परिवारों में कन्या शिशु मृत्युदर काफी अधिक थी। इसके साथ ही इन जिलों में लिंग चयन का प्रचलन भी बढ़ रहा है।

अब तक की चर्चा

प्रतिकूल लिंगानुपात के बेहतर परिप्रेक्ष्य के लिए हमें 1980 के दशक की ओर लौटना होगा, जब लिंग चयन हेतु वैज्ञानिक परीक्षण नारी अधिकार आंदोलनों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं का पहला निशाना बना। महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब में यह आंदोलन अधिक मुखर हो रहा था हालांकि लोगों का समर्थन अधिक नहीं मिल पा रहा था। बहुत-से लोगों को यही समझ नहीं आ रहा था कि आखिर समस्या क्या है? आज हम ऐसी स्थिति में हैं, जब लिंगानुपात महिलाओं के साथ भेदभाव का प्रतीक बन गया है। देश और विदेश में जो संगठन, चाहे वे सरकारी हों अथवा सामाजिक या धार्मिक और यह आंदोलन चला रहे हों, उन्हें उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर अपनी रणनीति तैयार करनी होगी। यदि हम आत्मनिरीक्षण करें तो पाएंगे कि बाल लिंगानुपात अपने आप में एक क़िताबी बहस और पैरोकारों का उद्योग बनकर रह गया है।

विभिन्न कारणों से जनगणना 2011 के निष्कर्षों की उत्सुकता से प्रतीक्षा थी। कुछ विद्वान बिल्कुल उसी प्रकार के परिणामों की भविष्यवाणी पहले से ही कर रहे थे। राष्ट्रीय परिवार कल्याण सर्वेक्षण (सबसे ताज़ातरीन सर्वेक्षण 2005-06 का है) और जन्म का नमूना पंजीकरण (एसआरबी) प्रतिवर्ष अपने आंकड़े जारी किया करते थे। उनमें जो महत्वपूर्ण भिन्नताएं थीं, वे भी प्रकट हो रही हैं। तो प्रश्न है कि क्या समस्या 'हमारी सोच' से जुड़ी है, जो समानता के आधुनिक मूल्यों के उलट हैं? या फिर जो कुछ हो रहा है उसके पीछे आधुनिकता की कोई भूमिका है? एक ओर तो कुछ पैरोकारों का यह कहना है कि धूर्त डॉक्टरों के आपराधिक कृत्यों पर ध्यान दिया जाना चाहिए और उन्हें सजा दिलाई जानी चाहिए, वहीं कुछ का कथन है कि लिंग चयन के विरुद्ध जो राय है वह एक प्रकार से गर्भपात के विरुद्ध राय बनती जा रही है, जो अपने आप में एक और समस्या को जन्म दे रही है। कुछ की राय है कि कन्या भ्रूण हत्या के रूप में महिला जाति के नाश का प्रचलन ज़ोर पकड़ रहा है तो अन्य लोगों को आशा है कि स्थिति में बदलाव आएगा।

इस बहस में कुछ तो अजीब-सा है। आखिर हम किस आधार पर परिवर्तन की आशा कर रहे हैं? परिवार के आकार की योजना बनाना और बच्चे के चयन का आधार, निश्चित रूप से अनेक प्रक्रियाओं का सम्मिलित निर्णय होता है। व्यक्ति के सीमित संसाधन, बच्चे के पालन-पोषण का भार, सामाजिक-आर्थिक परिवर्तनशीलता, व्यक्तिगत नैतिकता, उपलब्ध प्रौद्योगिकी और समसामयिक समाज में बालिकाओं के साथ असमान व्यवहार की सीमा के आधार पर बच्चे के लिंग का चयन निर्धारित होता है। बेटे की प्राथमिकता के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। अधिकतर परिवार एक बेटा और एक बेटी चाहते हैं। परंतु इस इच्छा में भी एक अनकही इच्छा छिपी हुई है- 'कम से कम एक बेटा और अधिक से अधिक एक बेटी।' इस प्रकार की अपेक्षाओं के वातावरण में हम किस संरचनात्मक परिवर्तन की अपेक्षा कर रहे हैं? बालिकाओं की प्राथमिकता के बारे में लोगों की सोच बदलेगी, क्या यह आशा करना उचित होगा?

गृह मंत्रालय के सचिव कह चुके हैं कि बाल लिंगानुपात में जो गिरावट आ रही है, उसे देखते हुए राज्यों को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करना चाहिए। बालक-बालिकाओं की संख्या में संतुलन बहाल करने की आवश्यकता पर काफी ज़ोर दिया जाता रहा है। यहां जो बात हम भूल रहे हैं वह है, भारत जैसे बढ़ती जनसंख्या वाले देश में विवाह के बाज़ार में विवाह योग्य महिलाओं की प्रचुरता का पुरुष वर्ग पीढ़ियों से लाभ उठाता रहा है। उत्तर-पश्चिम क्षेत्र को छोड़कर देश के अन्य हिस्सों में एक अदृश्य संरचनात्मक असंतुलन काम करता रहा है, और जिसको सुधारने के बारे में कभी सोचा ही नहीं गया। केरल में लिंगानुपात सकारात्मक कहा जाता है, परंतु यहां महिलाओं के प्रति भेदभाव का बर्ताव एक विचारणीय मुद्दा है। दूसरे, लिंगानुपात, प्रजननदर और साक्षरता के इस पूरे विमर्श में हम अपने देश में बालिकाओं की स्थिति की ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण की रिपोर्ट (64वां चरण, 2007-08) ने एक चौंकाने वाली बात बताई है कि 20 वर्ष के अप्रत्याशित आर्थिक विकास के बाद भी किसी भी वेतनदायी कार्य में महिलाओं की कुल संख्या 15 प्रतिशत से अधिक नहीं है। इसे दूसरे रूप में कहें तो 85 प्रतिशत महिलाओं की नियति निर्भरता के संरचनात्मक रूप में ही निहित है। इसलिए केवल संख्या के संतुलन के बारे में चिंता करने के बजाय आवश्यकता ऐसी सरकारी नीतियों की है जो महिलाओं के लिए सार्थक जीवन व्यतीत करने का वातावरण तैयार कर सके। उनके व्यक्तित्व के विकास का समुचित आधार, अवसर तथा वातावरण जब तैयार होगा, तभी महिलाओं का अस्तित्व सार्थक होगा। ❑

(लेखिका दिल्ली स्थित महिला विकास अध्ययन केंद्र की निदेशक हैं।

ई-मेल : maryejohn1@gmail.com)

DISCOVERY®

...Discover your mettle

सर्वाधिक लोकप्रिय एवं परिणाम देने वाले वैकल्पिक विषय

भूगोल -अनिल केशरी

8 जून, समय - 11.00 A.M

Academic Enquiry +91-9891609481

लोकप्रशासन- दिवाकर गुप्ता

8 जून, समय - 5.30 P.M

Academic Enquiry +91-9582056541

इलाहाबाद केंद्र

28 जून, समय - 10.00 A.M

IGNITEDMINDS, H-1, First Floor,
Madhav Kunj, Katra, 09582056541

DISCOVERY ही क्यों?

- संपूर्ण पाठ्यक्रम की कक्षा नियत समय के अंदर।
- संपूर्ण पाठ्यक्रम पर प्रिंटेड नोट्स की उपलब्धता।
- प्रथम पत्र के साथ-साथ द्वितीय पत्र पर भी समान बल एवं समान संख्या में कक्षा का प्रावधान।
- प्रतिदिन लेखन अभ्यास।
- नियमित जांच परीक्षा।
- प्रश्नों के उत्तर की संक्षिप्त संरचना की पृथक उपलब्धता।

भूगोल ही क्यों?

- सामान्य अध्ययन प्रारम्भिक एवं मुख्य परीक्षा में सर्वाधिक महत्व का विषय जो इस विषय की प्रासंगिकता को स्थापित करता है।
- वैकल्पिक विषयों में सर्वाधिक अंकदायी एवं सफलता सूची में सर्वोच्च।
- एक अवधारणात्मक विषय इसलिए रटने की संकल्पना से मुक्ति जिसे आयोग द्वारा लगतार हतोत्साहित किया जा रहा है।
- पर्यावरण एवं पर्यावरणीय मुद्दे इस विषय के भाग हैं और वर्तमान समय में न सिर्फ इनसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं बल्कि यह अतिआवश्यक खंड साबित हो रहा है।
- किसी भी समाज में किसी भी प्रकार का विकास भूगोल से प्रारम्भ होता है तथा भूगोल से ही समाप्त होता है इसलिए इसकी संकल्पना सदैव आपके साथ कार्य करेगी।

लोकप्रशासन ही क्यों?

- *UPSC/PCS* की परीक्षाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं रूचिकर विषय।
- वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के लिए सबसे सुरक्षित विषय।
- G.S में भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक महत्व के मुद्दे तथा निबंध में सहायक है, साथ ही साथ साक्षात्कार परीक्षा में भी मददगार सिद्ध होता है।
- सामान्यतः यह स्नाकोत्तर का विषय होने के कारण सभी अभ्यर्थियों के बीच समान प्रतिस्पर्धी
- छोटा पाठ्यक्रम जिसे तीन से चार माह में आसानी से तैयार किया जा सकता है।
- आप एक लोकप्रशासक बनने जा रहे हैं। इस कारण प्रशासनिक समझ का होना आवश्यक है, इस दिशा में भी सहायक सिद्ध होता है।

b-14 (Basement) Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9

PH:. 011-32906050, 9313058532

YH-29/2012

कृषि क्षेत्र में महिलाएं

● अमृत पटेल

कृषि क्षेत्र में महिलाओं पर केंद्रित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन– 'ग्लोबल कांफ्रेंस ऑन वीमेन इन एग्रीकल्चर' 13 से 15 मार्च, 2012 तक नयी दिल्ली में आयोजित की गई। कृषि में समावेशी विकास हेतु महिलाओं के सशक्तीकरण के लक्ष्य को लेकर आयोजित इस सम्मेलन का प्रायोजन भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) और नयी दिल्ली स्थित ट्रस्ट फॉर एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस (टीएएएस) ने ग्लोबल फोरम ऑन एग्रीकल्चरल रिसर्च (जीएफएआर) और एशिया-पैसिफिक एसोसिएशन ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस (एपीपीएएआरआई) के साथ मिल कर किया था। इसमें कुछ अन्य संस्थाओं ने भी सहयोग दिया था। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने अपने समापन भाषण में कृषि के विकास और स्त्री-पुरुष के बीच असमानता दूर करने के मुख्यधारा के प्रयासों में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सशक्त और समर्थ बनाने हेतु उनको ज्ञान और कौशल से संपन्न बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। वर्तमान में, विभिन्न कारणों से वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकियां समुचित रूप से ग्रामीण महिलाओं तक नहीं पहुंच पा रही हैं। इसमें सुधार की आवश्यकता है। अनुसंधान प्रणाली में महिलाओं के ज्ञान और अनुभव का भी योगदान लिया जाना चाहिए। क्योंकि वे सदा से ही पारंपरिक ज्ञान और नवाचार का स्रोत रही हैं। राष्ट्रपति ने कृषि अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के लिए जहां राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के प्रयासों की सराहना की, वहीं प्रत्येक गांव में महिला किसान मंडल के गठन का भी सुझाव दिया ताकि महिलाओं को कृषि और उससे संबंधित गतिविधियों से जुड़े तमाम पहलुओं की जानकारी दी जा सके। प्रस्तुत आलेख में वैश्विक और भारत के स्तर पर कृषि में महिलाओं हेतु सरोकारों की समीक्षा की गई है। भारत सरकार ने कृषि के बारे में महिलाओं की समझ और ज्ञान में विस्तार के जो प्रयास किए हैं, उसकी भी संक्षिप्त चर्चा की गई है और सशक्तीकरण की व्यापक परिभाषा में सही अर्थों में कृषि में महिलाओं को सशक्त बनाने के सुझाव भी दिए गए हैं।

सरोकार

खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) की 2011 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में महिला किसानों की संख्या एक-चौथाई से अधिक है। विकासशील देशों में कृषि श्रमिकों का 43 प्रतिशत अंश महिलाओं का है। दक्षिणी अमरीका (लातीनी अमरीका) में जहां 20 प्रतिशत महिलाएं किसानी करती हैं, वहीं अफ्रीका के अनेक देशों और पूर्वी एशिया के कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में 50 प्रतिशत हिस्सा महिलाओं का है। इसके बाद भी, कृषि से संबंधित परिसंपत्तियों, सामग्रियों और सेवाओं तक महिलाओं की पहुंच बहुत कम है। इन सब में महिलाओं का दखल कम ही है। यदि महिलाओं को भी पुरुषों की तरह उत्पादक संसाधन आसानी से समय पर और भरोसेमंद तरीक़े से सुलभ हों तो पैदावार में 20 से 30 प्रतिशत की वृद्धि हो सकती है। समर्थ महिलाओं की भागीदारी से विकासशील देशों में समग्र कृषि उत्पादन में 2.5 प्रतिशत से लेकर 4 प्रतिशत तक की वृद्धि संभव हो सकती है। उत्पादन में वृद्धि से विश्व के भूखे लोगों की संख्या में 12 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक की कमी आ सकती है। महिलाओं की आय बढ़ेगी, सो अलग।

पूरे विश्व में अब इस बात का अहसास और संकल्प बढ़ रहा है कि सतत और व्यापक कृषि विकास के लिए स्त्री-पुरुष असमानता से जुड़े मुद्दों का राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर समाधान आवश्यक है। अंतरराष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं के बीच परामर्श और समन्वय भी बढ़ रहा है। खाद्य एवं कृषि संगठन, वैश्विक कृषि अनुसंधान फोरम, अंतरराष्ट्रीय कृषि अनुसंधान परामर्शदात्री समूह और विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कृषि अनुसंधान प्रणालियों के बीच इस बारे में सहभागिता, समन्वयन और सहयोग बढ़ा है।

कृषि में महिलाओं की भूमिका में वृद्धि पिछले 15 वर्षों से वाशिंगटन स्थित अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) का प्रमुख लक्ष्य रहा है। आईएफपीआरआई ने स्त्री-पुरुष समानता मुद्दों पर काम करने का संकल्प व्यक्त किया है। इस विषय पर उसके हालिया कार्यों में *इंजीनियरिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च, डेवलपमेंट एंड एक्सटेंशन* नाम की पुस्तक और कृषि में महिला सशक्तीकरण सूचकांक (डब्ल्यूईएआई) का प्रकाशन प्रमुख है। डब्ल्यूईएआई महिलाओं की भूमिका को मापने का एक उपयुक्त साधन है, जिससे अनुसंधानकर्ताओं को उन महिलाओं की पहचान करने में मदद मिलती है जो अशक्त और असमर्थ हैं। इससे यह समझने में भी मदद मिलती है कि प्रमुख क्षेत्रों में स्वायत्तता और निर्णय लेने की प्रक्रिया को कैसे सुदृढ़ बनाया जा सकता है।

भारतीय परिदृश्य

किसानों, कृषि-श्रमिकों और उद्यमियों की तरह महिलाएं भी भारत की कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मेरुदंड हैं। इसके बावजूद बच्चे और महिलाएं समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग बने हुए हैं। मवेशियों की देखभाल, बच्चों का पालन-पोषण और घर के अन्य कार्य की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के सर पर ही रहती है। कृषि संबंधी गतिविधियों में लगी महिलाओं को तमाम ऐसे काम करने होते हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से ज़ोखिमभरे होते हैं। रोपाई, फ़सल कटाई, दवाई, सुखाई और उड़ावनी जैसे कृषि कार्यों में महिलाओं को काफी पसीना बहाना पड़ता है। इसके अलावा चारा कटाई, बाड़ों और खलिहानों की साफ़-सफ़ाई, पशुओं का दूध निकालने आदि कार्यों की अधिकांश जिम्मेदारी

महिलाओं पर ही छोड़ दी जाती है। इन सब कार्यों में महिलाएं, बिना अपने स्वास्थ्य की परवाह किए लगी रहती हैं। इसके कारण 23 से 67 प्रतिशत महिलाएं स्वास्थ्य संबंधी अनेक समस्याओं का शिकार हो जाती हैं।

उनके कठिन परिश्रम की न तो उन्हें कोई क़ीमत मिलती है और न ही उसे भली-भांति मान्यता दी जाती है। उनके कामों की कोई गिनती ही नहीं होती। वे कृषि, पशुपालन और घर-गृहस्थी में कमरतोड़ मेहनत करती हैं। ये काम वे रोज़ ही करती हैं, परंतु उन्हें उन्हीं कार्यों के लिए पुरुषों के मुक़ाबले कम पैसे दिए जाते हैं। ज़मीन का मालिकाना अधिकार भी अधिकतर पुरुषों के नाम ही होता है। कृषि फ़सल/उत्पादों की बिक्री आदि पुरुष ही करते हैं, जिसके कारण घरेलू आमदनी पर उन्हीं का नियंत्रण रहता है। काम की तलाश में पुरुषों के शहरों की ओर पलायन की बढ़ती प्रवृत्ति की वज़ह से कृषि और खेतों की अधिकांश जिम्मेदारी महिलाओं पर आ गई है परंतु उन्हें कर्ज़ आसानी से नहीं मिलता, क्योंकि पट्टे उनके नाम नहीं होते। केवल 11 प्रतिशत महिलाओं के पास ही ज़मीन का कब्ज़ा है। इनमें से भी ज़्यादातर लघु और सीमांत किसान हैं।

शिक्षा और तक़नीक के ज्ञान से वंचित महिला कृषकों पर हाल के वर्षों में अन्य अनेक सामाजिक-आर्थिक कारकों का भी विपरीत प्रभाव पड़ा है। इच्छा और उत्सुकता के बावजूद वे प्रायः नयी तक़नीक, नवाचार और बाज़ार के अवसरों का उचित लाभ नहीं उठा पातीं। महिलाओं को कृषि में जिन अभावों और अवसरों का सामना करना पड़ता है, वे देश की कृषि-पारिस्थितिकी और भौगोलिक क्षेत्रों पर निर्भर होता है। अनेक नीतिगत सुधारों और बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप के बाद भी महिलाओं के अधिकारों और सम्मान पर जिस प्राथमिकता से ध्यान दिया जाना चाहिए वह नहीं हो सका है।

भारत की पहल

यह स्वीकार करते हुए कि महिलाओं के ज्ञानवर्धन से ग्रामीण भारत का रूप बदल सकता है, भारत में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं, वे इस प्रकार हैं :

- ग्राम पंचायतों में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित कर दी गई हैं। अनेक राज्यों के यह हिस्सेदारी बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया है।
- भारत ऐसा पहला देश है जिसने कृषि में महिलाओं की भूमिका को स्वीकारते हुए काफी पहले 1996 में ही भुवनेश्वर में राष्ट्रीय महिला कृषि अनुसंधान केंद्र (एनआरसीडब्ल्यूए) की स्थापना की थी।

भुवनेश्वर स्थित यह केंद्र कृषि प्रणालियों में महिलाओं के प्रभाव के पहचान के तौर-तरीक़ों और विभिन्न उत्पादन प्रणालियों के अंतर्गत विशेष रूप से महिलाओं के काम की तक़नीक के विकास में लगा हुआ है। कृषि और घरेलू अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका और महत्व संबंधी अध्ययन की केंद्र की सबसे महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल हैं :

- पूर्वी भारत में महिला कृषकों हेतु प्रसार (शिक्षा) पद्धतियों का विकास,
- विशेष रूप से महिलाओं के काम के कृषि कार्यों का मानकीकरण,
- महिला कृषकों की व्यवसायगत परेशानियां (समस्याएं),
- बीज और अनाज़ की भंडारण पद्धतियों में सुधार,
- उन्नत उपकरणों और तक़नीक के उपयोग के ज़रिये महिलाओं की दिक्कतों को कम करना,
- भीषण चक्रवात प्रभावित तटवर्ती पर्यावरणीय-प्रणाली का प्रबंधन,
- पौष्टिक और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु जल कृषि (मत्स्यपालन आदि) में महिलाओं को शामिल करना,
- कृषि और पशुपालन से आय के स्रोत पैदा करने हेतु स्वसहायता समूहों को लामबंद करना और
- बाज़ार की सुविधा और कौशल में सुधार।

इन सबके अतिरिक्त निर्णय लेने की क्षमताओं के विकास के साथ-साथ पारिवारिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में ज्ञानवर्धन हेतु भी स्वसहायता समूह की भूमिका भी केंद्र के अध्ययन का एक महत्वपूर्ण अंग है।

महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु अपनाई गई रणनीतियों में ज्ञान के प्रसार हेतु तक़नीकी किट और मीडिया के विभिन्न साधनों के उपयोग की रणनीति; सॉफ्टवेयर का विकास; प्रेरक कार्यक्रमों का आयोजन; जनसंचार साधनों के माध्यम से लोगों तक पहुंचने के कार्यक्रमों का आयोजन; प्रत्येक एआईसीआरपी केंद्र द्वारा एक-एक गांव को गोद लेना और सामाजिक रूप से न्यायसंगत, आर्थिक रूप से व्यावहारिक एवं सक्षम तथा पर्यावरण की दृष्टि से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण हेतु समर्थ, जन केंद्रित, आत्मनिर्भर और संपोषणीय विकास के लिए सहभागीय ग्रामीण मूल्यांकन तक़नीकों का उपयोग सम्मिलित है।

सशक्तीकरण प्रक्रिया को शैक्षिक हस्तक्षेप, तक़नीकी हस्तांतरण, संभाव्यता अध्ययन और ज्ञान के आदान-प्रदान से सुदृढ़ बनाया जाता है।

एनआरसीडब्ल्यूए, आईसीएआर के अन्य संस्थानों और कृषि विज्ञान केंद्रों ने थकाऊ और उबाऊ श्रम से बचाने वाले उपकरण मुहैया कराकर महिला को राहत देने संबंधी अनुसंधानों पर अपना ध्यान केंद्रित किया है। इसके साथ ही, विभिन्न प्रकार के व्यवसाय के लिए आवश्यक कौशल सिखाने के वास्ते व्यावसायिक प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। कृषि विकास केंद्रों में 20 हज़ार से अधिक महिला कृषकों, लड़कियों और महिला विस्तार कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।

एआईसीआरपी ने गृह विज्ञान पर जो ज़ोर दिया है उससे महिलाओं को सूक्ष्म स्तर पर नियोजन, परियोजनाओं से लाभ प्राप्त करने के लिए सूचना के प्रसार और सामुदायिक संसाधनों (मानवीय और भौतिक) को जुटाने के लिए सामुदायिक संरचना की रूपरेखा तैयार करने का प्रोत्साहन मिला है।

प्रयोगों और अनुभव-सिद्ध प्रमाणों से स्पष्ट है कि सशक्तीकरण को आकार देने में महिलाओं की भूमिका अब लाभार्थी की नहीं बल्कि सहभागी की हो गई है।

कृषि में महिलाओं की भूमिका को स्वीकार करते हुए डॉ. स्वामीनाथन ने राज्यसभा में महिला कृषक हक़दारी विधेयक, 2011 पेश करने का प्रस्ताव किया है। विधेयक में महिला कृषकों के अनुकूल वातावरण तैयार करने के लिए पानी, कर्ज़ और संसाधनों की सुलभता सुनिश्चित करने के साथ-साथ उनको पट्टा देने की बात कही गई है।

पिछले दिनों भारत में आयोजित कृषि में महिलाओं पर केंद्रित वैश्विक सम्मेलन में छोटी जोत वाले ग़रीब किसानों, विशेषकर महिला कृषकों की आजीविका और संपोषणीय विकास

की उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए व्यवस्था में मौजूदा खामियों को दूर करने हेतु अनुसंधान कार्यक्रमों में आमूल परिवर्तन का सुझाव दिया गया। सम्मेलन का उद्देश्य था कि एक कार्रवाई पद्धति 'फ्रेमवर्क फॉर एक्शन' तैयार की जाए जिससे समावेशी विकास एवं प्रगति के लिए महिलाओं को एकजुट और सशक्त बनाया जा सके। कृषि में महिलाओं पर वैश्विक भागीदारी कार्यक्रमों के ज़रिये इस लक्ष्य को हासिल किया जा सकेगा।

महिला कृषकों को प्रभावी ढंग से सशक्त और समर्थ बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाए जाने की आवश्यकता है :

सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा सशक्त हस्तक्षेप की आवश्यकता है ताकि अधिक-से-अधिक महिलाओं को ज़मीन के पट्टे मिल सकें, जैसाकि उपर्युक्त सम्मेलन में सुझाया गया है। विभिन्न देशों और देश के अलग-अलग क्षेत्रों में 'कृषि में महिलाओं की हिस्सेदारी के लिए कृषक महिलाओं का एक मंच' (जेंडर इन एग्रीकल्चर प्लेटफार्म फॉर जेंडर इन एग्रीकल्चर पार्टनरशिप-जीएपी4जीएपी) गठित करने की आवश्यकता है। इस प्रकार के मंच के माध्यम से महिला किसानों की समस्याओं का समाधान करने में आईसीएआर की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होगी।

सम्मेलन में विचार-विमर्श के दौरान जो अन्य बातें उभरकर सामने आईं उनमें महिला कृषकों के पूर्ण सशक्तीकरण के लिए सभी बिंदुओं का कार्यान्वयन शामिल है। महिलाओं की भूमिका की दृश्यता में विस्तार तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुकूल वैश्विक मुद्दों के समर्थन के लिए ज्ञान और प्रमाण का सृजन इनमें प्रमुख हैं। अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने के लिए और अधिक नीतिगत समर्थन तथा संस्थागत व्यवस्था की आवश्यकता है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता है ताकि आगे बढ़ने के लिए वे मिलकर एक मंच पर आ सकें।

लगभग 36 प्रतिशत छात्राएं राज्यों के कृषि विद्यालयों के विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत हैं। उनको समुचित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है ताकि उनकी क्षमता का निर्माण हो सके और वे महिला कृषकों को प्रेरित करने की भूमिका बेहतर ढंग से निभा सकें।

डॉ. स्वामीनाथन के सुझाए पांच-सूत्री कार्यक्रम पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इससे कृषि को महिलाओं के लिए बौद्धिक रूप से प्रेरक और आर्थिक दृष्टि से लाभदायक बनाया जा सकेगा। इनमें 1. भूमि, जल और जीन की देखभाल, 2. तक़नीक और संसाधन, 3. ऋण और बीमा, 4. फ़सलोत्तर प्रबंधन और 5. लाभप्रद बाज़ार के अवसर शामिल हैं। आईसीएआर और एनआरसीडब्ल्यूए के संस्थानों में विकसित प्रौद्योगिकियों, अभिनव प्रयोगों और विचारों का व्यापक प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण महिलाएं उनका पूरा लाभ उठा सकें। खेद की बात है कि यह काम बहुत धीमी गति से हो रहा है।

महिलाओं को एकजुट करने, उनके समूह बनाने, तक़नीकी, संगठनात्मक और वाणिज्यिक क्षमता और सामर्थ्य में सुधार के लिए पर्याप्त संसाधनों के साथ नये कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की जानी चाहिए। ये कार्यक्रम महिलाओं और अन्य संगठनों के साथ परामर्श से बनाए जाने चाहिए। इससे सरकार के कृषि विभागों के प्रयासों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

बैंकों ने 31 मार्च, 2010 तक एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के तहत विशेष रूप से महिलाओं के लिए गठित 38,97,797 स्वसहायता समूहों की सहायता की है। स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोज़गार योजना जैसे सरकार-प्रायोजित कार्यक्रमों के अंतर्गत बैंकों ने 25,13,152 महिला स्वसहायता समूहों को आर्थिक सहायता दी है। इन स्वसहायता समूहों में जो महिलाएं शामिल हैं उनमें से अधिकांश कृषि-श्रमिक, लघु और सीमांत कृषक हैं। कृषि और पशुपालन में उनका काफी अनुभव है। उनको प्रशिक्षित करने तथा महिला कृषक के रूप में सशक्त बनाने के प्रयासों पर ज़ोर देना चाहिए।

महिला सशक्तीकरण

यह जानकर खुशी होती है कि एनआरसीडब्ल्यूए, केवीके और आईसीएआर के संस्थानों ने अनेक शोध कार्यक्रम हाथ में लिए हैं और कृषि में लगी महिलाओं को अनेक सुविधाएं सुलभ कराई हैं। उन्हें महिला सशक्तीकरण को सही अर्थों में सशक्त बनाने की आवश्यकता है। इसका संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

शामिल हैं- महिलाओं को निर्णय लेने का प्रभावी अधिकार/शक्ति देना और आर्थिक, सामाजिक तथा नागरिक स्वतंत्रता के साथ दूसरों के निर्णयों को प्रभावित करने का अधिकार। सशक्तीकरण की परिभाषा में ही अधिकार के उपयोग की क्षमता में वृद्धि निहित होती है। भारत में और अधिकांश विकासशील देशों में भी महिलाओं को पुरुषों से हेय समझा जाता है और उनके साथ वैसा ही बर्ताव किया जाता है। चूंकि महिलाओं और पुरुषों का जीवन असमानता के तंत्र में उलझा हुआ है, दोनों के बीच असमानता को दूर करना महिलाओं के सशक्तीकरण का सही तरीक़ा है। दूसरे शब्दों में, आय, कौशल और आत्मविश्वास में वृद्धि जैसे परिवर्तन, ज़्यादा-से-ज़्यादा महिलाओं के सशक्तीकरण को बढ़ावा देने वाले साधन भर कहे जा सकते हैं। परंतु महिलाओं को सही अर्थों में सशक्त और समर्थ बनाने के लिए ज़रूरी है कि पहले उन्हें अपने घर में अधिकार मिले। यह प्रक्रिया घर और बाहर, साथ-साथ चलानी होगी। परिवार में और कार्यस्थल में भी, उन्हें पुरुषों के समान ही अधिकार मिलना चाहिए। महिला सशक्तीकरण का सबसे व्यापक तत्व है उन्हें सामाजिक पद, प्रतिष्ठा और न्याय प्रदान करना। महिला सशक्तीकरण के प्रमुख लक्षण हैं- शिक्षा, सामाजिक असमानता और स्थिति, बेहतर स्वास्थ्य, आर्थिक अथवा वित्तीय सुदृढ़ता और राजनीतिक सहभागिता। भारत में महिलाओं की बड़ी संख्या, लगभग 56 प्रतिशत निरक्षर है, जबकि ऐसे पुरुष केवल 24 प्रतिशत ही हैं जो निरक्षर हैं। इसी से दोनों में असमानता का स्तर स्पष्ट हो जाता है। अगले पांच वर्षों की समय सीमा में महिला साक्षरता उल्लेखनीय वृद्धि होनी चाहिए। बालिका शिक्षा, हाल ही में बने शिक्षा का अधिकार कानून का अभिन्न अंग है। इससे महिला साक्षरता दर अगले पांच वर्षों में पुरुष साक्षरता दर के बराबर लाने में मदद मिलने की आशा है। इसके अतिरिक्त, गांवों में प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम भी चलाए जाने चाहिए ताकि अधिकाधिक महिलाओं को साक्षर और शिक्षित बनाया जा सके। ❑

(लेखक बैंक ऑफ बड़ौदा में उप महाप्रबंधक रह चुके हैं और वर्तमान में ग्रामीण ऋण के अंतरराष्ट्रीय परामर्शदाता हैं।

ई-मेल : dramritpatel@yahoo.com)

हिन्दी माध्यम का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

निर्माण IAS

Give the best ... Take the best

by कमल देव (K.D.) सफलता का पर्याय

नया दौर, नई चुनौती..... नई रणनीति

सफलता का सफर

Saroj Kr.
AIR - 22
2007-08

Bahnu Ch.
AIR - 33
2008-09

Jai Prakash
AIR - 09
2009-10

Sadanand
BPSC Rank - 02
IPS - 2010-11

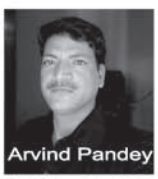
Arvind Pandey
UK. PCS
Rank - 01

Neeraj
Kumar Singh
AIR-11
2011-12

महिलाओं में सर्वोच्च स्थान (हिन्दी माध्यम)

AIR - 160

हिन्दी माध्यम में सर्वाधिक परिणाम संस्थान में

Sanjeev Kumar	58	Afsar Ali	667
Praveen Singh	107	Prabhakar Prabhat	673
Praveen Laxkar	116	Shama Praveen	685
Dr. Satendra	166	Raghuvees S. Charah	687
Shiv Raj Dayal	271	Amit Goyal	778
Devesh Kumar	335	Dileep Kr. Shukla	780
Yogendra Singh	483	Ashwini Kr. Pandey	805
Balram Meena	540	Sukhbir S. Badhel	819
Hemraj	598	Vijay Singh	847
Yamuna Prasad	599	Jitendra Meena	854
Abhishek Jain	607	Chetna Meena	857
Devanand Yadav	608	Kavita Meena	865
Saket Ranjan	635	Kripa Shankar	883
Avanish	659	Ajeet Kumar	895
Dileep Kr. Rathore	662		

सामान्य अध्ययन

Batch Start from

प्रथम बैच 1st जून, द्वितीय बैच 13th जून

Batch Start from

इतिहास 15th जून | CSAT 20th जून

Batch Start from

भूगोल 13th जून | लोक प्रशासन 14th जून

TEST SERIES (मुख्य परीक्षा हेतु) 20 जून, 2012

पाणिनि संस्कृत साहित्य द्वारा कैलाश बिहारी (9312100162)

कक्षा प्रारम्भ 28 मई 7:00 am

IAS/PCS
NET/JRF/
KV/DSSSB

HEAD OFFICE 12, Mall Road, Hudson Lane, Kingsway Camp, Delhi-9

CLASS ROOM 624, IInd Floor, Mukherjee Nagar (Near Aggarwal Sweet) Delhi-9

पत्राचार कार्यक्रम उपलब्ध (9990765484)

Website:- www.nirmanias.com / Nirman - 5242 पर SMS करें

Ph. : 011-47058219, 9990765484, 9891327521

YH-40/2012

राष्ट्रीय महिला आयोग
सशक्तीकरण के 20 वर्ष

● ममता शर्मा

राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) ने महिला सशक्तीकरण के 20 वर्ष सफलतापूर्वक पूरे कर लिए हैं। इस आयोग ने महिला सशक्तीकरण के लिए अथक प्रयत्न किए हैं। यह राष्ट्रीय स्तर की एक शीर्ष संस्था है जिसका गठन 31 जनवरी, 1992 को एनसीडब्ल्यू अधिनियम 1990 के अनुसरण में एक सांविधिक निकाय के रूप में किया गया था। इसका उद्देश्य भारत में महिलाओं के हितों की रक्षा करना है।

एनसीडब्ल्यू को व्यापक जनादेश मिला हुआ है और यह महिला विकास के लगभग हर पक्ष पर काम करता है। यह महिलाओं को मिले कानूनी अधिकारों से जुड़े सभी मुद्दों की मॉनिटरिंग करता है और उनके अध्ययन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह मौजूदा कानूनों की समीक्षा करता है और जहां भी उसे कोई कमी या ज़रूरत दिखाई देती है, तो संशोधन के सुझाव देता है। नये कानून बनाने के लिए भी आयोग अपने सुझाव प्रस्तुत करता है। यह आयोग जनता से मिलने वाली शिकायतें भी सुनता है और अगर महिलाओं के अधिकार-वंचना के कोई मामले उसकी नज़र में आते हैं, तो वह खुद भी उनका संज्ञान लेते हुए कार्यवाही करता है और ज़रूरत पड़ने पर महिलाओं को समर्थन, कानूनी सहायता देता है। यह आयोग महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए बनाए गए सभी कानूनों के सही कार्यान्वयन की मॉनिटरिंग भी करता है ताकि जनजीवन में समानता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके। इस आयोग का प्रारंभिक जनादेश महिलाओं को दिए गए संवैधानिक एवं कानूनी अधिकारों की रक्षा करना है। इसी उद्देश्य से यह आयोग उनकी समीक्षा करता है और जहां भी ज़रूरी होता है कानूनी उपायों के सुझाव देता है। यह शिकायतें सुनता है और महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों में सरकार को सलाह देता है।

महिला आयोग की संरचना और कार्य

राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अनुसार इस आयोग की एक अध्यक्ष और एक सदस्य सचिव और पांच गैर-सरकारी सदस्य होंगी। आयोग का कार्य मुख्यत: चार हिस्सों में विभाजित कर दिया गया है। इनके नाम हैं शिकायत एवं छानबीन कक्ष, विधिक कक्ष, एनआरआई कक्ष तथा शोध और अध्ययन कक्ष। इस आयोग की सभी गतविधियां इन्हीं कक्षों के माध्यम से संचालित की जाती है।

शिकायत और छानबीन कक्ष इस आयोग का एक महत्वपूर्ण अंग है। यह प्राप्त होने वाली जबानी और लिखित शिकायतों तथा अख़बार में छपी ख़बरों पर कार्यवाही करता है और 1990 के राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम के अंतर्गत उनपर कार्यवाही करता है। अगर अपराध गंभीर किस्म के होते हैं, तो यह आयोग जांच समितियां बिठा देता है जो मौके पर जाकर जांच करती हैं, गवाहों से बात करती हैं और सबूत इकठ्ठा करके अपनी सिफ़ारिशों सहित रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार की छानबीन घरेलू हिंसा और जुल्म की शिकार महिलाओं को न्याय और तुरंत राहत दिलाने में मददगार साबित होती है। यह आयोग जांच समितियों की सिफारिशें लागू करने पर भी नज़र रखता है और जब भी ज़रूरी होता है संबद्ध राज्य सरकार/प्राधिकारियों से संपर्क करता है।

अपने जनादेश को ध्यान में रखते हुए इस आयोग ने महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए अनेक प्रकार के क़दम उठाए हैं जिनसे उनका आर्थिक और सामाजिक सशक्तीकरण होता है। आयोग की अध्यक्ष, सदस्य तथा अधिकारीगण देश के विभिन्न भागों का दौरा करते हुए बैठकों/विचार गोष्ठियों/कार्यशालाओं/जनसुनवाइयों में शामिल होती हैं और गैर सरकारी संगठनों से भी संपर्क रखती हैं। विश्वविद्यालयों में खुले हुए महिला अध्ययन केंद्रों से भी आयोग का संपर्क रहता है और वह महिलाओं के ख़िलाफ़ हुई ज्यादती के मामलों की छानबीन करवाता है। इसके अलावा यह जेलों और अस्पतालों का दौरा करके महिला कैदियों और महिला रोगियों के बारे में जानकारी इकठ्ठा करता है और शिकायतें दूर करने के लिए सिफ़ारिशें करता है। यह आयोग अनेक गैर-सरकारी संगठनों

और विश्वविद्यालयों के महिला अध्ययन केंद्रों द्वारा आयोजित महिला अधिकार गोष्ठियों में शामिल होता है और उनके द्वारा चलाए गए विधिक चेतना शिविरों में भाग लेता है। ऐसा करने से उसे समस्याओं के बारे में नयी जानकारियां मिलती हैं और वह ज़रूरी क़दम उठा पाता है तथा संबद्ध अधिकारियों से संपर्क कर सकता है।

शिकायतों की सुनवाई

आयोग को बड़ी संख्या में शिकायतें प्राप्त होती हैं और तेज़ी से न्याय दिलाने के उद्देश्य से यह खुद भी जांच समितियां नियुक्त करके अनेक मामलों में स्वत: कार्यवाही करता है। आयोग ने कानूनी जागरुकता कार्यक्रम प्रायोजित किया है, पारिवारिक महिला लोक अदालतें चलाई हैं और विचार गोष्ठी/कार्यशाला/सलाह मशविरा आयोजित करता है ताकि कन्या भ्रूण हत्या की प्रथा रोकी जा सकें महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा रुके, बाल विवाह पर रोक लगे और साथ ही इन मुद्दों पर महिलाओं में जागरुकता बढ़े।

कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न की शिकायतों के बारे में संबद्ध संगठन/विभाग से आग्रह किया जाता है कि वे उच्चतम न्यायालय के फ़ैसले के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति गठित करें। महिलाओं के ख़िलाफ़ उत्पीड़न की जो भी शिकायतें मिलती हैं उनमें अधिकांश घरेलू हिंसा, दहेज मांगने और उत्पीड़न, जुर्म, हत्या, बलात्कार एवं बंधक बनाने जैसी होती हैं। एनआरआई/एनआरआई विवाहों से संबंधित शिकायतें भी प्राप्त होती हैं जिनमें स्त्री त्याग, बहुविवाह, बलात्कार, पुलिस उपेक्षा, उत्पीड़न, निर्दयता और महिला अधिकारों से वंचित करना तथा लिंग के आधार पर भेदभाव और परेशान करने जैसी बातें शामिल हैं।

आयोग ने 2009 में राष्ट्रीय स्तर की एक केंद्रीय समन्वय एजेंसी बनाई है जो देश-विदेश से शिकायतें प्राप्त करती है। भारतीय महिलाओं को भारतीय पतियों द्वारा छोड़ देने के चलते देश से बाहर उनके फंस जाने जैसे मामलों में मदद करने के लिए 24 सितंबर, 2009 को महिला आयोग में एक एनआरआई कक्ष का उद्घाटन किया गया। इस कक्ष में मिलने वाली शिकायतों में महिला अधिकारों से वंचित करने और महिलाओं के प्रति अन्याय जैसे मामले शामिल होते हैं। इस कक्ष की स्थापना के बाद से 31 मार्च, 2012 तक 933 मामले दर्ज़ किए जा चुके हैं। ऐसी ज़रूरत महसूस की गई है कि विदेशों में त्याग दी गई महिलाओं को वित्तीय/कानूनी सहायता देने के लिए चलाई जा रही योजना की समीक्षा की जाए। इस आयोग ने इस योजना में संशोधन प्रस्तावित किए हैं जिनसे यह योजना महिलाओं के लिए अधिक कल्याणकारी हो सकेगी।

हाल के उपाय

इस आयोग ने महिलाओं में जागरुकता लाने के अनेक उपाय किए हैं ताकि गरिमापूर्ण जीवन के लिए उनमें क्षमता निर्माण किया जा सके और पुलिस कर्मचारियों को ऐसे मामलों के प्रति संवेदशनशील बनाया जा सके। इस उद्देश्य से किए गए उपायों में 'हिंसा मुक्त गृहस्थी महिला का अधिकार है, जागो' तथा अनेक संगठनों के साथ भागीदारी के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन शामिल हैं।

राजस्थान में वर्ष 2011 में महिला अधिकार अभियान शुरू किया गया। इसके अंतर्गत राजस्थान, पंजाब और ऐसे ही कुछ राज्यों में नुक्कड़ नाटक तथा वात्सल्य मेले आयोजित किए गए। आयोग के अनेक प्रकाशन भी है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला सशक्तीकरण के लिए ही नहीं बल्कि उनके विकास, स्वास्थ्य-चर्या और शिक्षा के लिए भी काम किया है। महिलाओं पर होने वाले जुर्म घटाने के उद्देश्य से इस आयोग और पुलिस तथा मीडिया के बीच संवाद कायम रहना चाहिए। आयोग *राष्ट्र महिला* नाम का एक न्यूजलेटर निकालता है जिसमें आयोग की गतिविधियों को उजागर किया जाता है तथा आयोग के सामने प्रस्तुत शिकायतों से संबंधित सफलता की कहानियां छापी जाती हैं। अदालत के महत्वपूर्ण फैसले जिनका महिला कल्याण से सीधा संबंध होता है, इस पत्रिका में छापे जाते हैं।

विदेशों से आए अनेक प्रतिनिधिमंडल आयोग का दौरा कर चुके हैं। यहां आकर उन्होंने इस आयोग की कार्यविधि और महिलाओं के हित साधन के तौर-तरीके देखे हैं और भारत में महिला राजनीति और उनके सशक्तीकरण को समझने की कोशिश की है।

सलाह-मशवरा, जनसंपर्क कार्यक्रम और शोध गतिविधियां

आयोग महिलाओं से संबंधित विषयों पर शैक्षणिक और संवर्धन कार्यक्रम चलाता है और जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व से संबंधित सुझाव देता है। यह आयोग उन कारणों की भी पहचान करता है जो महिलाओं की प्रगति में बाधक हैं। अगस्त 2011 से फरवरी 2012 तक इस आयोग ने राष्ट्रीय व क्षेत्रीय विचार गोष्ठियां, सम्मेलन और कार्यशालाएं संचालित की। इसके अलावा 941 विधिक जागरुकता शिविर आयोजित किए गए। ये शिविर 'चलों गांव की ओर' कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किए गए। आयोग ने 290 जनसुनवाई/जागरूकता कार्यक्रम, 80 पारिवारिक महिला लोक अदालतें और 96 अनुसंधान अध्ययन भी प्रायोजित किए।

जिन विषयों पर आयोग ने विचार गोष्ठियां, सम्मेलन, सलाह-मशवरा आयोजित किए उनमें से कुछ हैं 'किराए की कोख' और ऐसी ही पुनरुत्पादक तकनीकें, मीडिया में महिलाओं को ठीक ढंग से प्रतिबिंबित न किया जाना, बलात्कार की शिकार महिलाओं को मुआवज़ा, रात्रि पालियों में महिलाओं की ड्यूटी, विवाह संबंधी कानून, डायन बताकर महिलाओं पर ज़ुल्म ढाना, घरेलू हिंसा और महिला सशक्तीकरण, पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं के अधिकार, बाल विवाह और एनआरआई विवाह, महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने का अधिनियम, दहेज निषेध अधिनियम 1961, महिलाओं में परिवर्तन, चुनौतियां आदि, भारत में मानव तस्करी निवारण, निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी आदि। घरेलू हिंसा प्रसव से पूर्व लिंग चयन, महिलाओं की घटती संख्या, मातृ स्वास्थ सेवा, पूर्वोत्तर क्षेत्र में महिलाओं पर सशस्त्र संघर्ष का प्रभाव, महिला अधिकार, मुसलिम महिला, पंचायती राज निकायों में महिलाओं की भूमिका, बाल विवाह आदि। इस आयोग की अध्यक्ष और सदस्य कोटा जेल के दौरे पर गईं। तिरुअनंतपुरम्, पुदुचेरी, बंगलुरु सेंट्रल और लखनऊ की नारी बंदी निकेतन तथा बांदा जिला जेल और गोवा जेल का भी उन्होंने दौरा किया। अलीपुर स्थित करेक्शनल होम और महाराष्ट्र की येरवाड़ा महिला जेल भी जाकर आयोग की अध्यक्ष ने अधिकारियों से उपयुक्त सिफारिशें कीं।

राष्ट्रीय सहायता सेवा

राष्ट्रीय महिला आयोग ने इस वर्ष अप्रैल में अहमदाबाद और गुजरात में महिलाओं के लिए नि:शुल्क हेल्पलाइन शुरू कर दी है। यह 24 घंटे और सातों दिन काम करती है। यह हेल्पलाइन एक स्वयंसेवी संगठन- अहमदाबाद वूमेन एक्शन ग्रुप द्वारा चलाई जाती है। यह सहायता सेवा आजमाइश के तौर पर शुरू की गई है।

आयोग की 20 वर्षों के दौरान

उपलब्धियां

इस आयोग ने पिछले 20 वर्षों में अनेक कानूनों की समीक्षा की है और नये कानून बनाने की सिफारिश की है। निम्नलिखित कानूनों में संशोधन सुझाए जा चुके हैं-

- घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं को सुरक्षा दिलाने हेतु कार्यान्वयन
- अशालीन महिला प्रतिनिधित्व (निषेघ) अधिनियम, 1986
- कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न निषेध विधेयक, 2010
- यौन हिंसा विधेयक
- घरेलू कर्मचारी कल्याण और सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2010
- भरण-पोषण से संबंधित आईपीसी 125 में संशोधन का प्रस्ताव
- विवाह योग्य आयु और
- पीडब्ल्यूवीई अधिनियम, टेनेंसी राइट में संशोधन का प्रस्ताव
- एमटीपी कानून पर केंद्रीय कानून की समीक्षा।
- दिल्ली पुलिस के साथ 2008 में हस्ताक्षरित समक्षौता ज्ञापन के अंतर्गत घर बचाओ, परिवार बचाओ परियोजना शुरू की गई थी। इस परियोजना की अवधि को दिल्ली के सभी जिलों में 31 मार्च, 2012 तक बढ़ा दिया गया है।
- 2009 में इस आयोग को भारतीय महिलाओं से संबंधित सभी शिकायतें प्राप्त करने और उन पर कार्यवाही करने के लिए राष्ट्रीय स्तर की केंद्रीय समन्वयन एजेंसी बनाया गया था। इसका काम ख़ासतौर से विदेशों से भारतीय पतियों द्वारा त्याग दी गई महिलाओं की शिकायतें निपटाना था। इस संबंध में 24 सितंबर, 2009 में एक एनआरआई कक्ष का उद्घाटन किया गया।
- यूएनआईएफईएम के साथ जनवरी 2010 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिसका उद्देश्य मानव तस्करी रोकना था।

नये विधेयक के मसौदे की सिफारिश

- इज्जत के नाम अपराध की परंपरा विधेयक, 2010 के अंतर्गत अपराधों को रोकना।
- तेज़ाब से हमले की शिकार महिलाओं को राहत और पुनर्वास ।
- बलात्कार की शिकार महिलाओं को राहत और पुनर्वास।
- राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकारों को समान सहायता देने की एक केंद्र प्रायोजित योजना का प्रस्ताव किया है जिसका उद्देश्य विशेष और स्वतंत्र सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करना है जो पीडब्ल्यूडीवीए के कार्यन्वयन में कर्मचारियों की सहायता करेंगे।

पिछले 20 वर्षों के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग महिलाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में समानता के अधिकार दिलाने के लिए प्रत्यनशील रहा है। इसके लिए इस आयोग ने उन्हें समुचित अधिकार दिलाए हैं, हक़दारी दिलाई है और इन उद्देश्यों के लिए समुचित नीतियां और कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने में मदद की है।

निष्कर्ष के रूप में विश्वास है कि महिला सशक्तीकरण से महिलाओं के ख़िलाफ़ होने वाले जुर्म कम होंगे और उन्हें अपने अधिकारों के प्रति बेहतर जानकारी मिल जाने से शक्ति प्राप्त होगी। राष्ट्रीय महिला आयोग अपने जनादेश के अनुरूप महिलाओं के कानूनी, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लक्ष्य प्राप्त करने और उनके सशक्तीकरण के लिए वचनबद्ध है। कुछ सुधार दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन इस दिशा अब भी बहुत कुछ करना बाकी है। ❑

(लेखिका राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं।

ई-मेल : chairperson_ncw@nic.in)

IAS PCS JRF NET

संवाद IAS

...सफलता का पर्याय

हिन्दी साहित्य

भारत वर्ष में → प्रत्येक वर्ष → सर्वोच्च अंक → 'संवाद' से

अजय कुमार C.S 08-09:202+167=369
अमित C.S 09-10:179+203=382

अजय कुमार C.S 10-11:386
संजय कुमार C.S 10-11:197+159=356
अमिताभ BPSC 304 (74%)

निःशुल्क संवाद/नए बैच हेतु रजिस्ट्रेशन प्रारंभ

दिल्ली केन्द्र (मुखर्जी नगर)
प्रथम बैच
25 May 6 P.M.
द्वितीय बैच
14 June 6 P.M.

पटना केन्द्र (पंडुई कोठी, बोरिंग रोड)
16 मई 10 A.M.
7 जून 10 A.M.

संभावित प्रश्नों की Answer Formating + मॉडल उत्तर

CRASH COURSE 1 माह
WEEKEND बैच+टेस्ट सिरीज (SAT/SUN)

टेस्ट सिरीज पूजी Answer Format
निबंध टेस्ट+कक्षाएँ (प्रत्येक शनिवार)

सामान्य अध्ययन
कक्षा प्रारंभ : मुख्य परीक्षा के बाद

CSAT + G.S :
FOUNDATION COURSE

पत्राचार पाठ्यक्रमः- अद्यतन Printed and class Notes के साथ। टेस्ट सिरीज की भी व्यवस्था है। दिल्ली से बाहर रहकर भी आप अपनी प्रगति एवं मूल्यांकन की जांच टेस्ट सिरीज के माध्यम से भी संवाद स्थापित कर सकते है। हिन्दी साहित्य एवं निबंध हेतु आप पुरी तरह हमारे Notes पर निर्भर हो सकते हैं। सामान्य अध्ययन हेतु Notes के अतिरिक्त, समसामयिकी पत्रिका एवं सामाचार पत्रों का भी सहारा लें।

SC/OBC/ महिला/गरीब मेघावी छात्रों हेतु
शुल्क में रियायत PCS की कक्षाएँ नोट्स एवं मॉडल उत्तर भी।

107/307, ज्योति भवन, मुखर्जी नगर, दिल्ली-09
011-27654187,09213162103,09891360366

YH-31/2012

THE COUNCIL

An ISO 9001:2008 Certified For Civil Services

Delhi
Allahabad
Patna
Jaipur
Dhanbad

सामान्य अध्ययन with CSAT

Foundation Course for the beginners

GS - **Kumar Gaurav, V.K. Tripathi, Rameshwar ...**

CSAT - **A.K. Pandey, Biplab Ghosh, Sujeet Kumar...**

Delhi :
14 June, 9:00 AM

Allahabad
14 June, 8:00 AM, 4:00 PM

OPTIONALS — DELHI

भूगोल - कुमार गौरव
Delhi- 14 June, 12:00 PM
Allahabad- 21 June, 12:00 PM

ECONOMICS- Rameshwar
4 June, 3:30 PM

PALI – विषय विशेषज्ञ
25 May, 9:00 AM

English Compulsory
for All Competitive Exams.
Biplab Ghosh
7 June, 8:00 AM
Most Extensive Course for Beginners

Selective Learning Prog. (SLP)

Reasoning	Maths/D.I.	Economy for GS Mains	Stats for GS Mains
A.K. Pandey	Sujeet Kumar	Rameshwar	S.K. Seth

JUNE SECOND WEEK

Allahabad

Optional

14 JUNE

दर्शनशास्त्र (9:00 AM)

इतिहास (5:00 PM) नीरज श्रीवास्तव

लोक प्रशासन (8:00 AM) विनय कुमार सिंह

हिन्दी साहित्य (11:00 AM) अजय अनुराग

Patna

सामान्य अध्ययन
कुमार गौरव के निर्देशन में
28 JUNE 11:30 AM

CSAT
ए.के. पाण्डे के निर्देशन में
लोक प्रशासन **4 JUNE** 5:00 PM
MATHS/REASONING/ENGLISH
ALL COMPETITIVE EXAMS.

OTHER CENTRE CONTACT : H.O. DELHI - 011-47048780, 9899457549

ALLAHABAD : 9415217610 PATNA : 9835876750, 9334492665 JAIPUR : 0141-2595526

Delhi : A-19, 3rd Floor, Priyanka Tower, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-9, Ph. 011-47048780, 9899457549
Allahabad : *Endeavour* - 573, Mumford Gunj, Near Nigam Chauraha, Allahabad, Ph. 09415217610
Patna : *Branch 1:* 3rd Floor, Gopal Market, Naya Tola, Patna - 800004, Ph.: 9835876750
Branch 2: M 2/6, 2nd Floor, Opposite Jamuna Apartment, Boring Road, Patna-1, Ph.: 9334492665
Jaipur : Gali No. 7 Barkat Nagar Near Tonk Phatak (garg Book Depot) 0141 -2595526 (9988457549)
Dhanbad : The Assure : Near BJP Office, J.C. Mallick Road, Hirapur, Dhanbad, Ph. 9334315370,9835567353

Visit us at : www.thecouncil.in, Email. thecouncil.in@gmail.com prashantsharmaias@gmail.com

YH-27/2012

भारतीय राज्यों में स्त्री सशक्तीकरण

● अरुंधती चट्टोपाध्याय

सशक्तीकरण एक बहुआयामी धारणा है और इसका संबंध लोगों की सामाजिक उपलब्धियों, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता से जुड़ा होता है। इसके साथ ही, सशक्तीकरण एक सतत प्रक्रिया भी है और इसकी कोई अंतिम सीमा नहीं। कोई भी व्यक्ति अपने आप में पूर्ण रूप से सशक्त नहीं हो सकता। जटिल और गतिशील प्रकृति के कारण किसी भी वैकासिक अध्ययन में सशक्तीकरण को परिभाषित करना और उसको मापना एक चुनौती है। महिलाओं के मामले में तो यह और भी चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि महिलाओं के साथ दीर्घकाल से भेदभाव होता रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ है कि समाज में लैंगिक असमानता अर्थात स्त्री-पुरुषों के बीच असमानता बढ़ती गई है।

महिला सशक्तीकरण की परिभाषाएं संसाधनों पर नियंत्रण अथवा शक्ति हासिल करने (भौतिक और वित्तीय दोनों) और महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करने वाले निर्णय लेने की क्षमताओं पर बल देती हैं। महिला सशक्तीकरण की कोई सार्वभौमिक परिभाषा नहीं है। विभिन्न अध्ययनों में लक्ष्यों और क्षेत्र के आधार पर महिला सशक्तीकरण को परिभाषित किया गया है। परिणामस्वरूप, अर्थशास्त्र, जनसंख्या सर्वेक्षण और नारीवादी हस्तक्षेपों जैसे वैकासिक सर्वेक्षणों (अध्ययनों) में महिला सशक्तीकरण को अलग-अलग तरीक़े से परिभाषित किया जाता रहा है। महिला सशक्तीकरण की व्याख्या करने के लिए आमतौर पर जो शब्दावली उपयोग की जाती है उसमें शिक्षा, संसाधनों पर नियंत्रण और उनकी सुलभता, आत्मनिर्भरता, सम्मान, अधिकारों के लिए संघर्ष, शक्ति, स्वतंत्रता, स्वायत्तता, अपनी पसंद अथवा निर्णय लेने की क्षमता के संदर्भ में महिला की शक्ति जैसे शब्द सम्मिलित किए जा सकते हैं।

अत: यह परिभाषित करना एक बड़ी चुनौती है कि सशक्तीकरण का स्वयं अपने संदर्भ में क्या अर्थ हो सकता है। इसका आकलन करना भी एक चुनौती है कि महिलाएं किस सीमा तक सशक्त हो चुकी हैं। कुछ अध्ययनों में सीधा-सीधा कारण-प्रभाव प्रादर्श सुझाया गया है जबकि कुछ अन्य में प्रक्रिया आधारित दृष्टिकोण अपनाने की बात कही गई है। सशक्तीकरण की व्यापक समझ के लिए गतिशील प्रक्रिया को कुछ महत्वपूर्ण भागों में बांटा जा सकता है। प्रक्रिया को हिस्सों में विभाजित करना (जैसे सहायक कारक प्रतिमान एजेंसी और निष्कर्ष) सशक्तीकरण के समर्थन हेतु नीतिगत हस्तक्षेप की पहचान और उसके प्रभाव के मूल्यांकन में उपयोगी हो सकता है। वैकासिक हस्तक्षेप में सफलता या असफलता का आंशिक कारण, महिला सशक्तीकरण हेतु उत्तरदायी कारकों/प्रतिमानों को स्वीकार करने वाले नज़रिये का भी हो सकता है। इसलिए सशक्तीकरण के निर्णायक प्रतिमान की पहचान करने में बहुत सावधानी की आवश्यकता है।

महिलाओं का सशक्तीकरण मापने का वैचारिक पैमाना पारिवारिक स्तर की तुलना में वृहद स्तर पर कम विकसित है। सामान्य तौर पर उद्धृत किए जाने वाले और स्वीकार्य पैमाने हैं- लिंग आधारित विकास सूचकांक (जीडीआई) अर्थात महिला आधारित विकास सूचकांक, महिलाओं के विकास से पृथक किया हुआ मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) और एएनडीपी द्वारा महिला सशक्तीकरण के उपाय (जीईएम)।

महिलाओं के विकास के लिहाज़ से भारत में प्रगति हुई है, परंतु यह उपलब्धियां सभी राज्यों में एक समान नहीं हैं। पूर्व में किए गए दो अध्ययनों यथा- राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद (एनपीसी) की स्टेट जेंडर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2005 और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की रिपोर्ट- जेंडरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिसेज: रिकास्टिंग द जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स एंड जेंडर इम्पावरमेंट फॉर इंडिया 2009 में यह बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है।

महिला सशक्तीकरण के अभाव का न केवल महिलाओं पर विपरीत प्रभाव पड़ता है बल्कि उसका असर पूरे परिवार और समाज पर भी पड़ता है। प्रस्तुत आलेख में महिलाओं के सशक्तीकरण की प्रक्रिया में मदद करने वाले अथवा उसमें बाधक विभिन्न कारकों/प्रतिमानों की पहचान करने का प्रयास किया गया है। राज्य स्तर पर महिला सशक्तीकरण की प्रगति मापने की प्रक्रिया को कुछ इस प्रकार परिभाषित करने की आवश्यकता है जो मानक स्थापित करने योग्य हों और उसके संकेत इस प्रकार के हों जो दृष्टव्य हों, निष्पक्ष और मापनीय हों। इस प्रकार एक ऐसा तंत्र महिला सशक्तीकरण को मापने के लिए विकसित किया जा सकता है, जो भारत के सभी राज्यों में भविष्य में भी तुलना करने के

काम आ सकेगा।

इस आलेख में भारत के 15 प्रमुख राज्यों में महिला सशक्तीकरण के निर्धारक और मूलभूत सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारकों का अध्ययन किया गया है। ये राज्य हैं- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। पूर्व के दोनों अध्ययनों (एनपीसी 2005 और डब्ल्यूसीडी 2009) में महिलाओं से संबंधित विभिन्न मानकों और प्रतिमानों के आधार पर भारतीय राज्यों का क्रम निर्धारित किया गया है। इनमें से कुछ प्रतिमान प्रस्तुत अध्ययन में भी आजमाए गए हैं। परंतु इन तीनों अध्ययनों में राज्यों के वैचारीकरण और निष्पादन के माप में अंतर है। प्रस्तुत अध्ययन का क्षितिज अध्ययन की समयावधि पूर्व के अध्ययनों से बड़ा है। यह अध्ययन 17 वर्षों के कालखंडों में किया गया है और जहां भी उपलब्ध हो सका है समय शृंखलाबद्ध आंकड़े प्रयुक्त किए गए हैं। साक्षरता जैसे प्रतिमानों के लिए जनगणना के आंकड़े और कुछ स्वास्थ्य संबंधी प्रतिमानों के लिए एनएचएफएस के आंकड़े इस्तेमाल किए गए हैं।

अधिकांश मामलों में, प्रतिमानों का उच्च स्थान महिला सशक्तीकरण का उच्चतर स्तर दर्शाता है। परंतु कुछ मामलों (यथा- मातृ-मृत्यु अनुपात, घरेलू हिंसा) में उच्च स्थान का अर्थ है महिला सशक्तीकरण के संबंध में उपलब्धियों का कमतर होना। इस प्रकार इन प्रतिमानों संबंधी आंकड़ों का मानकीकरण करते समय विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। आंकड़ों में मापने के उद्देश्य से सभी 32 प्रतिमानों को अंततः इस प्रकार समायोजित किया गया है कि वे सकारात्मक रूप से महिला सशक्तीकरण से जुड़ गए हैं। इस प्रकार, किसी प्रतिमान के लिए एक राज्य का स्थान जितना ऊंचा होगा महिला सशक्तीकरण के संदर्भ में भी उस राज्य का स्थान ऊंचा होगा।

महिला सशक्तीकरण को मापने के लिए पांच वर्ष की मध्यम अवधि, एक वर्ष की अवधि की तुलना में अधिक उपयुक्त होगी, क्योंकि सशक्तीकरण एक गतिशील प्रक्रिया है, और अधिकतर प्रतिमानों में एक वर्ष में कोई परिवर्तन नहीं दिखाई देता। तदनुसार, 17 वर्षों की अध्ययन अवधि को 3 कालखंडों में विभाजित किया गया है: यथा कालखंड-1 : 1990-91 से 1994-95, कालखंड-2 : 1995-96 से 1999-2000 और कालखंड-3 : 2000-01 से 2006-07। इस प्रकार सभी राज्यों में महिला सशक्तीकरण को तीन कालखंडों के हिसाब से मापा गया है ताकि भविष्य में इन राज्यों में महिला सशक्तीकरण के निष्पादन में आने वाले बदलावों को ठीक से आंका जा सके।

राज्य महिला सशक्तीकरण सूचकांक (एसडब्ल्यूईआई) के नाम वाले मिश्रित सूचकांक की रचना छह अलग-अलग सशक्तीकरण कारक सूचकांकों को मिलाकर की गई है। ये हैं- जनसंख्या सूचकांक, शिक्षा उपलब्धि सूचकांक, स्वास्थ्य स्थिति और स्वास्थ्य सुविधा सूचकांक, घरेलू हिंसा सूचकांक, आर्थिक सहभागिता सूचकांक और राजनीतिक सहभागिता सूचकांक। इस प्रकार मिश्रित सूचकांक एक फौरी उपाय है, जो महिला सशक्तीकरण के मामले में राज्य के समग्र निष्पादन को दर्शाता है।

महिला सशक्तीकरण में राज्यों का निष्पादन

महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में केरल ने अपना पहला स्थान बनाए रखा है। उसके बाद तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल ने सभी तीनों कालखंडों में अपनी मध्यम स्थिति (8वीं) बनाए रखी हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे निम्न स्थान वाले राज्यों के क्रम में कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। परंतु अन्य राज्यों में महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में कुछ बदलाव देखे गए हैं। महिला सशक्तीकरण के मामले में कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात की सापेक्षिक स्थिति तीसरे, पांचवें और सातवें स्थान पर रही। यह स्थिति 1996-2000 और 2001-2007 के दौरान की है। आंध्र प्रदेश 2001-2007 में चौथे स्थान पर रहा और उसमें लगातार सुधार हो रहा है। असम, पंजाब और हरियाणा की सापेक्षिक स्थिति में 2001-07 के दौरान गिरावट दर्ज़ की गई, जबकि ओडिशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में पूर्व के वर्षों की तुलना में आंशिक सुधार आया। राज्य महिला सशक्तीकरण सूचकांक से पता चलता है कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पंजाब और गुजरात जैसे राज्यों की महिलाएं बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की महिलाओं की अपेक्षा अधिक सशक्त और अधिकार संपन्न हैं।

सशक्तीकरण के प्रतिमानों में प्रदर्शन

केरल और तमिलनाडु में महिला सशक्तीकरण के अधिकांश कारकों ने अच्छा प्रदर्शन किया है। केरल ने जनसांख्यिकी, महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धियों और महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता के क्षेत्र में अपनी बढ़त बनाए रखी है। केरल में छात्र-छात्राओं की पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर सबसे कम है। आर्थिक सहभागिता सूचकांक में केरल की सापेक्षिक स्थिति अन्य राज्यों से बेहतर है। कार्य में महिला सहभागिता दर और ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमबल में महिला सहभागिता दर के दो प्रतिमानों में केरल का प्रदर्शन जहां अच्छा नहीं रहा है, वहीं शहरी क्षेत्रों में श्रमबल महिला सहभागिता दर और संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं के दो अन्य प्रतिमानों में प्रदर्शन अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर रहा है, जिससे एक प्रकार से संतुलन की स्थिति बन जाती है। इसके अतिरिक्त बैंकों में महिला खातेदारों के लिहाज़ से केरल का प्रदर्शन सबसे अच्छा रहा है। केरल में महिलाओं की राजनीति में भागीदारी भी बेहतर है। परंतु 2001-07 के दौरान राज्य में घरेलू हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं और पतियों एवं परिवार के सदस्यों द्वारा क्रूरता और पारिवारिक समस्याओं के कारण महिला आत्महत्या के दो प्रतिमानों में राज्य की स्थिति में सापेक्ष गिरावट आई है।

तमिलनाडु ने महिला सशक्तीकरण के सभी कारकों में लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। तमिलनाडु में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता सबसे अच्छी (उच्चतम स्थान) रही है। जनसांख्यिकी सूचकांक, शैक्षिक उपलब्धि सूचकांक और महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता के तीन सशक्तीकरण कारकों में तमिलनाडु का प्रदर्शन दूसरे स्थान पर है। परंतु 1996-2000 की अवधि में राजनीतिक भागीदारी में महिलाओं की स्थिति में गिरावट दर्ज़ की गई जोकि 2001-2007 के दौरान सुधर गई। चुनावों में महिला उम्मीदवारों और महिला मतदान के प्रतिमानों में केरल और पश्चिम बंगाल की तुलना में राज्य का प्रदर्शन कमतर रहा।

शैक्षिक उपलब्धि, महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता तथा घरेलू हिंसा जैसे महिला सशक्तीकरण के सूचकांकों के मामले में कर्नाटक की स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है। अध्ययन की पूरी अवधि के दौरान लड़कियों द्वारा पढ़ाई

अधूरी छोड़ने (पहली से 10वीं) के मामले में कर्नाटक सातवें स्थान पर ही बना रहा। आर्थिक भागीदारी के क्षेत्र में कर्नाटक की महिलाओं का प्रदर्शन बेहतर रहा है जबकि महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी की स्थिति धीरे-धीरे कमतर हुई है।

महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि के सूचकांक में महाराष्ट्र ने अध्ययन के तीनों कालखंडों में तीसवां स्थान प्राप्त किया। महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता के मामले में राज्य की स्थिति में 2001-07 के दौरान आंशिक सुधार हुआ है। महाराष्ट्र में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता की स्थिति अन्य अधिकांश राज्यों से अच्छी रही है। परंतु घरेलू हिंसा के मामले में राज्य की स्थिति बहुत ख़राब रही है। पति और परिवार के सदस्यों द्वारा क्रूरता तथा दहेज मृत्यु के प्रतिमानों में राज्य में निस्संदेह सुधार हुआ है। किंतु पारिवारिक समस्याओं के कारण महिला आत्महत्या की दर यहां बहुत ऊंची है। परिणामस्वरूप घरेलू हिंसा के पैमाने से राज्य की समग्र स्थिति चिंताजनक बनी हुई है।

गुजरात का प्रदर्शन महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में कुल मिलाकर लगभग एक जैसा ही रहा है। 1991-95 के दौरान सशक्तीकरण कारकों के दो सूचकांकों में गुजरात चौथे स्थान पर रहा, ये सूचकांक थे- जनसांख्यिकी और महिलाओं का स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता। बाल लिंगानुपात काफी कम होने के कारण जनसांख्यिकी सूचकांक में राज्य का प्रदर्शन गिरा है। 'माध्यमिक शिक्षा में छात्राओं का समग्र भर्ती अनुपात' और 'उच्च शिक्षा में छात्राओं का समग्र भर्ती अनुपात' के दो प्रतिमानों में गुजरात की स्थिति केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र की तुलना में कमतर रही है। परंतु प्राथमिक शिक्षा में छात्राओं की समग्र भर्ती दर के मामले में गुजरात का प्रदर्शन बढ़िया रहा है और पिछले कुछ वर्षों में सुधार हुआ है।

पंजाब और हरियाणा का प्रदर्शन 2001-07 के दौरान अच्छा नहीं रहा है। इसका कारण रहा है जनसांख्यिकी, विशेषत: लिंगानुपात और बाल लिंगानुपात के दो प्रतिमानों में राज्य का ख़राब प्रदर्शन। परंतु महिलाओं का विवाह 18 वर्ष के बाद और विवाह पर औसत आयु के दो प्रतिमानों में पंजाब का प्रदर्शन अन्य राज्यों के मुक़ाबले बेहतर रहा है। महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धियां सूचकांक में पंजाब की सापेक्ष स्थिति में उतार-चढ़ाव होता रहा है। परंतु आर्थिक गतिविधियों में महिलाओं की भागीदारी में सुधार हुआ है और घरेलू हिंसा की घटनाएं 2001-07 के दौरान सबसे कम रहीं। इसके साथ ही, पंजाब में महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।

हरियाणा में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता में आंशिक वृद्धि हुई है, परंतु 2001-07 के दौरान राज्य में घरेलू हिंसा एवं दहेज मृत्यु की घटनाओं में भी अन्य राज्यों की तुलना में वृद्धि हुई है। समग्र प्रजनन दर में राज्य का स्थान काफी नीचे (11वां) है। परंतु पढ़ाई अधूरी छोड़ने वाली छात्राओं के मामले में निम्नदर का अर्थ है कि इस क्षेत्र में हरियाणा का प्रदर्शन अच्छा रहा है।

अध्ययन की समूची अवधि में पश्चिम बंगाल का स्थान आठवें क्रम पर बना रहा है। जनसांख्यिकी, महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति एवं स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता और राजनीतिक सहभागिता के सूचकांकों में राज्य का सापेक्ष अच्छा प्रदर्शन शैक्षिक उपलब्धि और महिलाओं की आर्थिक सहभागिता सूचकांकों में कमतर प्रदर्शन के कारण निष्प्रभावी हो गया है। पश्चिम बंगाल में साक्षरता दर में सुधार हुआ है। परंतु उच्च शिक्षा में छात्राओं की भर्तीदर में कामी आई है। शैक्षिक उपलब्धि के क्षेत्र में पश्चिम बंगाल की स्थिति में गिरावट का एक कारण छात्राओं (1 से 10वीं) की पढ़ाई अधूरी छोड़ने की बढ़ती संख्या हो सकती है। समग्र प्रजनन दर जैसे स्वास्थ्य प्रतिमानों में पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन अन्य राज्यों से बेहतर रहा है। राजनीतिक सहभागिता सूचकांक में पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर है। चुनावों में महिलाओं के मदतान का प्रतिशत समूची अध्ययन अवधि में सभी राज्यों से अच्छी रही है।

वर्ष 1991-95 की अवधि में महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि के सूचकांक में आंध्र प्रदेश का प्रदर्शन फीका रहा, परंतु बाद के वर्षों में इस क्षेत्र में सुधार दर्ज़ किया गया है। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में छात्राओं की समग्र भर्ती के प्रतिमानों में बेहतर काम हुआ है। महिलाओं की राजनीतिक और आर्थिक सहभागिता के मामलों में भी राज्य का प्रदर्शन बेहतर रहा है। क्रमिक सुधार के फलस्वरूप आंध्र प्रदेश महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में 2001-07 के दौरान देश के शीर्ष पांच राज्यों में था। परंतु राज्य में घरेलू हिंसा की घटनाएं भी कथित रूप से अधिक हो रही हैं।

वर्ष 2001-07 के दौरान, आर्थिक और राजनीतिक सहभागिता तथा घरेलू हिंसा के तीन सशक्तीकरण सूचकांकों में ओडिशा की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर रही। जनसांख्यिकी सूचकांक में राज्य की स्थिति में लगातार सुधार हुआ है। परंतु महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुलभता के मामले में पूरी अध्ययन अवधि में ओडिशा 10वें स्थान पर बना रहा। समग्र शैक्षिक उपलब्धि सूचकांक में राज्य का प्रदर्शन ख़राब रहा। परंतु 2001-07 के दौरान प्राथमिक शिक्षा में छात्राओं को समग्र भर्ती अनुपात में ओडिशा की सापेक्षिक स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ परंतु उच्च शिक्षा में छात्राओं के समग्र भर्ती अनुपात में आंशिक सुधार ही दर्ज़ हुआ है। महिला सशक्तीकरण के समग्र सूचकांकों में ओडिशा का सापेक्षिक प्रदर्शन अच्छा रहा है।

महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि के सूचकांक में मध्य प्रदेश के प्रदर्शन में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसका कारण है वर्ष 2001-07 के दौरान प्राथमिक शिक्षा में छात्राओं के समग्र भर्ती अनुपात में भारी वृद्धि। माध्यमिक और उच्च शिक्षा में महिलाओं के समग्र भर्तीदर में भी राज्य के प्रदर्शन में निरंतर सुधार हो रहा है। परंतु महिलाओं की आर्थिक सहभागिता के क्षेत्र में राज्य के प्रदर्शन में कमी आई है, क्योंकि संगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाएं और महिलाओं के बैंक खाते के दो प्रतिमानों में राज्य का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा है। परंतु महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के साथ-साथ समग्र महिला सशक्तीकरण के मामले में राज्य के प्रदर्शन में कुल मिलाकर सुधार हुआ है।

राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों का प्रदर्शन महिला सशक्तीकरण के अधिकांश कारकों/प्रतिमानों में सापेक्षिक रूप से अच्छा नहीं रहा है। राजस्थान और बिहार में छात्राओं द्वारा पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर काफी ऊंची है। उत्तर प्रदेश और बिहार में महिलाओं की आर्थिक सहभागिता की दर बहुत कम रही है। परंतु कुछ प्रतिमानों में इन राज्यों ने अपेक्षाकृत बेहतर प्रदर्शन किया है। छात्राओं की पढ़ाई अधूरी छोड़ने (पहली से 10वीं) की दर के मामले में उत्तर प्रदेश

(शेषांश पृष्ठ 45 पर)

नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मासम्बुद्धस्स

PALI

रजनीसो तोमरो

जिनके निर्देशन में वर्ष 2011 - 12 में शानदार सफलता

PANKAJ JAIN
RANK - 15
ROLL NO. 004704

ANAND KUMAR
RANK - 110
ROLL NO. 351262

KESHAV HINGONIA
RANK - 191
ROLL NO. 014908

CHAUDHARI ABHIJIT VIJAY
RANK - 206
ROLL NO. 4331

ABHIJEET SINGH
RANK - 228
ROLL NO. 142160

NEHA YADAV
RANK - 574
ROLL NO. 081658

SAOLE ADITYA
RANK - 575
ROLL NO. 038724

ULLAS KUMAR
RANK - 579
ROLL NO. 395598

INDU BALA
RANK - 641
ROLL NO. 003586

RAGHUVEER SINGH CHARAN
RANK - 687
ROLL NO. 025534

REHAN RAZA
RANK - 760
ROLL NO. 114800

AMIT KUMAR
RANK - 762
ROLL NO. 317851

UPENDRA KUMAR DHRUV
RANK - 813
ROLL NO. 018889

SUKHBIR SINGH BADHAL
RANK - 819
ROLL NO. 148964

PUNEET MEENA
RANK - 876
ROLL NO. 007913

RAMDULESH MEENA
RANK - 904
ROLL NO. 082954

आकर्षण

- वर्ष 2011 के प्रश्नपत्र के अनुरुप व्याख्यान ।
- वर्ष 2011 के प्रश्नपत्र के अनुरुप New Notes ।
- वर्ष 2011 के प्रश्नपत्र के अनुरुप Test Series उपलब्ध।
- वचनसङ्गहो, पालि व्याकरण नामक दो नवीन पुस्तक उपलब्ध।

12 JUNE सत्रारम्भ 7.30A.M. (मुखर्जीनगर)
6.00 P.M. (राजेन्द्रनगर)

03 July (Ahmedabad Centre)

लोक प्रशासन

D.K. Gaur
(7 वर्षों का अध्यापन का अनुभव)

15 JUNE सत्रारम्भ
3.30 P.M. (मुखर्जीनगर)

GUJARAT के अभ्यर्थियों के लिए विशेष सूचना

01 JUNE सत्रारम्भ

- 3 year Course (for 12 th Pass Students)
- 2 year Course (for F.Y. S.Y. Pass Students)
- 1 year Course (for T.Y Pass Students)

VISHWAS EDUCATION PVT LTD
(An Institute for I.A.S./G.P.S.C./P.S.I./Staff Selection/Bank Exam.)

MUKHERJEENAGAR
102- 40/41 SECOND FLOOR,
ANSAL BUILDING
B/H.PUNJAB NATIONAL BANK,
DELHI- 09
PH. (011)-27652066/67,
9953468158,
09924191307,

RAJENDRANAGAR
76, OLD RAJENDRA
MARKET, NR. AXIS BANK,
RAJENDRA NAGAR,
NEW DELHI-60
PH. : (011)-41412463
9891605091,
9999071711

AHMEDABAD
A/1/G, CHINUBHAI TOWER,
NR, H.K. COLLEGE,
ASHRAM ROAD,
AHMEDABAD-09.
PH.: (079) 26586832, 30616926
9427071727

BHAVNAGAR
110, SURABHI MALL,
WAGHAVADI ROAD,
BHAVNAGAR-02
PH. : (0278)- 2561211
09428804127

YH-38/2012

स्वास्थ्य के मोर्चे पर भारतीय स्त्री

● ऋतु सारस्वत

पिछले कुछ वर्षों में भारत ने आर्थिक उन्नति की नयी परिभाषाएं गढ़ी हैं लेकिन यह उन्नति तब तक अर्थहीन है जब तक कि देश का प्रत्येक नागरिक स्वस्थ न हो। विशेषकर देश की आधी आबादी के लिए 'स्वास्थ्य' का प्रश्न और गंभीर हो जाता है, क्योंकि दोयम दर्ज़े की नागरिकता का प्रत्यक्ष प्रभाव महिलाओं के स्वास्थ्य पर भी देखा जा रहा है। बीते दिनों क्रियेट रजिस्ट्री (वाशिंगटन) द्वारा भारत के 20,468 मरीजों पर किए गए अध्ययन से यह तथ्य सामने आया कि 'एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम' से पीड़ित महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कमतर या घटिया उपचार मिलता है। देश में लगभग 32 हज़ार करोड़ महिलाएं प्रजनन संबंधी रोगों से ग्रस्त हैं। एक अनुमान के मुताबिक 27 करोड़ महिलाएं प्रीमेंस्टुअल सिंड्रोम से पीड़ित हैं। गांवों और दूर-दराज के इलाक़ों में रहने वाली 40 प्रतिशत महिलाओं को ल्यूकोरिया, अल्सर और गर्भाशय कैंसर जैसी बीमारियों ने घेर रखा है। पूर्व में किए गए विभिन्न शोधों से यह स्पष्ट हुआ है कि लिंग भेदभाव की यह परंपरा तो शिशु जन्म से ही आरंभ हो जाती है। बालिका शिशु को पोषण-विहीन भोजन दिया जाता है जिसके चलते युवावस्था तक महिलाएं बेहद कमज़ोर हो जाती हैं। राष्ट्रीय पोषण मॉनीटरिंग ब्यूरो के मुताबिक 13 से 15 साल की किशोरियों को 1,620 कैलोरी वाला भोजन मिलता है जबकि उन्हें 2050 कैलोरी की ज़रूरत होती है। एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक 15 से 49 वर्ष तक की उम्र वाली 35.6 प्रतिशत महिलाएं सामान्य रूप से स्वस्थ नहीं हैं और 55 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी से जूझ रही हैं जिसका नतीज़ा गर्भकाल में 20 प्रतिशत से ज्यादा मृत्यु, समय-पूर्व शिशुओं के जन्म में तीन गुना वृद्धि तथा नौगुना अधिक प्रसव-पूर्व मृत्यु के मामलों के रूप में सामने आता है। इसके अलावा शारीरिक और मानसिक रूप से अविकसित तथा लाइलाज जन्मजात बीमारियों से पीड़ित बच्चों का जन्म भी इसी समस्या की देन है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा एक सर्वेक्षण कराया गया जिसके अनुसार राजधानी दिल्ली में हर चौथी महिला अपनी जान पर खेलकर बच्चे को जन्म देती है। संयुक्त राष्ट्र की मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में मातृ मृत्युदर पड़ोसी देश पाकिस्तान से भी ख़राब है। हमारे यहां प्रति एक लाख जीवित बच्चे के प्रसव के दौरान 450 माताओं की मृत्यु हो जाती है जबकि पाकिस्तान में 320 माताएं दम तोड़ती हैं। माताओं की स्थिति पर तैयार की गई 79 अल्प विकसित देशों की रैंकिंग में भारत का स्थान 75वां है। हालत यह है कि भारतीय माताओं की स्थिति बोत्सवाना, कांगो और कैमरून जैसे पिछड़े अफ्रीकी देशों से भी बुरी है।

भारत उन देशों में शामिल है जहां स्वास्थ्य संबंधी देखभाल में, अंतरराष्ट्रीय मापदंडों को लागू करने में परेशानी आती है। अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन 'ह्यूमन राइट्स वाच' के मुताबिक, सरकार स्वास्थ्य क्लीनिकों और अस्पतालों में होने वाली प्रसूति के आंकड़े रखती है लेकिन ये अस्पताल अक्सर 'संसाधनों की भारी कमी' से जूझ रहे होते हैं। बहुत-सी महिलाएं प्रसूति के बाद या तो मर जाती हैं या गंभीर रूप से बीमार हो जाती हैं। भारत सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में प्रसूति को प्रोत्साहित करती है जिसमें ग़रीब महिलाओं को इसके लिए प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। लेकिन यह देखने के लिए ठोस व्यवस्था नहीं है कि गर्भावस्था संबंधी पेचीदगियों में उन्हें पर्याप्त और समय से उपचार मुहैया कराया जाता है या नहीं। भारतीय मांओं के जीवन का सबसे बड़ा बाधक स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 74,000 मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं और 21,066 ऑग्जिलरी नर्स (एएनएम) की कमी है। सरकारी मानदंडों के अनुसार, मैदानी इलाक़ों में 1,000 की आबादी पर एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता और 5,000 की आबादी पर एक एएनएम होनी चाहिए। क्या यह देश यह कल्पना कर सकता है कि गर्भावस्था तथा प्रसव की जटिलताओं के चलते हर वर्ष देश में 67,000 महिलाएं अकाल मृत्यु का शिकार हो जाती हैं और इसे तब तक रोका जाना संभव नहीं जब तक देश के हर गांव में स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंचेंगी? 'सेव द चिल्ड्रन' अभियान के निदेशक के अनुसार, ''महिलाओं के स्वास्थ्य का संबंध उनकी शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति से है। भारत में हर साल हज़ारों महिलाएं केवल इसलिए मौत के मुंह में समा जाती हैं क्योंकि उनकी पहुंच मूलभूत स्वास्थ्य सुविधाओं तक नहीं हो पाती।''

राज्यसभा में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद संशोधन विधेयक, 2011 पर हुई चर्चा में परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सकों को गांवों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार ने कई योजनाएं बनाईं परंतु इसके उत्साहजनक परिणाम नहीं निकले। स्वास्थ्यमंत्री का यह वक्तव्य, किसी सीमा तक सत्य भी है। बीते दशकों में चिकित्सकीय पेशे को 'सेवा' से जोड़ने के बजाय व्यावसायिकता के परिप्रेक्ष्य में देखने की प्रवृत्ति में तीव्रता से इज़ाफ़ा हुआ है जिसकी परिणति यह हुई कि देश का ग्रामीण निर्धन तबका रुग्ण होता चला जा रहा है। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत

प्रत्येक व्यक्ति को एक ऐसे जीवनस्तर का अधिकार है जो स्वयं उसके और उसके परिवार के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए उपयुक्त हो। इसमें स्वास्थ्य संबंधी देखरेख की उचित सुविधा तथा आवश्यक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था का अधिकार शामिल है। इस प्रकार मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा की 'चिकित्सकों की कमी' के चलते अवहेलना हो रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार, डॉक्टर और जनसंख्या के अनुपात के लिहाज़ से भारत की स्थिति अफ्रीकी महाद्वीप के सहारा क्षेत्र से कोई खास अच्छी नहीं है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में दस हज़ार लोगों पर जहां लगभग 5-9 डॉक्टर हैं वहीं ऑस्ट्रेलिया में यह अनुपात 247:1 और ब्रिटेन में 1,665:5 है। भारत ग्राम बहुल देश है परंतु दस में से आठ डॉक्टर और 80 प्रतिशत अस्पताल शहरों में स्थित हैं। ग्रामीण इलाक़ों में प्रशिक्षित चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध कराना सरकारों के लिए बड़ी चुनौती रही है। हालांकि इसके लिए कई बार कड़े नियम बनाए गए। हर चिकित्सक को अपनी शुरुआती सेवाओं के दौरान एक निश्चित समय के लिए ग्रामीण इलाक़ों में बिताना ज़रूरी किया गया। गांवों में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवाएं देने वाले चिकित्सकों के लिए अतिरिक्त वेतन का प्रावधान भी रखा गया। परंतु इनके कोई ठोस परिणाम नहीं निकले। वर्तमान में देश के डेढ़ लाख उपकेंद्रों में एक भी चिकित्सक नहीं है।

चुनौतियों के कई मोर्चे हैं और जब तक उन सब पर प्रभावी ढंग से काम नहीं किया जाएगा, तब तक आमजन की पहुंच स्वास्थ्य सेवाओं से दूर ही रहेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के नियमों के मुताबिक हर 1,000 की आबादी पर एक चिकित्सक का होना वांछित है जबकि देश में यह संख्या महज 0.5 है। बीते दिनों योजना आयोग के एक विशेषज्ञ दल ने 2020 तक सबको स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लक्ष्य के मद्देनज़र, एक अहम सिफ़ारिश यह की है कि एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य विनियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना की जानी चाहिए ताकि मरीजों के अधिकार-पत्र की व्याख्या एवं उस पर गुणवत्ता एवं क़ीमत की निगरानी हो सके। एक अन्य समस्या अनावश्यक दवाओं की है, जो चिकित्सक संभवत: कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए लिखते हैं। विशेषज्ञ दल ने ऐसी दवाओं की जगह जेनेरिक दवाओं का उपयोग बढ़ाने की पैरवी की है और इस संबंध में डॉक्टरों एवं मरीजों को जागरूक बनाने पर ज़ोर दिया है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य, जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में उल्लेखित किया गया है, कि एक चिकित्सक हर मरीज को कितना समय दे? यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि मरीज और चिकित्सक के मध्य हुए संवाद जिसमें दवाइयों के संबंध में जानकारी, उनको समय पर लेने के महत्व से लेकर, बीमारी के जल्द ठीक होने का आश्वासन, उसके स्वस्थ होने के मार्ग में सहायक की भूमिका निभाता है। विकासशील देशों में चिकित्सक हर मरीज को देखने में औसतन एक मिनट से भी कम वक़्त लगाते हैं जिससे अक्सर मरीज यह नहीं समझ पाते कि उन्हें दवाइयां कब और कैसे लेनी हैं। अमूमन देखने में यह आता है कि चिकित्सक मरीजों को दवाओं के बारे में ठीक से नहीं समझाते इसकी वजह से मरीज नियमित रूप से दवाएं नहीं लेते। दरअसल, चिकित्सा एक व्यवसाय नहीं अपितु एक ऐसा पेशा है जिसमें दयालुता, कर्तव्यनिष्ठा के साथ निज स्वार्थों को त्याग कर, मानव-जीवन के उन्नयन के लिए असीम चेष्टा करनी होती है और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो किसी भी राष्ट्र के स्वस्थ होने की संभावना क्षीण हो जाती है।

देश में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 12वीं पंचवर्षीय योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र में आवंटन बढ़ाने का फ़ैसला किया है। सरकार अगले पांच साल में स्वास्थ्य पर होने वाले ख़र्च को सकल घरेलू उत्पाद का ढाई प्रतिशत तक बढ़ाना चाहती है साथ ही प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य मंत्रालय को ग्रामीण क्षेत्र के सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर मरीजों को मुफ़्त दवा देने की योजना पर काम करने को कहा है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय एक केंद्रीय ख़रीद एजेंसी स्थापित करने का काम कर रहा है। इस सत्य को देर-सबेर ही सही सरकार ने स्वीकारा है कि भारत में स्वास्थ्य सेवाएं सिर्फ़ धनी लोगों के लिए रह गई हैं। चुनौतियों के कई मोर्चे हैं और जब तक उन सब पर प्रभावी ढंग से काम नहीं किया जाता, इलाज आमजन की पहुंच से बाहर ही बना रहेगा। जिस तरह से शिक्षा और समानता के अधिकार की मुहिम जारी है उसी तरह सभी को 'स्वस्थ रहने का अधिकार' प्राप्त हो, इसके लिए प्रयास आरंभ हो गए हैं। बीते दिनों सरकार ने इस बात पर खासी चिंता ज़ाहिर की कि कम आय वाले वर्ग को मुफ़्त स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए सरकार ने निजी अस्पतालों को रियायती दर पर जो ज़मीन बांटी उसका निर्धन मरीजों को लाभ नहीं मिला। कारण साफ़ था कि निजी अस्पताल ग़रीबों को मुफ़्त इलाज देने से कतरा रहे थे। सितंबर 2011 में सर्वोच्च न्यायालय ने निजी अस्पतालों को इस संबंध में फटकार लगाई।

लगभग 70 प्रतिशत इलाज का ख़र्च दवाओं पर होता है। दवाओं की क़ीमतों में बेतहाशा वृद्धि पर प्रधानमंत्री चिंता ज़ाहिर कर चुके हैं। कुछ समय पूर्व केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने घोषणा की कि सभी सरकारी अस्पतालों में मुफ़्त में जेनेरिक दवा आम लोगों को उपलब्ध कराई जाए ताकि मरीजों पर पड़ रहे आर्थिक बोझ को कम किया जा सके। वैसे जेनेरिक व सस्ती दवा उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने कुछ समय पहले कई जगहों पर जन औषधि की दुकानें शुरू की है। योजना आयोग विशेषज्ञ समिति ने सार्वभौमिक स्वास्थ्य सुविधा की सिफ़ारिश की है जिसमें जेनेरिक दवाओं का भंडारण और मुफ़्त उपलब्धता भी शामिल है। संविधान का अनुच्छेद 21 सिर्फ़ जीने का अधिकार ही नहीं देता बल्कि सम्मान से पूर्ण स्वास्थ्यता के साथ जीने का अधिकार देता है। कई अध्ययनों में यह तथ्य सामने आ चुका है कि भारत में स्वास्थ्य की तस्वीर बेहद चिंताजनक है। जनस्वास्थ्य की चुनौती के अनेक आयाम हैं और इन सभी मोर्चों पर देश को एक साथ सक्रिय होना होगा। 'स्वास्थ्य का अधिकार' जीने के अधिकार का अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए देश के नीति-निर्माताओं और स्वास्थ्य विभाग से अधिक मुस्तैदी और संजीदगी की अपेक्षा है। जब बात जननियों की हो तो उसका महत्व और बढ़ जाता है क्योंकि एक स्वस्थ मां ही स्वस्थ संतान को जन्म दे सकती है और स्वस्थ बच्चा ही देश और परिवार का भविष्य उज्ज्वल कर सकता है। ❑

(लेखिका समाजशास्त्र की प्रवक्ता हैं।
ई-मेल : saraswatritu@yahoo.co.in)

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

निर्धन महिलाओं को स्वसहायता समूहों से जोड़ेगा

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एमआरएलएम) अगले पांच वर्षों में देशभर के निर्धन परिवारों की कम से कम एक महिला को स्वसहायता समूहों से जोड़ेगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने हाल ही में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ''कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पांच वर्ष की अवधि में प्रत्येक निर्धन परिवार की कम से कम एक महिला स्वसहायता समूह की सदस्य बन जाए। आज देश की तीन करोड़ महिलाएं ऐसी हैं जो स्वसहायता समूहों से जुड़ी हैं। पांच वर्ष के अंत में प्रत्येक निर्धन परिवार की एक महिला स्वहायता समूह की सदस्य बन चुकी होंगी। यह कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों की ग़रीबी रेखा से नीचे के परिवारों (बीपीएल) के लिए है, परंतु मैं बीपीएल और निर्धन के बीच की इस पाबंदी को हटाने की फ़िराक में हूं।'' श्री रमेश जयपुर में 'माइक्रो फाइनेंस एंड लाइवलीहुड' के छठे सम्मेलन के समापन कार्यक्रम में बोल रहे थे।

सरकारी कार्यक्रमों में लचीले दिशानिर्देशों की संरचना पर ज़ोर देते हुए जयराम रमेश ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी कार्यक्रम के प्रचालन दिशानिर्देशों में संशोधन किया जा रहा है। राज्यों की आवश्यकताओं के अनुसार नियमों में ढील देने पर विचार किया जा रहा है।

ग्रामीण विकास मंत्री ने छोटे-छोटे ऋण देने वाली सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के लिए कानूनी रूप से प्रावधान किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि वे स्वसहायता समूहों के कामकाज पर कोई प्रभाव डाले बिना अपना काम ठीक से अंजाम दे सकें।

सूक्ष्म वित्त (माइक्रो फाइनेंस) संस्थाओं और स्वसहायता समूहों का लाभ उठाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए श्री रमेश ने कहा कि सामाजिक पूंजी के निर्माण के लिए इन्हें प्रोत्साहित करना श्रेयस्कर होगा। सूक्ष्म वित्त ग़रीबी उन्मूलन की चुनौती का हल नहीं है, परंतु इससे ग्राहक को उसकी आवश्यकतानुसार कर्ज़ देकर वित्तीय समावेशन का रास्ता खुल सकता है।

राजस्थान में स्वसहायता समूहों की स्थिति का उल्लेख करते हुए श्री रमेश ने कहा कि राज्य में अभी भी इस क्षेत्र में विकास की पर्याप्त संभावनाएं हैं। बैंकों के ज्यादातर ऋण दक्षिणी राज्यों के स्वसहायता समूहों की ओर ही जा रहे हैं। बैंकों ने स्वसहायता समूहों को जो वित्तीय सहायता दी है, उसमें से 75 से 80 प्रतिशत राशि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल को दी गई है। दक्षिण भारत में स्वसहायता समूहों का नेटवर्क काफी सुदृढ़ है। वैसी ही स्थिति पूरे देश में बन सके, इसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी होगी। यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है।

'माइक्रो फाइनेंस और लाइवलीहुड' पर आयोजित दो दिनों की इस संगोष्ठी का विषय था 'इनैब्लिंग पुअर, इंपैक्टिंग लाइव्स' (ग़रीबों को समर्थ बना कर उनके जीवन को प्रभावित करना)। संगोष्ठी के समापन समारोह में श्री रमेश के अतिरिक्त नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक) के अध्यक्ष प्रकाश बख्शी ने भी भाग लिया। उन्होंने अन्य देशों में आ रहे बदलावों को देखते हुए स्वसहायता समूहों की भूमिका में परिवर्तन और संशोधन का सुझाव दिया।

श्री जयराम रमेश ने बताया कि राजस्थान में स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण के लिए ग़रीबों को 3,200 रुपये के स्थान पर 8,000 रुपये दिए जाएंगे।

सूक्ष्म वित्त की नयी भूमिका

संगोष्ठी में भाग लेने वाले सूक्ष्म वित्त के विशेषज्ञों ने सूक्ष्म ऋण, स्वसहायता समूहों और उनके उत्पादों तथा सेवाओं के विपणन को लाखों ग़रीब परिवारों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण बताया। विशेषज्ञों ने बचत और ऋण से अलग हटकर स्वसहायता समूहों के विस्तार के लिए अनेक रचनात्मक सुझाव दिए। इनका ज़ोर इस बात पर था कि इन समूहों के जरिये जीविकोपार्जन के संपोषणीय अवसर पैदा किया जाना अधिक उपयोगी होगा।

संगोष्ठी का आयोजन जयपुर स्थित 'सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस' ने राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के साथ मिलकर किया था। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और राजस्थान राज्य योजना मंडल के उपाध्यक्ष वी. एस. व्यास ने संगोष्ठी का उद्घाटन करते हुए कहा कि 1969 में राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों को ग्रामीण ग़रीबों की आवश्यकताओं और समस्याओं के समाधान की ओर प्रोत्साहित करने पर विशेष ज़ोर दिया जा रहा है। इससे देश में समावेशी बैंकिंग का एक अच्छा वातावरण निर्मित हुआ है।

श्री रतन टाटा ट्रस्ट के सचिव एफ.जे. गुणदेविया ने बताया कि मुंबई स्थित उनका ट्रस्ट पिछले 10 वर्षों से आजीविका संवर्धन गतिविधियों को समर्थन दे रहा है। उन्होंने सुझाव दिया कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्वसहायता समूहों के संकुल और संघ बनाए जाने चाहिए ताकि उनकी गतिविधियों के अच्छे परिणाम निकल सकें।

सेंटर फॉर माइक्रो फाइनेंस के अध्यक्ष अनिल के. खंडेलवाल ने कहा कि स्वसहायता समूह क्षेत्र की संभावनाएं काफी प्रबल हैं और यह ज़मीनी स्तर पर ग़रीबी उन्मूलन की समूची धारणा को बदलने में समर्थ है। उन्होंने कहा कि स्वसहायता समूहों की गुणवत्ता को सुधारा जाना चाहिए और संख्या बढ़ाने के स्थान पर काम पर ज़ोर दिया जाना चाहिए। ❑

THE STUDY

An Institute for IAS

DIVYAM EDUCOM PVT. LTD.

Our Destiny in Our Hands

अभ्यर्थियों! वर्तमान में सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मांग है, 'Thinking out of the Box' अर्थात् बंधी बंधायी लीक से बाहर निकलकर सोचें। 'द स्टडी' ने इस दिशा में एक सार्थक कदम बढ़ा दिया है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं?

इतिहास

- मणिकांत सिंह

| कक्षा 1 जून से प्रारम्भ |

इतिहास के अध्यापन की हमारी विशिष्ट रणनीति

- छात्रों में एक समग्र एवं विश्लेषणपरक दृष्टिकोण विकसित करने पर बल।
- इतिहास लेखन का ज्ञान ताकि अभ्यर्थी वर्त्तमान प्रश्नों की मांग को पूरा कर सकें।
- छात्रों में रचनात्मक सोच एवं लेखन कला की शैली विकसित करना।
- निरन्तर अभ्यास पर बल ताकि ज्ञान एवं अभिव्यक्ति की खाई को पाटा जा सके।

कार्यक्रम • मुख्य परीक्षा 2012 • मुख्य परीक्षा (फाउंडेशन कोर्स) 2013

सा॰अध्ययन

मणिकांत सिंह

एवं विशेषज्ञों का समूह

| कक्षा 7 जून से प्रारम्भ |

'द स्टडी' के निर्देशन में नवीन रणनीति

- विषय-वस्तु की मौलिक समझ विकसित कर विषय वस्तु के प्रति छात्रों में स्वाभाविक दिलचस्पी पैदा करना।
- विभिन्न विषयों (भूगोल, संविधान, अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं तकनीकी) के परस्पर संबंधों की समझ पैदा करना ताकि छात्रों में रचनात्मक एवं विश्लेषण परक सोच विकसित हो सके।
- समसामयिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को दैनिक एवं साप्ताहिक विकास के रूप में देखना तथा परंपरागत विषयों से जोड़कर टॉपिक को पूर्णता प्रदान करना।

कार्यक्रम • मुख्य परीक्षा 2012 • मुख्य परीक्षा (फाउंडेशन कोर्स) 2013

CSAT

मणिकांत सिंह, शशि कर्ण एवं अन्य

| कक्षा 29 जून से प्रारम्भ |

सीसैट में आलोचनात्मक सोच (Critical thinking) तथा अंतर्वैयक्तिक कौशल (Interpersonal skill) दोनों शामिल हैं। एक नये शैक्षणिक फ्रेमवर्क के रूप में आलोचनात्मक सोच का विकास यू.एस.ए. में हुआ है। जाहिर है कि यह मौलिक रूप में अंग्रेजी है। किंतु हमारी टीम का संपूर्ण प्रयास है कि हम इसके मूलभाव को खंडित किए बिना इसे हिन्दी भाषा में अभ्यर्थी तक पहुंचा दें। 'द स्टडी' ने हिन्दी माध्यम में सीसैट का एक बेहतर विकल्प प्रस्तुत किया है। हमारी टीम ने इसी तकनीकी पर प्रारम्भिक परीक्षा 2012 के लिए लगभग 250 बच्चों को प्रशिक्षित किया है।

निबंध- मणिकांत सिंह

| कक्षा 20 जून से प्रारम्भ |

सप्ताह में दो दिन

- निबंध को तथ्यों के प्रवाह (Flow of facts) के रूप में नहीं अपितु भावों के प्रवाह (Flow of Ideas) के रूप में देखना।
- थीसिस (Thesis) पर आधारित विशिष्ट लेखनशैली का विकास। इस लेखन शैली में एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर के माध्यम से मूल एवं गौण विचारों को थीसिस से जोड़ा जाता है।
- छात्र भूल एवं सुधार की प्रक्रिया के माध्यम से अपने परफोरमेंस को बेहतर बना सके इसलिए नियमित रूप में टेस्ट का आयोजन।

210, Virat Bhawan, IInd Floor, Near MTNL Office, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009

www.thestudyias.org • Email : thestudy@bol.net.in **Ph. : 011-27653672, 011-27652263**

YH-35/2012

आमिर ने देश की अंतरात्मा को झकझोरा

मौजूदा फिल्म कलाकारों में बहुत थोड़े से ऐसे कलाकार हैं जो अपने टेलीविजन कार्यक्रम के लिए भारतीय मानस को छू लेने वाला नाम *सत्यमेव जयते* चुन सकते थे। एक ऐसे मोड़ पर जब देश का आम आदमी दिनों-दिन बढ़ रहे ख़र्च से दुखी हो रहा हो और दूसरी तरफ इस देश का एक-एक अमीर दिनोंदिन बढ़ती काली कमाई से मोटा होता हो रहा हो, आमिर एक ऐसे सितारे के रूप में उभरते हैं जो सबसे सरोकार रखने वाले विषय पर बात करते हुए कभी हंसाता है और कभी रूलाता है।

सत्यमेव जयते ने यह गलतफहमी दूर कर दी है कि कन्या भ्रूण हत्या सिर्फ़ अनपढ़ ग्रामवासी लोग करते हैं।

आमिर खान ने इस विषय को बहुत रोचक ढंग से पेश किया। उनके शो के ज़रिये जिन राक्षसी प्रवृत्ति के लोग बेपर्दा हुए उनमें से कई डॉक्टर का चोला ओढ़े हुए थे जिन्होंने खुद उस शपथ का उल्लंघन किया जो वे अपना व्यवसाय शुरू करने से पहले लेते हैं।

कार्यक्रम ने हमारे अंदर मौजूद इंसानियत को झकझोर कर रख दिया और कहा कि सभी लोगों को हिम्मत के साथ इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए काम करना होगा।

जिन महिला डॉक्टरों ने कन्या भ्रूण को निपटाने के तरीक़े बताए उन्होंने कितनी दौलत इकठ्ठा कर ली होगी लेकिन उन्हें सोचना चाहिए कि अगर उनके ही माता-पिता उन्हें न पैदा होने देते तो क्या ऐसा करना मुमकिन होता? हम कैसे समाज में रह रहे हैं जहां एक तरफ तो कन्या भ्रूण की कोख में ही हत्या कर दी जाती है और अगर वे बच भी जाएं तो उसे दर्जनों बुराइयों का सामना करते हुए नारकीय जीवन बिताना पड़ता है।

इसी सिलसिले में एक दृश्य राजस्थान का दिखाया गया जहां से कन्या भ्रूण हत्या की ख़बरें अक्सर मिलती हैं। स्टिंग आपरेशन के जरिये दिखाया गया कि कैसे लोग इन घृणित कामों में शामिल हो रहे हैं और पढ़े-लिखे डॉक्टर भी ऐसे कामों में योगदान दे रहे हैं। ये घटनाएं लगातार हो रही हैं और कभी-कभी तो सारे कर्मचारी भी इसमें शामिल होते हैं।

आमिर ने दिखा दिया कि कन्या भ्रूण हत्या सिर्फ़ ग़रीबों में ही नहीं चल रही, बल्कि अमीर और मशहूर लोगों के घर भी इस लांछन से मुक्त नहीं हैं। ज़ाहिर है कि ऐसा करने वाले शिक्षा से प्रभावित नहीं हैं। ये लोग लड़कियों का पालन-पोषण करना नहीं चाहते और उधर प्रभावित माता को इस बात की कुछ भी जानकारी नहीं होती कि बालिका के जन्म में उसकी कोई भूमिका नहीं होती बल्कि ये पूरी तरह पुरुष के शुक्राणु पर निर्भर करता है। अपने अज्ञान के चलते वे कोई विरोध नहीं कर पातीं और लड़का पाने की ललक में गलत काम करती हैं। इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि भ्रूण के लिंग की जानकारी कूट रूप में दी जाती है। अगर कहा जाता है कि 'जय श्री कृष्ण' तो इसका मतलब है लड़का और 'जय माता दी' कहने पर लड़की समझा जाता है। ऐसे मामलों में यह कितना दुखद है कि 'जय माता दी' जैसे पवित्र शब्द जो ममता और शक्ति का प्रतीक हैं उनका अभद्र और अनैतिक कृत्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ऐसा करते हुए कन्या को जन्म ही नहीं लेने दिया जाता।

अनेक मामलों में आखिरकार दोषियों को कटघरे में लाया जा सका है। पंजाब में भी एक ऐसा ही मामला लोगों की नज़र में आया है। आमिर ने बाकी भारतीयों से भी दोषियों को बेनक़ाब करने का आग्रह किया। एक और मामला उस महिला का दिखाया गया जिसके पति ने उसके चेहरे पर काट कर सिर्फ इसलिए उसे बदसूरत कर दिया था कि उसने बालिका को जन्म दिया। ऐसे भी और ही मामले दिखाए गए जिनमें किसी महिला का सिर्फ़ इसलिए अपमान किया गया कि उसने बच्ची को जन्म दिया था।

35 वर्ष के आयु वर्ग वाले युवकों को शादी की समस्या का इसलिए सामना करना पड़ा क्योंकि पुरुषों के मुक़ाबले महिलाओं की संख्या कम थी। इसी तरह के और मामले दिखाए गए जिनसे साबित होता है कि आमिर जनमानस को उद्वेलित करने में कामयाब रहे। ❑

संसद के

लोकतंत्र की निरं

संसद के 60 वर्ष पूरे होने पर संसद के केंद्रीय कक्ष में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल ने कहा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय निराशावादी इस बात पर आशंकाएं ज़ाहिर कर रहे थे कि भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश में लोकतंत्र शायद नहीं चल पाएगा। हमने उन्हें गलत साबित कर दिया है।

भारतीय लोकतंत्र की उपलब्धियों के बारे में राष्ट्रपति ने कहा कि हमारे संविधान के अनुसार संसद और राज्य विधान परिषदों तथा स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि मतदान के ज़रिये निर्वाचित होते हैं और ऐसा निर्वाचन निष्पक्ष और खुला होना चाहिए। यह हमारा रिकार्ड रहा है कि हमने हमेशा ही निष्पक्ष तरीक़े से चुनाव कराए और हमेशा लोकतंत्र के प्रति समर्पित रहे।

भारतीय लोकतंत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती रही है कि यह एक जीवंत और स्वस्थ लोकतंत्र कैसे बने? इसीलिए यह ज़रूरी हो गया कि हम सावधानी और पक्के इरादे के साथ आगे बढ़ें ताकि हमारा मुख्य उद्देश्य एक स्वस्थ और प्रगतिशील लोकतंत्र की स्थापना नज़रों से ओझल न हो।

संसद जन महत्वाकांक्षा की धात्री होती है। इसीलिए बढ़ती हुई जन महत्वाकांक्षाओं और अपेक्षाओं को यहां उपयुक्त नीतियों और निर्णयों के ज़रिये कानून का रूप दिया जाता है।

राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा पाटिल ने 13 मई को भारतीय लोकतंत्र व्यवस्था की सराहना करते हुए कहा कि देश ने उन निराशावादियों को गलत साबित कर दिया है जो भारत में लोकतंत्र को लेकर गलत भविष्यवाणियां कर रहे थे। राष्ट्रपति ने इस बात पर ज़ोर दिया कि लोकतंत्र को लड़खड़ाने नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये हमारी राष्ट्रीयता की पहचान है।

लोकतंत्र तभी चल सकता है जब राष्ट्र हित और समाजिक उद्देश्यों के प्रति सभी लोग संवेदनशील हों। उपराष्ट्रपति और राज्य सभा के सभापति हामिद अंसारी ने कहा कि भारतीय संसद का कार्य मतदान में सबकी भागीदारी पर आधारित है। उन्होंने कहा कि गणराज्य की स्थापना के समय इसकी मात्रा और पहुंच की कल्पना भी नहीं की गई थी। उन्होंने सभी संसद सदस्यों से जागरूक हो कर नयी पीढ़ी की आकांक्षाओं के अनुसार दुनिया को बदलने के लिए सार्थक पहल करने की अपील की।

उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी संसद के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए 60 वर्षों का समय काफी लंबा समय होता है। इस दौरान उसकी जिम्मेदारियों और सरकार की चूकों पर नज़र डाली जा सकती है। अगर भारतीय संसद के संदर्भ में देखें तो इन दोनों मुद्दों पर हमें गिरावट दिखाई देगी। जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए हमारे पास जो संस्थागत तंत्र और प्रक्रिया संबंधी मापदंड मौजूद हैं उनका इस्तेमाल धीरे-धीरे घट रहा है। उन्होंने कहा कि संसद के काम करने के दिनों की संख्या में बराबर गिरावट दिखाई दे रही है। अक्सर चर्चा नहीं होती और कानून जल्दबाजी में बनाए जाते हैं। ऐसी भी धारणा बन रही है कि संसदीय कार्य परिश्रम से करना राजनीति के लिए ज़रूरी नहीं है।

उपराष्ट्रपति ने यह भी कहा कि जब गणराज्य की स्थापना हुई, तो मात्रा और पहुंच में इसकी कल्पना ही नहीं की जा सकती थी।

कार्यशील लोकतंत्र

प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा कि हमारी संसद ने सिर्फ़ भारतीय जनता की महत्वाकांक्षाओं और सरोकारों को ही मुखर नहीं किया बल्कि स्वतंत्रताप्रेमी हज़ारों उन लोगों को भी वाणी दी है जो गरिमा और शांतिपूर्वक जीना चाहते हैं। सदस्य संसद में आकर किस तरह का आचरण करते हैं और संस्थानों और मूल्यों को कितना सम्मान देते हैं यह संसद में आकर पता चलता है क्योंकि संसद स्वतंत्रता और गरिमा की प्रतीक बन गई है। उन्होंने कहा कि हममें से हर एक का यह दायित्व है कि वह उन हितों का प्रतिनिधित्व करें जिन्होंने उसे चुनकर भेजा है। और, ऐसा

60 वर्ष

तंत्रता का उत्सव

करते हुए हमें गरिमा, करुणा और शिष्टता का भी ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री ने संसद सदस्यों से आग्रह किया कि वे उन लोगों को दृढ़तापूर्वक ठुकरा दें जो भारतीय संसद से जुड़े संस्थानों का मखौल उड़ाते हैं। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे तब तक पूरी तरह से लोकतंत्रीय नहीं बन पाएंगे।

संसद के काम में बाधा डालने के बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि अक्सर लोग हताशा महसूस करते हैं। इसके लिए हम खुद किसी न किसी तरह से दोषी हैं। उन्होंने कहा कि रचनात्मकता और तर्क़ आधारित बहस की परंपरा फिर से जीवित करनी होगी और ऐसा करके ही हम लोगों का सम्मान प्राप्त कर सकते हैं और जनमत में आगे बने रह सकते हैं।

लोकसभा अध्यक्ष सुश्री मीरा कुमार ने सांसदों को याद दिलाया कि वे संसद में जनता के हितों की रक्षा के लिए आए हैं। यहां पर उन्हें संप्रदाय, क्षेत्रीयता, जाति और भाषा के बंधनों से ऊपर उठते हुए उन लोगों के हितों की रक्षा करनी है जिनसे भारत राष्ट्र बनता है और ऐसा करते हुए उन्हें वंचितों और उपेक्षित वर्गों का ख़ासतौर से ध्यान रखना है। ऐसा करते हुए हमें अपने कर्तव्य निर्वहन के साथ किसी तरह की चूक नहीं करनी है।

उन्होंने कहा कि सांसदों को एक क्षण के लिए भी लापरवाही नहीं करनी है और कानून, नीतियां और कार्यक्रम बनाते हुए उन्हें जनता के भाग्य का निर्णय करना है।

इस अवसर पर पहली लोकसभा के चार सदस्यों को सम्मानित किया गया। सम्मानित सदस्यों के नाम हैं- रिशांग कीशिंग (संप्रति राज्यसभा सदस्य), रेशम लाल जांगड़े (छत्तीसगढ़), कांडला सुब्रमण्यम और के. मोहन राव (दोनों आंध्र प्रदेश से)।

राष्ट्रपति ने इस अवसर पर कुछ प्रकाशन जारी किए जिनमें संविधान सभा संसद में दिए गए कुछ भाषण शामिल किए गए हैं। पांच रुपये और दस रुपये मूल्य के दो स्मारक सिक्के भी इस अवसर पर जारी किए गए।

गरिमा और पवित्रता का संकल्प

13 मई को लोकसभा और राज्यसभा ने अपनी सर्वोच्चता को लेकर एक संकल्प पारित किया जिसके अनुसार दोनों सदन अपनी गरिमा और पवित्रता बनाए रखकर संसद को परिवर्तन और लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रभावी साधन बनाए रखेंगे। लोकसभा का यह प्रस्ताव राज्यसभा में भी आया और इसके बारे में सदन के बाहर और भीतर विचार-विमर्श चल रहा है। इस विचार-विमर्श में संसद के दोनों सदनों के कामकाज और नागर समाज की भूमिका तथा उन मुद्दों पर विचार किया जा रहा है जिन पर वर्तमान सांसद चर्चा करने में असमर्थ रहे।

दोनों सदनों के संसद सदस्यों ने दिनभर की संस्मारक बैठक के बाद ध्वनिमत से एक संकल्प पारित किया जिसमें कहा गया कि सरकार की संसद के ज़रिये लोगों के प्रति जवाबदेही बढ़ाई जाएगी। ऐसा करते हुए उन्होंने राष्ट्रनिर्माण के पवित्र कार्य के प्रति फिर से समर्पित होने का संकल्प लिया।

ये प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष सुश्री मीरा कुमार ने और राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी ने अपने-अपने सदन में प्रस्तुत किए और सदस्यों ने मेजे थपथपाकर इसका समर्थन किया। इसमें कहा गया है कि ''हम सारे सांसद इस बात की सत्यनिष्ठा और पूरे समर्पण और वचनबद्धता से पुष्टि करते हैं कि हम अपने संस्थापक पूर्वजों के आदर्शों के प्रति समर्पित रहेंगे और संकल्प लेते हैं कि संसद की सर्वोच्चता, गरिमा और पवित्रता बनाए रखेंगे ताकि यह संसद लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों में परिवर्तन लाने और उन्हें सुदृढ़ बनाने का प्रभावी साधन बन सके। संसद की देखरेख में सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से हम एक बार फिर अपने आप को पूरी तरह से राष्ट्रनिर्माण के कार्य के प्रति समर्पित करते हैं।''

सांसदों ने स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदानों को भी याद किया। उन्होंने पूरी संतुष्टि के साथ लोगों की परिपक्वता और स्वाभिमान को स्वीकार किया और उन लोगों की याद की जिन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अनथक प्रयास किए। ❑

PATANJALI सिविल सेवा की तैयारी हेतु समर्पित भारत का विशेषज्ञ संस्थान **I.A.S.**

उनके लिए जो सिविल सेवा की तैयारी प्रारम्भ कर रहे हैं, और उनके लिए भी जो सुधार चाहते हैं।

सबसे सरल, लोकप्रिय, भरोसेमंद, अंकदायी एवं प्रासंगिक विषय

दर्शनशास्त्र

प्रश्नों की बदलती प्रवृत्ति के अनुसार परिवर्द्धित, प्रामाणिक, सारगर्भित एवं तुलनात्मक सामग्री के साथ

दर्शनशास्त्र का चयन क्यों?

- वर्तमान के साथ-साथ भविष्य के लिये भी सुरक्षित विषय ।
- निबन्ध के साथ-साथ G.S. एवं Interview के लिये भी उपयोगी ।
- जहाँ अन्य कई विष्य केवल अंग्रेजी माध्यम में ही ठीक हैं वहीं दर्शनशास्त्र हिन्दी और English Medium दोनों में सफलतादायी है। *(सफल लोगों के परीक्षा के माध्यम को देखें।)*
- अन्य अनेक पेपरों में प्रतिदिन English Journals & Magazines आदि से अपडेट करने की आवश्यकता होती है वहीं दर्शनशास्त्र की तैयारी एक बार कर लेने पर केवल नोट्स को दोहराकर अच्छे अंक प्राप्त किये जा सकते हैं।
- सबसे युवा एवं प्रथम प्रयास में सफल अधिकांश अभ्यर्थी दर्शनशास्त्र के साथ हैं एवं पतंजलि संस्थान से जुड़े हैं।
- जहाँ अनेक अन्य पेपरों में सम्बन्धित शैक्षणिक पृष्ठभूमि, साहित्यिक अभिरुचि एवं गूढ़ गंभीर अलंकारिक शैली की समझ एवं पकड़ का होना आवश्यक है वहीं दर्शनशास्त्र के चयन हेतु ऐसी आवश्यकता बिल्कुल नहीं है।

(सफल लोगों की शैक्षणिक पृष्ठभूमि एवं अभिरुचि को देखें।)

सिविल सेवा की तैयारी कैसे करें? किन विषयों का चयन करें?

निःशुल्क परिचर्चा : 27 **मई** (समयः 5:30 सायं)

मुख्य परीक्षा कार्यक्रम (नया सत्र)

दर्शनशास्त्र
(प्रथम बैच)
30 मई
प्रातः 8:30
(निःशुल्क परिचर्चा के साथ कक्षा प्रारम्भ)

दर्शनशास्त्र
(द्वितीय बैच)
14 जून

नामांकन प्रारम्भ- 6 मई *(सीमित सीटें, रजिस्ट्रेशन सुरक्षित करायें)*

'पतंजलि' संस्थान से सफल अभ्यर्थी-2010

अनुपमा जोरवाल	: 419 अंक
आदिल खान	: 381 अंक
भुवन	: 377 अंक
रुचिका दिवाकर	: 376 अंक
अभिषेक जोरवाल	: 367 अंक
संजीव कुमार चाहर	: 367 अंक
योगेश्वर शर्मा	: 363 अंक
शत्रुध्न चौहान	: 361 अंक

50 से अधिक ऐसे ही और उदाहरण

PATANJALI

H.Of f.: 2580, Hudson Line, Kingsway Camp, Delhi-9,
Ph. : 32966281, 271 15152, M. : 9810172345
Br. Of f.: 11-A/10, Old Rajendra Nagar Market, New Delhi-60,
Ph. : 01 1-25751058, 981 1583851

YH-25/2012

सशक्तीकरण की मौन क्रांति

● मन्ना लाल मीणा

महिला की सुदृढ़ व सम्मानजनक स्थिति एक उन्नत, समृद्ध तथा मज़बूत समाज की द्योतक होती है। जहां तक भारत का संबंध है, यहां ''यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमंते तत्र देवता'' का सूत्र वाक्य पौराणिक काल से मान्य रहा है। ऐसे बहुत उदाहरण मिलते हैं जिनसे पता चलता है कि प्राचीन काल में महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी। मध्यकाल एवं इसके बाद स्वतंत्रता प्राप्ति तक इनकी स्थिति संतोषजनक नहीं रही है। किंतु स्वतंत्रता के बाद से संविधान में किए गए अनेक प्रावधानों के कारण आज भारत की महिलाओं की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। लेकिन ग्रामीण महिलाओं की स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं कही जा सकती। अनेक कारणों से भारतीय ग्रामीण महिलाओं की स्थिति कमज़ोर बनी हुई है। शिक्षा, रोज़गार, स्वास्थ्य, राजनीतिक एवं आर्थिक भागीदारी आदि से संबंधित संकेतकों में अधिकांश भारतीय ग्रामीण महिलाओं की स्थिति निम्नतर बनी हुई है।

महिला सशक्तीकरण की पहल सर्वप्रथम 1985 में नैरोबी में संपन्न अंतरराष्ट्रीय महिला सम्मेलन में की गई थी। इसके बाद विश्व के सभी भागों में इसने एक आंदोलन का रूप ले लिया। महिला सशक्तीकरण का सामान्य अर्थ है– महिला को शक्ति संपन्न बनाना। परंतु व्यापकता में इसका अभिप्राय सत्ता-प्रतिष्ठानों एवं जीवन के सभी क्षेत्रों में महिलाओं की साझेदारी से है। निर्णय लेने की क्षमता सशक्तीकरण का एक बड़ा मानक कहा जा सकता है। इस प्रकार महिला सशक्तीकरण से तात्पर्य महिलाओं को पुरुषों के बराबर वैधानिक, राजनीतिक, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में निर्णय लेने की स्वायत्तता से है।

महिला सशक्तीकरण में पंचायतों की भूमिका

चूंकि भारतीय ग्रामीण महिलाएं जीवन के सभी क्षेत्रों में पिछड़ी रही हैं, अतः उनके सशक्तीकरण के लिए किए जा रहे प्रयासों की समीक्षा कर अब तक की उपलब्धियों, समस्याओं एवं कमियों का विश्लेषण करते हुए सार्थक एवं उपयोगी सुझावों को अपनाना आवश्यक है। भारत में केंद्र एवं राज्य सरकारों के विभिन्न प्रशासनिक, वैधानिक, राजनीतिक एवं आर्थिक कार्यक्रमों और योजनाओं के साथ भारतीय पंचायती राज व्यवस्था ने ग्रामीण महिला सशक्तीकरण में उल्लेखनीय योगदान किया है। 73वें संविधान संशोधन के बाद ग्रामीण महिला सशक्तीकरण के क्षेत्र में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। इसलिए इस संशोधन से संबंधित प्रावधानों के क्रियान्वयन एवं उनके प्रभावों का विश्लेषण आवश्यक है।

क्या ग्रामीण महिलाओं का पंचायती राज से वास्तव में सशक्तीकरण हुआ है? और अगर हां, तो किस सीमा तक एवं किन अर्थों में? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिन पर अब विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि पंचायती राज अधिनियम को लागू हुए शीघ्र ही दो दशक पूरे हो जाएंगे। इसलिए इस व्यवस्था का महिला सशक्तीकरण की दृष्टि से मूल्यांकन आवश्यक है।

इसमें कोई संदेह नहीं कि पंचायती राज ने महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा दिया है किंतु सशक्तीकरण की मात्रा क्षेत्र एवं परिस्थितियों के अनुसार भिन्न रही है। जिन पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधि स्वयं पंचायत के मामलों को देखती हैं, निर्णय प्रक्रिया में पूर्ण सक्रियता से भाग लेती हैं और समुदाय के विकास कार्यक्रमों को बाहरी एजेंसियों से सक्रियता से करवा पाती हैं, तो कहा जा सकता है कि उन महिला प्रतिनिधियों का पूर्ण सशक्तीकरण हुआ है। दूसरी ओर, अगर महिला प्रतिनिधि अपने घर से स्वतंत्र रूप से बाहर नहीं आतीं, घूंघट नहीं हटा पाती और अपने पति या संबंधी के कहने पर ही दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करती हैं, तो कहा जा सकता है कि उन महिला प्रतिनिधियों का सशक्तीकरण नहीं हुआ है। भारत में पंचायती राज संस्थाओं में अभी भी ये दोनों ही स्थितियां देखने को मिलती हैं। इस प्रकार सशक्तीकरण का परिमाण विभिन्न स्थानों एवं परिस्थितियों में भिन्न रहा है।

वर्तमान में यह प्रवृत्ति देखने को मिल रही है कि पंचायती राज की महिला प्रतिनिधि अकेले सार्वजनिक क्षेत्रों एवं अपने कार्यालयों में जाने लगी हैं, पुरुष प्रतिनिधियों के साथ कुर्सियों पर बैठने लगी हैं, सार्वजनिक चर्चाओं में हिस्सा लेने लगी हैं और ये सभी क़दम

उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। निकट भविष्य में पंचायती राज में महिलाओं की सहभागिता से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला साक्षरता एवं शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा। इसी प्रकार शैक्षिक सशक्तीकरण होने से अगली पीढ़ी की महिला प्रतिनिधि बेहतर शिक्षित रहेगी और पंचायत के मामलों को बेहतर तरीक़े से संभाल पाएंगी। उल्लेखनीय है कि महिला पंचायत प्रतिनिधियों को अन्य ग्रामीण महिलाओं से परिवार, भूमि, रोज़गार एवं आवास से संबंधित विभिन्न वाद-विवाद की याचिकाएं मिलती हैं। पंचायत की नवीन महिला प्रतिनिधि इन सबको सुलझा तो नहीं पाती किंतु इससे वे सार्वजनिक जीवन के नये अनुभवों से अवगत होती हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि ग्रामीण महिलाओं का सशक्तीकरण हो रहा है।

पंचायती राज में महिला सशक्तीकरण की उपलब्धियां

देश के विभिन्न भागों में इन संस्थाओं पर हुए अध्ययन एवं प्रतिवेदन महिलाओं के प्रदर्शन एवं अनुभव को प्रदर्शित करते हैं। इससे इनकी नयी पहचान, मान्यता, विश्वास, प्रदर्शन एवं प्रभावी सहभागिता प्रदर्शित होती है।

अब तक की प्रगति यह प्रदर्शित करती है कि ग्रामीण भारत में महिलाओं में चेतना, जागरुकता, ज्ञान, विश्वास, आकांक्षाएं, स्व-बोध, सहभागिता, पंचायत एवं बाहरी नेतृत्व, पंचायतों एवं स्वयं पर पड़ने वाले प्रभावों के मामलों में पंचायती राज ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इस प्रकार महिला सशक्तीकरण ने ग्रामीण समुदायों को भी सशक्त किया है क्योंकि महिला सशक्तीकरण ने गांवों के कमज़ोर वर्गों को भी सशक्त किया है।

राजनीतिक प्रक्रिया और राजनीतिक संस्थाओं में महिला की भागीदारी से शासन की गुणवत्ता में भी सुधार आया है। इनकी भागीदारी नागरिक समाज के उन्नयन, खाद्य सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, पर्यावरण की सुरक्षा, आर्थिक तथा जीविका से जुड़े मुद्दों में ज्यादा है क्योंकि इनका प्रत्यक्ष संबंध महिलाओं से है और ये महिला सशक्तीकरण के सशक्त माध्यम हैं।

पंचायती राज के माध्यम से हुए महिला सशक्तीकरण से ग्रामीण महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति सचेत हुई हैं। उनमें अन्याय और शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाने की हिम्मत बढ़ी है। उनके व्यक्तित्व में भी परिवर्तन आया है। उनमें आत्मविश्वास एवं जोश बढ़ा है। रचनात्मक कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी बढ़ी है।

पंचायती राज ने महिला सशक्तीकरण द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर संसद व राज्य विधानसभाओं में एक तिहाई आरक्षण के लिए आधार तैयार किया है। पंचायती राज की सफलता को देखते हुए 9 मार्च, 2010 को राज्यसभा ने 108वां संविधान संशोधन विधेयक पास कर दिया। लोकसभा में यह अभी पारित होना बाक़ी है। उम्मीद है, यह वहां भी जल्दी ही पारित हो जाएगा। उल्लेखनीय है कि 73वें एवं 74वें संशोधन विधेयकों से महिलाएं सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक रूप से सशक्त हुई हैं। अब वे राष्ट्रीय स्तर पर आरक्षण के लिए तैयार हैं।

इस व्यवस्था ने महिला सशक्तीकरण एवं राजनीतिक सहभागिता के एक नये युग का सूत्रपात किया है। पंचायती राज संस्थाओं ने महिलाओं के न केवल निर्णय क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की है, बल्कि विकेंद्रीकृत नियोजन में विकास कार्यक्रम के प्रशासन, क्रियान्वयन एवं नियोजन में सक्रिय सहभागिता भी प्रदान की है।

पंचायती राज ने ग्रामीण क्षेत्र एवं वंचित (दलित) वर्ग की महिलाओं को परिवार, जाति एवं समाज में उच्च स्थिति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। क्योंकि इनमें बीपीएल एवं कमज़ोर तबके की महिलाएं भी निर्वाचित हो रही हैं, इसलिए उनका सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक सशक्तीकरण हो रहा है।

पंचायतों में सहभागिता से महिलाओं ने शिक्षा के महत्व को पहचाना है क्योंकि शिक्षा के अभाव में उन्हें इन संस्थाओं में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वे स्वयं महसूस करती हैं कि अगर वे शिक्षित होतीं तो इन संस्थाओं में बेहतर तरीक़े से कार्य संपादन एवं सहभागिता कर पातीं। उनकी इस सोच ने ग्रामीण क्षेत्र में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया है, जिसकी आज बहुत आवश्यकता है। महिला प्रतिनिधि ग़रीबी, असमानता, लैंगिक भेदभाव, नशाखोरी, स्वास्थ्य, शिक्षा, घरेलू हिंसा आदि मुद्दों को उठाकर ग्रामीण क्षेत्र में स्थानीय शासन की प्रकृति व दिशा को परिवर्तित कर रही हैं।

73वें एवं 74वें संविधान संशोधनों को महिला सशक्तीकरण के लिए 'क्रांतिकारी क़दम' कहा जा सकता है क्योंकि इनके द्वारा पहली बार स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया। यह आरक्षण न केवल सदस्यों के स्तर पर बल्कि सरपंच, प्रधान एवं जिला प्रमुखों के पदों पर भी सुनिश्चित किया गया है।

यद्यपि इन संशोधनों से पूर्व भी कुछ महिलाएं इन संस्थाओं में चुनी जाती थीं, किंतु उनकी संख्या न के बराबर होती थी। जब संसद में इन महिलाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधानों पर बहस हुई तो कुछ सदस्यों ने महिलाओं के इतनी बड़ी संख्या में चुनाव लड़ने एवं अन्य बातों को लेकर आशंका व्यक्त की। लेकिन वर्ष 1995 से शुरू हुए चुनावों एवं महिलाओं की सक्रिय भागीदारी ने उन सभी आशंकाओं को ग़लत साबित कर दिया है। वर्तमान में क़रीब 10 लाख महिलाएं पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित होकर अपनी सक्रिय सहभागिता निभा रही हैं। उल्लेखनीय है कि इन ग्रामीण महिलाओं में कमज़ोर एवं वंचित तबके की महिलाएं भी शामिल हैं, क्योंकि संविधान में ही अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इस व्यवस्था के कारण इन वर्गों की महिलाएं इन संस्थाओं में भाग लेकर लोकतंत्र एवं महिला सशक्तीकरण को वास्तविक रूप में साकार कर रही हैं। पिछड़े वर्गों की महिलाओं के लिए ऐच्छिक प्रावधान होने के कारण राज्य सरकारों ने भी एक तिहाई आरक्षण व्यवस्था कर रखी है।

इस प्रकार पंचायती राज की महिला सशक्तीकरण में भूमिका देखते हुए राजस्थान, बिहार एवं केरल सहित कुछ अन्य राज्यों ने महिलाओं के लिए पचास प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान कर दिया है। राजस्थान में जनवरी-फरवरी 2010 में हुए पंचायती राज चुनावों में 50 प्रतिशत आरक्षण को क्रियान्वित किया गया। उल्लेखनीय है कि अब बिहार जैसे कई राज्यों में महिलाओं की भागीदारी पंचायती राज में 60 प्रतिशत से भी ज्यादा है। क्योंकि कुछ महिलाएं सामान्य (पुरुष

योग्य) सीटों पर भी निर्वाचित हो रही हैं। 73वें संविधान संशोधन का अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों की महिलाओं को ज्यादा फायदा मिल रहा है, क्योंकि ये सामान्य महिला की सीट पर भी निर्वाचित हो रही हैं। यह एक अच्छा क़दम है क्योंकि इन वर्गों की महिलाएं ही समाज में ज्यादा पिछड़ी एवं शोषित रही हैं।

सशक्तीकरण के मार्ग में प्रमुख समस्याएं

पुरुष प्रधान संस्कृति एवं सामाजिक संरचनाएं ग्रामीण भारत में पंचायतों के माध्यम से स्थानीय शासन में महिला सहभागिता को प्रभावित करती है। अब भी कुछ परिवार अपनी महिलाओं को पंचायतों में काम करने की स्वीकृति नहीं देते, क्योंकि वे महिला का स्थान घर में समझते हैं, पंचायत में नहीं। पारंपरिक परिवार महिलाओं की स्वतंत्रता को उचित नहीं समझते।

उत्तरप्रदेश, राजस्थान एवं कुछ अन्य राज्यों में अब भी महिला प्रतिनिधियों के पति ही उनका काम संभालते हैं। इस कारण उनके लिए सरपंच पति या प्रधान पति जैसे शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं। ये लोग ही पंचायत प्रतिनिधि के रूप में महिला का सारा कार्य करते हैं। उनका कार्य चुनाव लड़ने की प्रक्रिया से ही शुरू हो जाता है। वे ही चुनावों में वोट मांगते हैं, प्रचार करते हैं, एजेंट बनाने एवं मतगणना तक की व्यवस्था अपनी निगरानी में करवाते हैं, महिला उम्मीदवार एवं प्रतिनिधि केवल हस्ताक्षर करती हैं। उनकी तरफ से सारे वादे एवं योजनाएं उनके 'पति' ही जनता के सामने पेश करते हैं। सच तो यह है कि मतदाता भी उनके 'पति' की साख, योग्यता, ईमानदारी एवं राजनीतिक प्रभाव को देखते हुए मतदान करती है। ये पति ही जीतने के बाद महिला को बैठकों आदि आवश्यक कार्यों में अपने साथ ले जाते हैं। उनके 'हां' या 'ना' के आधार पर ही महिला किसी प्रस्ताव या अन्य प्रशासनिक कार्यों एवं आदेशों पर हस्ताक्षर करती हैं।

चक्रानुक्रम आरक्षण व्यवस्था भी कुछ मामलों में महिला हितों के विरुद्ध है। इसमें किसी चुनाव में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित होते हैं। किंतु अगले चुनाव में वे उस वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित नहीं रहते, उन्हें बदल दिया जाता है। ऐसी स्थिति में पहले वाले चुनाव में निर्वाचित महिला के लिए अपना क्षेत्र बदलना अनिवार्य हो जाता है। ऐसे में उन्हें पिछले कार्यकाल में करवाए गए विकास कार्यक्रमों का फायदा नहीं मिलता। उन्हें न केवल नये क्षेत्र में चुनाव जीतने के लिए व्यवस्था करनी पड़ती है, बल्कि जीतने के बाद फिर से नये कार्यक्रम शुरू करने पड़ते हैं। इस व्यवस्था से महिला सशक्तीकरण प्रभावित होता है।

कुछ राज्यों में पंचायत उम्मीदारों के लिए 'दो बच्चों' का ही प्रावधान है। इनसे ज्यादा बच्चे होने पर उन्हें उम्मीदवारी के लिए अयोग्य माना जाता है। इस व्यवस्था से भी ग्रामीण महिलाएं ज्यादा प्रभावित होती हैं क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादातर मामलों में महिलाओं को उनके बच्चे निर्धारित करने का अधिकार नहीं रहता है। इस बारे में निर्णय उनके पति या परिवार वाले ही लेते हैं।

क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों की ज्यादातर महिलाएं निरक्षर एवं अशिक्षित होती हैं इसलिए वे प्रशासनिक नियमों एवं राजनीतिक प्रक्रियाओं से अनभिज्ञ होती हैं। उनकी इस कमज़ोरी का फायदा पंचायती राज व्यवस्था में कार्य करने वाले कार्मिक उठाते हैं। ये कार्मिक ही रिकार्ड एवं लेखों की सार-संभाल करते हैं। ऐसे कई मामले हुए हैं जिनमें अशिक्षित महिला प्रतिनिधियों की अज्ञानता का फायदा उठा कर ही कार्मिक पंचायतों के मदों में फेरबदल कर घपलेबाजी करते रहे हैं।

इस प्रकार महिलाओं की अशिक्षा, उत्पादन कार्यों का भार, वित्तीय आत्मनिर्भरता एवं सांस्कृतिक प्रतिबंध महिलाओं की सहभागिता एवं सशक्तीकरण को प्रभावित करते हैं।

उच्च एवं संपन्न वर्ग की महिलाएं निम्न एवं वंचित वर्ग की महिलाओं के अधीन कार्य करने की इच्छा नहीं रखती है। अगर पंचायत के अध्यक्ष पद पर इन कमज़ोर वर्गों की महिलाएं आरक्षण के कारण चुन ली जाती हैं तो कई समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। निर्णय लेते समय सभी स्तरों पर इन महिलाओं की राय पर ध्यान नहीं दिया जाता है।

ग्रामीण महिला प्रतिनिधियों को, विशेष रूप से कमज़ोर वर्गों की महिलाओं को परिवार के पालन-पोषण के लिए कृषि कार्य अथवा मज़दूरी पर जाना पड़ता है, इस वजह से वे पंचायतों की बैठकों में भाग नहीं ले पातीं एवं समाज में विद्यमान पर्दा प्रथा, पुराने रीति-रिवाज के चलते भी वे विकास प्रक्रिया में पूर्ण भागीदारी नहीं कर पातीं।

महिलाओं के समक्ष चुनौतियां

पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की सफलता प्रतिक्रिया, निराशा, सीमित सत्ता हस्तांतरण की बाधाएं, सीमित संसाधन, सांस्कृतिक पूर्वधारणाएं आदि चुनौतियों की मात्रा व गुणवत्ता विशिष्ट सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य द्वारा निर्धारित होती हैं। साथ ही प्रत्येक राज्य में इन संस्थाओं की प्रकृति, प्रभावी सत्ता हस्तांतरण की सीमा, वित्तीय एवं मानवीय संसाधनों की उपलब्धता भी ग्रामीण महिलाओं की इन संस्थाओं में योग्यता व उपयोगिता में अंतर पैदा करते हैं। इसी कारण महिलाएं इन चुनौतियों का सामना करने के लिए समर्थकारी व्यवस्था की मांग करती हैं।

अपने परिवारों के समर्थन, अभिप्रेरणा एवं सहयोग आदि में कमी भी महिलाओं को हतोत्साहित करते हैं। अधिकतर महिलाएं सामाजिक मान्यताएं, जनता से मेल-मिलाप पर प्रतिबंध, असुरक्षित एवं हिंसक वातावरण के कारण इन संस्थाओं की ओर आकर्षित नहीं हो पातीं।

सुझाव

ग्रामीण महिला सशक्तीकरण के लिए महिलाओं एवं पंचायती राज के सम्मुख उत्पन्न चुनौतियों का सामना करने के लिए दीर्घकालीन रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। उन्हें व्यवस्थित होकर विभिन्न बाधाओं एवं चुनौतियों को दूर करना पड़ेगा। इस हेतु कुछ प्रमुख सुझाव निम्न हैं:

- महिला प्रतिनिधियों को एकत्रित होकर इन संस्थाओं में काम करना चाहिए। इन्हें महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर मतभेद भुलाकर काम करना होगा। उन्हें लैंगिक भेदभाव, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा एवं बाल अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर एकजुटता का प्रदर्शन करना चाहिए।
- निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं एवं पुरुषों की संतुलित भागीदारी के लिए आम राय बनाने हेतु जन-अभियान चलाया जाना चाहिए।
- महिलाओं को विश्व के अन्य देशों, जैसे- कनाडा, जर्मनी, नाइजीरिया एवं फिलीपींस की तरह स्वयं के दल बनाने चाहिए। इनका

उद्देश्य विभिन्न स्तरों पर महिलाओं की सहभागिता को बढ़ावा देना होना चाहिए।

- महिलाओं को संगठित होकर विभिन्न स्तरों पर अपने नेटवर्क स्थापित करने चाहिए, ताकि निर्णय निर्माण एवं क्रियान्वयन में अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर सकें।
- महिलाओं के लिए शैक्षणिक सुविधाओं के विस्तार, राजनीति में सक्रियता, अधिकारों के लिए विधानमंडलों एवं वैधानिक निकायों में सक्रियता, समानता के अवसरों को पाने की इच्छा एवं सामाजिक परिवर्तन की अति आवश्यकता है। इन सभी समन्वित प्रयासों से ही महिला सशक्तीकरण संभव हो सकेगा।
- पंचायती राज में महिलाओं की प्रभावी सहभागिता विशिष्ट कुशलता, ज्ञान एवं दृष्टिकोण की मांग करती है। इसलिए व्यवस्थित प्रशिक्षण एवं अभिनवीकरण की आवश्यकता है, ताकि महिलाएं वर्तमान स्थितियों को बदलकर संसाधनों एवं सत्ता के प्रयोग द्वारा महिला सशक्तीकरण को शीघ्रता से संभव बना सकें।
- राजनीतिक दलों को भी महिला सहभागिता को बढ़ावा देना चाहिए। अपने संगठनों में उन्हें महिलाओं को अधिक से अधिक स्थान देना चाहिए।
- धन एवं शक्ति पर निर्भर निर्वाचन प्रणाली को भी बदला जाना चाहिए। चुनावों में जातिवाद, अपराधीकरण, मतदान केंद्रों पर कब्जा आदि बुराइयों को दूर करना चाहिए।
- केवल महिला आरक्षण ही महिला सशक्तीकरण को संभव नहीं बना सकता। महिला प्रतिनिधि शिक्षा, सूचना एवं ज्ञान के माध्यम से ही अपने कार्यों एवं दायित्वों को संभाल सकती हैं। इस संदर्भ में मीडिया भी अहम भूमिका निभा सकता है।
- सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, प्रभावी चुनावी व्यवस्था, संवेदनशील एवं उत्तरदायी जनता आदि मिलकर महिलाओं की राजनीतिक गतिशीलता एवं सहभागिता को बढ़ावा दे सकते हैं। इन सभी के संयुक्त प्रयासों से महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा मिलेगा।
- महिला सहभागिता अभियान को प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रमों के एक प्रमुख भाग के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में अपनाया जाना चाहिए। विभिन्न गैर-सरकारी संगठन पंचायती राज में महिला सहभागिता के लिए समुदायों को शिक्षित एवं गतिशील कर सकते हैं।
- ग्रामीण महिला सशक्तीकरण हेतु उपर्युक्त सारे प्रयास एवं सुझाव तभी उपयोगी होंगे जब राजनीतिक उपायों से समुदायों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाएगा। ग्रामीण समुदायों के दिमाग में यह बात बिठाने की आवश्यकता है कि महिलाएं ग्रामीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान कर सकती हैं। इस हेतु स्वयं महिलाओं एवं अन्य कट्टरपंथियों के मानसिक दृष्टिकोण में परिवर्तन की तत्काल आवश्यकता है।
- महिला सशक्तीकरण हेतु आवश्यक है कि वह स्वयं उन नीतियों व योजनाओं के निर्माण में सहभागी हों जो उनके लिए बनाई जा रही हैं। यह तभी संभव हो सकता है जब वे स्वयं भी उस राजनीतिक व्यवस्था का अंग हों जो नीति-निर्माण व क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार हैं। इसके लिए आवश्यक है कि 9 मार्च, 2010 को राज्यसभा द्वारा पारित महिला आरक्षण बिल को लोकसभा से भी पारित करवाया जाए।
- महिला सशक्तीकरण के लिए चलाई जा रही योजनाओं तथा कार्यक्रमों का मूल्यांकन तथा अनुश्रवण नियमित अंतराल पर किया जाना आवश्यक है। कोई भी योजना तभी सार्थक हो सकती है जब उसे वास्तविक धरातल पर लाया जाए और इसके लिए मूल्यांकन और अनुश्रवण की आवश्यकता है, जिसकी हमारे देश में शायद सर्वाधिक कमी है।
- महिलाओं के संपूर्ण एवं वास्तविक सशक्तीकरण के लिए आवश्यक है पंचायतों का सशक्तीकरण हो, क्योंकि कमज़ोर पंचायतें महिलाओं को सशक्त नहीं कर सकतीं। इसलिए पंचायतों की स्थिति को मज़बूत करना आवश्यक है। अधिकतर पंचायतों के पास अपना कोई विशेष राजस्व नहीं है। न्याय प्रशासन एवं पुलिस प्रशासन के विकेंद्रीकरण का भी अभाव है। इसलिए हमें पंचायती राज को विकास के वाहक के रूप में देखने के बजाय विकास को ही पंचायती राज के वाहक के रूप में देखना चाहिए, तभी वास्तविक महिला सशक्तीकरण संभव हो सकेगा।

निष्कर्ष

देश के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ग्रामीण महिला सशक्तीकरण अति आवश्यक है और इसी कारण देश के विकास के लिए ग्रामीण महिलाओं को मुख्यधारा में लाना सरकार की मुख्य चिंता रही है। ग्रामीण महिला सशक्तीकरण ग्रामीण भारत के विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। महिलाओं का सशक्तीकरण, जीवन के सभी क्षेत्रों में सतत विकास, पारदर्शी तथा उत्तरदायी सरकार एवं प्रशासन के लिए आवश्यक है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं एवं पुरुषों की समान भागीदारी ग्रामीण समाज एवं देश के संतुलित विकास को बढ़ावा देगी जिससे अंततः भारतीय लोकतंत्र को मज़बूती मिलेगी। क्योंकि ग्रामीण महिलाओं की सभी स्तरों पर निर्णय एवं नीति-निर्माण तथा क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता के बिना समानता, सामाजिक न्याय एवं लोकतांत्रिक आदर्शों की प्राप्ति नहीं होगी। अभी महिला सशक्तीकरण के लिए बहुत रास्ते पार करने हैं, बहुत से क़दम उठाने बाक़ी हैं, इसलिए लचीला एवं प्रभावी रणनीतियों को अपनाने की आवश्यकता है।

इस प्रकार पंचायती राज ने मौन क्रांति के रूप में ग्रामीण महिला सशक्तीकरण को विभिन्न तरीक़ों से बढ़ावा दिया है। इसने अब पुरुष मानसिकता को भी बदल दिया है। वे महिलाओं को पंचायती राज में हिस्सा लेने के लिए कई तरीक़ों से बढ़ावा दे रहे हैं। समय के साथ महिलाएं राजनीतिक कौशल प्राप्त कर लेंगी, नियम एवं प्रक्रियाओं को बेहतर तरीके से जान लेंगी और स्वयं के एजेंडे के अनुसार कार्य कर सकेंगी। इन सबके होने से ग्रामीण महिलाएं सद्भाव एवं सहयोग पर आधारित बेहतर ग्रामीण समुदायों का निर्माण कर पाएंगी जिनसे लिंग संतुलन एवं सामाजिक न्याय की स्थापना हो सकेगी। इस प्रकार पंचायती राज से ग्रामीण महिला सहभागिता एवं सशक्तीकरण भविष्य में अधिक सक्षम, एवं विश्वसनीय हो सकेगा। ❑

(लेखक लोक प्रशासन विभाग, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर में एसोसियेट प्रोफेसर एवं यूजीसी पोस्ट डॉक्टरल फेलो हैं।

ई-मेल : mannalalmeena@gmail.com)

झरोखा जम्मू-कश्मीर का

जम्मू-कश्मीर के दस युवा आईएएस के लिए चुने गए

जम्मू-कश्मीर के युवक अभी तक ग़लत कारणों से ख़बरों में बने रहते थे। कभी किसी की दुखद मौत से उनका नाम जुड़ता तो कभी किसी मुहिम के चलते पत्थरबाजी में उनका नाम आता था। झगड़ों और सुरक्षा बलों से मुठभेड़ों के चलते भी कश्मीरी युवक ख़बरों में बने रहते थे।

लेकिन अब वे एकदम अलग कारणों से ख़बरों में आ रहे हैं। इसकी ताज़ा मिसाल है भारत की सबसे प्रतिष्ठापूर्ण भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के नतीज़े। पिछले दिनों प्रकाशित लोक सेवा आयोग के ताज़ा परिणाम में जम्मू-कश्मीर के दस युवा सफल घोषित किए गए हैं।

आईएएस में चुने गए दस में से पांच युवा कश्मीर घाटी से हैं जो धीरे-धीरे अब अव्यवस्था और अशांति के दलदल से उबर रही है। घाटी की एक मुस्लिम महिला भी चुनी गई है जबकि पुंछ का एक गुज्जर लड़का आईएएस बना है।

अच्छी सेवाओं में चुने जाने की ललक कश्मीरी युवाओं में तब पैदा हुई जब शाह फ़ैजल ने 2010 में आईएएस की सूची में टॉप किया। वे ऐसा करके घाटी के बाहर अपना व्यवसाय तलाश करने वाले युवा वर्ग के हीरो बन गए।

उमर ने लिखा शाबाश!

जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुला ने इन सभी चुने गए अभ्यर्थियों को शाबासी देते हुए बधाई दी। उन्होंने अपने ब्लॉग में ट्वीट करते हुए लिखा- ये दिल को अच्छी लगने वाली बात है कि जम्मू-कश्मीर के कई युवा अखिल भारतीय सेवाओं में इस साल चुने गए, शाबाश!

30 वर्षीय सैयद आबिद रशीद संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में 2010 में पहली बार शामिल हुए थे। उन्होंने 180 अंक हासिल किए और भारतीय पुलिस सेवा में चुने गए। इस बार उन्होंने एक बार फिर कोशिश की और शीर्ष 25 में आ गए। श्री रशीद ने कहा कि पढ़ाई की गुणवत्ता, पढ़ाई की मात्रा से बेहतर होती है। उनकी 23वीं रैंक आई है। उन्होंने कहा कि रोज़ाना वह आठ घंटे पढ़ते थे और इसी पढ़ाई के चलते इस परीक्षा में कामयाब रहे। श्री रशीद ने कहा कि पढ़ाई के साथ ही भरोसा, लगन और कड़ी मेहनत भी ज़रूरी होती है। साथ ही, पक्का इरादा भी ज़रूरी है।

कामयाब उम्मीदवारों की सूची में एक और नाम है सुश्री शीरीष अशगर का जिन्होंने चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई की और पिछले साल की सिविल सेवा में टॉप किया था। 26 वर्षीया शीरीष का कहना है कि कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अगर कड़ी मेहनत की जाए तो कामयाबी आपके पैर छुएगी। ज़रूरत है आपको सिर्फ़ सही मार्गदर्शन और योजना बनाकर कामयाब होने के लिए पढ़ाई करने की।

अपने परिवार में सुश्री अशगर दूसरी पीढ़ी की अधिकारी हैं। उनके पिता सैयद अशगर 1977 बैच के कश्मीर प्रशासनिक सेवा के अधिकारी थे। बाद में वह राजनीति में आ गए और विपक्षी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के एमएलसी बन गए।

434वीं रैंक वाले बशीर अहमद भट एक दुकानदार के सुपुत्र हैं और सेबों के लिए मशहूर सोपोर कस्बे के रहने वाले हैं। उनका पूरा इलाक़ा उग्रवाद से ग्रस्त था। श्री भट ने पशु चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई की और राज्य में 2010 की परीक्षा में चौथी नंबर पर आए थे। इस कामयाबी से उन्हें तसल्ली नहीं हुई और उन्होंने अखिल भारतीय लोक सेवा में शामिल होने का निश्चय किया। उनका कहना है कि इसके लिए सिर्फ़ सच्ची लगन और कड़ी मेहनत चाहिए।

28 वर्षीय काजी सलमान नियंत्रण रेखा के पास कुपवाड़ा क्षेत्र में मागम के रहने वाले हैं। उन्होंने फ़ैसल से प्रेरणा ग्रहण की।

इमामुल हक़ मेंगनू उत्तरी कश्मीर के सोपिया जिले के एक डॉक्टर हैं और उन्होंने 280वां स्थान हासिल किया है। वहीं मेनाजिर जिलानी सैमून गुरेज इलाक़े में स्थित कश्मीर के बांदीपुरा के हैं जो नियंत्रण रेखा के पास स्थित है। उनकी 451वीं रैंकिंग रही। वादी के जो 6 उम्मीदवार कामयाब हुए हैं उनमें से पांच ने चिकित्सा विज्ञान की पढ़ाई की है जबकि श्री सलमान एकमात्र इंजीनियर हैं जो आईएएस में चुने गए हैं। ❑

नागिन घास का मैदान पर्यटकों के लिए खुला

जम्मू-कश्मीर सरकार ने मनोरम पर्यटन स्थल नागिन को पर्यटकों के लिए खोल दिया है। नियंत्रण रेखा के पास होने के कारण इसे 22 वर्ष पहले प्रतिबंधित कर दिया गया था। गुलमर्ग के स्कीइंग इलाक़े से क़रीब 10 किलोमीटर दूर 9,000 फिट की ऊंचाई पर स्थित नागिन के मनोरम घास के मैदान प्रकृति की अनुपम छटा बिखेरते हैं। हिममंडित पर्वत शिखरों और लाल, पीले तथा सफेद जंगली फूलों से सजा हरा-भरा घास का मैदान पर्यटकों को नागिन की ओर आकर्षित करता रहा है। शांत बहती जलधारा नागिन के सौंदर्य को और बढ़ाती है।

पर्वतारोहियों, पर्यटकों और आम नागरिकों के लिए नागिन 1990 में प्रतिबंधित कर दिया गया था। राज्य में उस समय आतंकवाद ने तेज़ी से क़दम बढ़ाने शुरू किए थे। नागिन के दक्षिण में गगनचुंबी पर्वत शिखरों से सटे ज़मीनी हिस्सा नियंत्रण रेखा से बमुश्किल 5 किमी. दूर है। 1990 के बाद से ही पीर पंजाल की पर्वत श्रेणियां घुसपैठ के लिए आतंकवादियों के पसंदीदा रास्ते रहे हैं। नागिन के रास्ते घुसपैठ को रोकने के लिए सेना ने इस क्षेत्र को नागरिक गतिविधियों के लिए प्रतिबंधित कर दिया था। हाल के वर्षों में आतंकवादी गतिविधियों में आई कमी को देखते हुए नागिन की हरीतिमा को पर्यटको के लिए पुनः खोलने का निर्णय लिया गया है। क्षेत्र के सैनिक कमांडर, 19वीं इंफैंट्री के मेजर जनरल विपिन रावत ने बताया कि आतंकवाद बढ़ने के कारण इसे पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था, और अब जब उसमें कमी आ गई है, इसे फिर से खोलने का निर्णय लिया गया है। परंतु नागिन को पर्यटन के लिए खोले जाने के अवसर पर आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए मेजर जनरल विपिन रावत ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि स्थिति में फिर कोई बदलाव आता है और सुरक्षा बलों को लगता है कि पर्यटन के कारण सुरक्षा के साथ समझौता हो रहा है और उसे पुनः मज़बूत बनाने की आवश्यकता है, तो इस निर्णय को बदला भी जा सकता है।

गुलमर्ग-बोरापाथरी मार्ग पर स्थित नागिन का रास्ता आमतौर पर बादलों से ढका रहता है। बादल इतने घने होते हैं कि कालीघटा-सी छायी रहती है और कुछ क़दम दूर की चीज़ें भी ठीक से दिखाई नहीं देती। लगभग आधे घंटे तक चले उद्घाटन समारोह के दौरान ही मौसम इतनी तेज़ी से बदला कि देखते-देखते बारिश शुरू हो गई। काले-घने बादलों से पूरा (घास का) मैदान ढक गया। राज्य के पर्यटन मंत्री नवांग रिगजिन जोरा ने इस अवसर पर बताया कि सरकार पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इसे कई वर्षों से खोलने का प्रयास कर रही थी। ❑

करगिल में अवाम का सिनेमा

करगिल फ़िल्म समारोह से दूर-दराज़ के इस इलाक़े से देशवासियों को शांति और भाईचारे का संदेश मिलेगा

करगिल नाम से सेना के बंकरों और खड़ी चढ़ाई वाली पहाड़ियों पर गोलीबारी और तोपों की आवाज़ों की याद आ जाती है। इस इलाक़े में स्थानीय समुदाय ने दो पड़ोसी देशों के बीच सैनिक शक्ति प्रदर्शन के नतीज़े कई बार झेले हैं।

अब यहां पर कुछ उत्साही लोग एक फ़िल्म उत्सव मना रहे हैं और ऐसा करते हुए करगिल का माहौल बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब इन सारी गतिविधियों का ज़ोर सामाजिक मुद्दों पर होगा, आतंकवाद और गोलीबारी पर नहीं।

अवाम का सिनेमा किसी ने प्रायोजित नहीं किया और इसके ज़रिये लाभ कमाने की कोई मंशा नहीं है। इसका आयोजन करगिल फ़िल्म सोसायटी कर रही है और उसकी कोशिशों के नतीज़े 19 और 20 मई को सामने आए जब लद्दाख के इस शहर में पहली बार ऐसा फ़िल्म समारोह आयोजित किया गया।

फ़िल्म समारोह का आयोजन तीन वर्गों में किया जा रहा है। ये वर्ग हैं- वृत्तचित्र, लघुकथा चित्र और एनिमेशन के ज़रिये बनाई गई लघु फ़िल्में। आवेदन भेजने की आखिरी तारीख़ 15 मई रखी गई थी। इस फ़िल्म समारोह में फ़िल्मों की भागीदारी के लिए आवेदन शुल्क सौ रुपये रखा गया जबकि दर्शकों के लिए प्रवेश निःशुल्क था।

इस फ़िल्म समारोह के ज़रिये भारतीय सिनेमा के एक सदी से ज्यादा लंबे सफ़र को याद किया गया और करगिल से देश के शेष भागों के लिए शांति और भाईचारे का संदेश भेजा गया। फ़िल्म समारोह में जो फ़िल्में दिखाई गईं उनमें मानव अधिकार, शांति, महिलाओं के ख़िलाफ़ हिंसा और सांप्रदायिक सद्भाव और विकास मुख्य मुद्दे थे।

करगिल फ़िल्म समारोह आयोजकों द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया कि सार्थक सिनेमा लाभ कमाने के बजाय सामाजिक सरोकारों को अपना मुद्दा बनाता है जिसे बहुत सीमित संख्या में दर्शक मिलते हैं। इस तरह से फ़िल्म निर्माताओं के लिए अपने दर्शकों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है। अवाम का सिनेमा 2006 में अयोध्या से शुरू हुआ था। तब से यह बहुत कामयाबी हासिल कर चुका है और मऊ, जयपुर, औरैया, इटावा, दिल्ली और कश्मीर में ऐसे आयोजन सफलतापूर्वक किए जा चुके हैं।

फ़िल्म समारोह आयोजकों के अनुसार, यह ऐसा प्रयास है जिसके ज़रिये समाज के विभिन्न वर्गों के बीच लोगों में संवाद कायम किया जा रहा है। इस संवाद का माध्यम बनेगा सिनेमा और इसके ज़रिये लोगों को एक नया मंच मिलेगा जहां वे अपने सुख-दुख और जीवन की मुश्किलें साझा कर सकेंगे। ❑

IGNITED MINDS

हिन्दी माध्यम का दर्शनशास्त्र का सर्वश्रेष्ठ संस्थान

दर्शनशास्त्र

द्वारा- अमित कुमार सिंह

पिछले तीन वर्षों में लगातार हमारे संस्थान के विद्यार्थी को ही दर्शनशास्त्र में (हिन्दी माध्यम से) सर्वोच्च अंक प्राप्त हुए

विशाल मलानी- 378 अंक (2008 बैच)
कर्मवीर शर्मा- 371 अंक (2009 बैच)
अमर बहादुर- 377 अंक (2010 बैच)

संस्थान के ही कुछ अन्य विद्यार्थियों का दर्शनशास्त्र में प्राप्तांक

शत्रुध्न-361, अजीत-360, संजय-359, हरिमोहन-358, भोला नाथ-357, जनमेजय-354, प्रवीन-348, विक्रम सिंघाल-345 अंक।

2010 में हिन्दी माध्यम से सिविल सेवा में सर्वोच्च स्थान पर चयनित दोनों विद्यार्थी हमारे संस्थान से

शिव सहाय अवस्थी

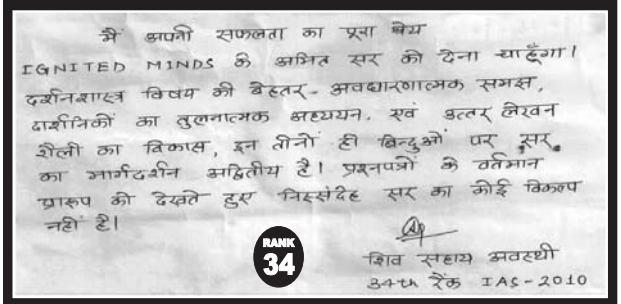
मैं अपनी सफलता का पूरा श्रेय IGNITED MINDS के अमित सर को देना चाहूँगा। दर्शनशास्त्र विषय की बेहतर- अवधारणात्मक समझ, दार्शनिकों का तुलनात्मक अध्ययन, एवं उत्तर लेखन शैली का विकास, इन तीनों ही बिन्दुओं पर सर का मार्गदर्शन अद्वितीय है। प्रश्नपत्रों के वर्तमान प्रारूप को देखते हुए निस्संदेह सर का कोई विकल्प नहीं है।

RANK 34

शिव सहाय अवस्थी
34-th रैंक IAS-2010

मिथिलेश मिश्र

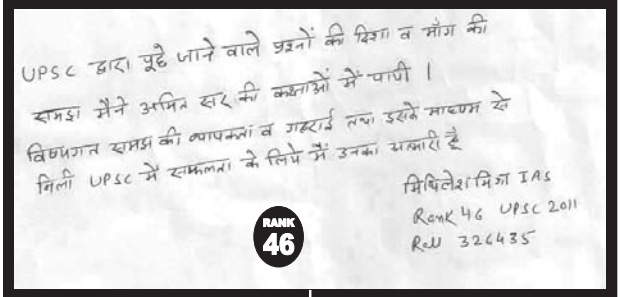
UPSC द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों की दिशा व माँग की समझ मैंने अमित सर की कक्षाओं में पायी। विषयगत समझ की व्यापकता व गहराई तथा उसके माध्यम से मिली UPSC में सफलता के लिये मैं उनका आभारी हूँ

मिथिलेश मिश्रा IAS
Rank 46 UPSC 2011
Roll 326435

RANK 46

दिल्ली केंद्र

निःशुल्क परिचर्चा के साथ बैच प्रारंभ

5th June at 6:00 pm

(कोई भी तीन कक्षाएँ निःशुल्क)

इलाहाबाद केंद्र

निःशुल्क परिचर्चा के साथ बैच प्रारंभ

26th June at 5:00 pm

(कोई भी तीन कक्षाएँ निःशुल्क)

Delhi Center: A-2, 1st Floor, Comm. Comp., Near Chawla Restaurant, Mukherjee Nagar Delhi-9

Mob. 9540131314

Allahabad Center: H-1, 1st Floor, Madho Kunj, Katra, Allahabad **Mob. 9389376518, 8858991200**

YH-26/2012

IAS PCS

दृष्टि The Vision

सामान्य अध्ययन

Foundation Batch

Mains Special Batch
(Target Mains-2012)

निःशुल्क परिचर्चा

21st June at 4:00 pm

14th June at 7:00 pm

के साथ बैच प्रारंभ

सीसैट

निःशुल्क परिचर्चा के साथ
बैच प्रारंभ

28th June at 9:00 am

हिन्दी साहित्य

निःशुल्क परिचर्चा के साथ
बैच प्रारंभ

28th May & 12th June at 11:30 am

पत्राचार कार्यक्रम
(Correspondence Course)

सामान्य अध्ययन (प्रा.+ मु. परीक्षा) + सीसैट

हिन्दी साहित्य (मु. परीक्षा) ★ दर्शनशास्त्र (मु. परीक्षा)

विस्तृत जानकारी के लिए संपर्क करें: 0-8130392360

641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
फोनः 011-27604128, 27601583, 47532596, 8130392358-59-60
E-mail: drishtiacademy@gmail.com * Website: www.drishtithevisionfoundation.com

YH-28/2012

स्त्री शक्ति - महिला सशक्तीकरण

● रश्मि सिंह

राजस्थान के अपने हाल के दौरे में मैंने स्थानीय पंचायत घर में गांव की महिलाओं से बातचीत की। यह बातचीत ग़रीबी रेखा से नीचे के दायरे से बाहर रहने, पास के स्कूल में शिक्षकों के अभाव और इंदिरा आवास योजना जैसी कल्याणकारी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आ रही समस्याओं से संबंधित थी। इन मुद्दों पर महिलाओं ने खुलकर अपनी समस्याएं बताई। मेरे साथ जो पंचायत सचिव गया था, उसने महिलाओं को समझाने की कोशिश की कि यह बातचीत महिला सशक्तीकरण के मुद्दों पर होनी है न कि उन मुद्दों पर जिनका विभाग से कोई सरोकार नहीं है और न ही जिनका राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन से कोई संबंध है। पंचायत सचिव ने जो आपत्ति जताई उससे यह परिलक्षित होता है कि महिला सशक्तीकरण के बारे में आम धारणाएं कितनी संकीर्ण और भ्रामक हैं। परंतु अब यह माना जाने लगा है कि सुशासन का सीधा संबंध महिला सशक्तीकरण से है। राष्ट्र के व्यापक विकास में भी महिला सशक्तीकरण की अहम भूमिका को स्वीकार किया जाने लगा है।

प्रस्तुत आलेख में स्त्री शक्ति, मिशन कंवर्जेंस इन डेल्ही और राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन (एनएमईडब्ल्यू) जैसे भारत सरकार के कुछ मार्गदर्शी कार्यक्रमों पर प्रकाश डालते हुए स्त्री शक्ति और महिला सशक्तीकरण की कुछ बारीकियां अथवा सूक्ष्म अर्थभेद स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। इन कार्यक्रमों की विशिष्टता इनके बहुआयामी और सर्व वर्गीय दृष्टिकोण के साथ-साथ एकाकार के मंत्र में निहित है।

स्त्री शक्ति आज एक जाना-पहचाना नाम है। कुछ स्वयंसेवी संगठनों ने इसे अपने ब्रांडनेम के तौर पर इस्तेमाल करते हुए अपने मिशन का नामकरण किया है। कुछ सरकारी कार्यक्रमों और प्रयासों में भी इसी नाम का उपयोग किया गया है। महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा स्थापित एक राष्ट्रीय पुरस्कार भी स्त्री शक्ति कहलाता है। परंतु दिल्ली में यह नाम एक ऐसी सामुदायिक सहभागिता का पर्यायवाची बन गया है जिसे सरकार निजी क्षेत्र के साथ मिलकर चलाती है। यह कार्यक्रम प्रारंभ में स्त्री शक्ति शिविरों के तौर पर शुरू हुआ था, परंतु बाद में इसने पूरे शहर में स्त्री शक्ति केंद्रों के रूप में अपनी जड़ें जमा ली। परियोजना में निर्धन महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने, अनौपचारिक शिक्षा तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण देने के साथ-साथ और कानूनी मुद्दों के बारे में जागरूक बनाकर उन्हें सामाजिक, आर्थिक और कानूनी रूप से सशक्त बनाने पर ज़ोर दिया गया था। यह 'भागीदारी' का एक प्रमुख कार्यक्षेत्र बन गया। भागीदारी सरकार और नागरिकों के बीच सहभागिता का एक नया प्रयास है। समाज के साथ व्यापक संपर्क स्थापित करने के इस प्रयास में स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका प्रमुख रही। वे इस अभियान के प्रमुख साधन बन गए।

दिल्ली की मानव विकास संस्था ने 2006 में परियोजना का जो मूल्यांकन किया उसमें कुछ दिलचस्प मंतव्य व्यक्त किए गए हैं। इन शिविरों ने समुदाय और लोक स्वास्थ्य प्रणाली के बीच की दूरी को समाप्त कर दिया और तीन वर्षों के दौरान क़रीब दो लाख महिलाओं को इसका लाभ मिला। शिविर के स्वयंसेवक ही जागरुकता फैलाने का काम करने वाले प्रमुख एजेंट थे। उन्होंने ही पंजीकरण के पूर्व सर्वेक्षण किया और स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े एकत्रित किए थे। लाभार्थियों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि डॉक्टरों के साथ संपर्क आसानी से हो सका, डॉक्टरों का व्यवहार भी संतोषजनक था और दवाएं भी नि:शुल्क मिल रही थीं। विभिन्न विभागों को एक मंच पर साथ लाने का यह प्रयास सार्थक रहा। स्वास्थ्य विभाग, एकीकृत बाल विकास योजना, राज्य एड्स नियंत्रण सोसायटी, टीबी (क्षय रोग) सोसायटी, विधिक सेवा प्राधिकरण, प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा आदि जैसे अन्य अनेक विभाग एक मंच पर इकट्ठा हुए। परियोजना स्थल के रूप में विद्यालय भवनों का चयन इस अर्थ में और भी उपयोगी सिद्ध हुआ कि स्कूल सामुदायिक सरोकार के केंद्र बनते जा रहे थे। मूल्यांकन रिपोर्ट में यह बात साफ़ दिखाई दे रही थी कि परियोजना से जुड़ी महिलाओं के जीवन में सुखद बदलाव आ रहा था। विकेंद्रीकृत सेवा प्रणाली और जीवन की गुणवत्ता के बारे में बेहतर जागरुकता आने से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आता दृष्टिगोचर होता था। कौशल विकास प्रशिक्षण से आमदनी के अवसर बढ़ गए। कानूनी जागरुकता आने से महिलाएं सामने आकर दहेज और अन्य पारिवारिक अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाने लगीं। स्वसहायता समूहों की संख्या में वृद्धि से बाज़ार और धन की सुलभता के अवसर बढ़ गए। यह बताया गया कि इस व्यवस्था की प्रमुख शक्ति इस धारणा को स्वीकार करना था कि महिलाओं के लिए अपनी घर-गृहस्थी से बाहर निकलना कठिन होता है, भले ही कितने अवसर हों और इसलिए उन्हें उनके घर के दरवाज़े पर सेवा प्रदान करना अधिक महत्वपूर्ण है। यह भी देखा गया कि इस हस्तक्षेप में आवश्यकताओं और स्थिति के अनुसार निरंतर वृद्धि और संशोधन की आवश्यकता रहती है, जिससे महिला सशक्तीकरण

के अनछुए और नवीन आयामों का पता चल सके।

कुछ और प्रमुख सिफ़ारिशें थीं- जिला केंद्रीय स्वयंसेवी संगठन बनाना, क्षेत्रवार लक्ष्य समूहों के निर्धारण हेतु वार्षिक रूप से आधार रेखा तैयार करना, शिविरों को मासिक के स्थान पर त्रैमासिक रूप से आयोजित करना, संपर्कों को सुदृढ़ बनाना, ठोस संकेतक और मापनीय लक्ष्य तय करना और तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन की संस्थागत व्यवस्था कायम करना।

इन सभी सुझावों पर आगे काम करने के लिए 2008 में नयी दिल्ली में मिशन कंवर्जेंस शुरू किया गया। इस मिशन का उद्देश्य ग़रीबों के लिए बनी तमाम योजनाओं और कार्यक्रमों को एक साथ लाना था। स्त्री शक्ति ने ज़मीनी स्तर पर जो काम कर रखा था वह इस कार्य के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ। मिशन कंवर्जेंस का दायरा/कार्यक्षेत्र स्त्री शक्ति की तुलना में अधिक व्यापक था, परंतु कुछ प्रमुख तत्व एक जैसे ही थे। मिशन ने सरकारी दृष्टिकोण से भिन्न रवैया अपनाया। भागीदारी में स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से नीचे के स्तर से कार्रवाई को प्राथमिकता दी गई, क्योंकि स्वयंसेवी संगठनों का ज़मीनी स्तर पर कार्य का अनुभव अच्छा था। कार्यक्रम के केंद्र में महिलाएं और उनके जरिये परिवारों तक पहुंचना था। मलिन बस्तियां, झुग्गी-झोपड़ी कालोनियां, पुनर्वास कॉलोनियां और कमज़ोर वर्गों की अन्य बस्तियों को इस कार्यक्रम का लक्ष्य क्षेत्र बनाया गया। कार्यक्रम को अपने समावेशी कार्य के लिए राष्ट्रमंडल लोक प्रशासन एवं प्रबंधन संघ (सीएपीएएम) से प्रशंसा और स्वीकार्यता मिली। इसे संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

मिशन के तौर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मई 2008 में सामाजिक सुविधा 'संगम' नाम की एक विशेष व्यवस्था कायम की गई जिसमें 9 सरकारी विभागों और सामाजिक विशेषज्ञों को शामिल किया गया था। 120 से अधिक स्वयंसेवी संगठन इसके सहभागी बने और पेंशन तथा स्वास्थ्य, शिक्षा, कानूनी सहायता और कौशल प्रशिक्षण जैसी अन्य सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ ज़मीनी स्तर पर लोगों तक पहुंचाने के लिए सरकार के विस्तारित हाथ के तौर पर काम किया।

उपर्युक्त सभी विभागों और स्वयंसेवी संगठनों को मिलाकर एक साथ लाने के लिए कुछ अभिनव तरीक़े अपनाए गए। लाभार्थियों के चयन हेतु पात्रता की कसौटी और आवेदन पत्र का प्रारूप एक जैसा रखा गया। एक ही आंकड़े का सहारा लिया गया। ये आंकड़े गली-गली, घर-घर जाकर एकत्रित किए गए थे। इन्हें अन्य विभाग भी अपने कार्यक्रमों के लिए उपयोग कर सकते थे। सरकारी विभागों के साथ संपर्क में सहायता के लिए मौके पर ही एकल खिड़की प्रणाली वाले सुविधा केंद्रों की स्थापना, जिलों को शक्तियों का विकेंद्रीकरण और हस्तांतरण, सभी विस्तार एककों का कंप्यूटरीकरण और उनकी नेटवर्किंग, स्वयंसेवी संगठनों की क्षमता के विकास का अभिनव तरीक़ा, सरकारी कार्यकर्ता और लक्ष्य समूह, स्वसहायता समूहों के जरिये महिलाओं हेतु वित्तीय समावेशन और वैयक्तिक बैंक खाते आदि अन्य अनेक तरीक़े भी आजमाए गए। शहर के ग़रीबों की पहचान के लिए एक नयी कसौटी तैयार करना एक नया प्रयास था। राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में आय के संकेतक निर्धारित किए गए। बेघर लोगों की पहचान के लिए एक विशेष सर्वेक्षण कराया गया और उन्हें सर्वाधिक कमज़ोर श्रेणी में रखा गया। इस श्रेणी, विशेषकर बेसहारा महिलाओं के समर्थन में विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। मिशन कंवर्जेंस में महिलाओं पर जो विशेष ध्यान दिया गया, वही कार्यक्रम की शक्ति बना। स्वास्थ्य, साक्षरता स्तर और कौशल विकास जैसे कार्यक्रमों के जरिये मानवीय पूंजी के रूप में महिलाओं का विकास इस कार्यक्रम का एक प्रमुख स्तंभ था। मिशन के अंतर्गत गठित स्त्री शक्ति सुविधा केंद्रों ने घर-घर जाकर महिलाओं को एकजुट किया और विभिन्न कार्यक्रमों तथा सेवाओं के लिए उनके नाम दर्ज़ करवाए। कमज़ोर वर्गों की तेरह लाख महिलाओं का जो आंकड़ा कोष तैयार किया गया वह योजना के लिए बजट तैयार करने और सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत अधिक आवंटन प्राप्त करने का एक सुदृढ़ आधार बना। महाराष्ट्र के बाद दिल्ली देश का दूसरा राज्य बना जहां विशिष्ट पहचान-पत्र कार्यक्रम की शुरुआत हुई। मुझे इस बात का परम संतोष है कि इन प्रयासों के कारण 2 अक्तूबर, 2011 को दिल्ली की एक बेसहारा महिला को शहर की पहली आधार संख्या मिली और उसके नाम से बैंक में खाता खुल सका। उस महिला की प्रतिक्रिया थी कि अब फुटपाथ से, जहां मैं सोती हूं, मेरी रोज़ की कमाई चोरी नहीं होगी। सर्वेक्षण में शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग, अशक्त महिलाओं, कुष्ठ रोगों से ग्रस्त व ख़तरनाक कार्यों में लगी महिलाओं के साथ-साथ बेसहारा और महिला प्रधान परिवारों की भी पहचान हो सकी।

मिशन कंवर्जेंस ने नागरिक संगठनों के साथ जो गठबंधन बनाया वह अपने प्रभाव और आकार के हिसाब से उल्लेखनीय कहा जा सकता है। नागरिक संगठनों के साथ अधिकार और शक्ति को साझा करना जीओ-एनजीओ (सरकारी कार्यालयों और स्वयंसेवी संगठनों) के बीच सहयोग और गठजोड़ का एक नया आदर्श बन गया। इस कार्यक्रम से नागरिक संगठनों को सरकार के कार्यकलाप, काम-काज और फ़ैसलों के बारे में सवाल करने का अधिकार मिल सका।

राष्ट्रीय स्तर पर भी एकाधिकार समाप्त करने और सभी कार्यक्रमों को एक साथ लेकर काम करने की व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी है। इसकी पहल देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल की ओर से हुई, जिन्होंने महिलाओं के त्वरित सामाजिक-आर्थिक विकास और सशक्तीकरण के लिए रणनीतियां सुझाने हेतु 2008 में राज्यपालों की एक समिति गठित की। समिति ने फरवरी 2009 में अपनी सिफ़ारिशें दे दी, जिस पर मंत्रियों के समूह ने विचार किया। उसके बाद वित्तमंत्री ने अपने बजट भाषण में निम्न घोषणाएं की:

- भारत में महिलाओं की स्थिति के अध्ययन के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया जाएगा ताकि महिलाओं के कार्यक्रमों को तत्परतापूर्वक शामिल किया जा सके। समिति में समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति और विशेषज्ञ लिए जाएंगे।
- महिला केंद्रित कार्यक्रमों पर मिशन के तौर पर अमल करने के लिए राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन का गठन किया जाएगा; तथा
- सरकारी सूक्ष्म वित्त अभिकरण-राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके) का पुनर्गठन किया जाएगा ताकि उसकी गतिविधियों का विस्तार हो और वह महिला स्वसहायता समूहों के लिए एक ही स्थान से मददगार और सेवा प्रदाता के तौर पर काम कर सके।

इससे आगे क़दम बढ़ाते हुए महिला एवं

बाल विकास मंत्रालय ने न्यायमूर्ति रूमा फल के नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया है। राष्ट्रीय महिला कोष के आकार में पर्याप्त वृद्धि कर दी गई है। यह संस्था लोगों की बेहतर सेवा कर सके, इसलिए उसकी संरचना में सुधार किया गया है। राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन का शुभारंभ राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल ने 8 मार्च, 2010 को किया। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिलाओं के कल्याण हेतु शुरू हुए इस मिशन की आत्मा विज्ञान भवन में दिए गए राष्ट्रपति के संभाषण में स्पष्ट झलकती है :

''महिलाओं का सामाजिक-आर्थिक विकास गहराई से एक-दूसरे से गुत्थम-गुत्था है और यदि एक आयाम भी अनुपस्थित रहता है तो नतीज़े पर असर पड़ेगा। केंद्र और राज्य सरकारों की योजनाओं और कार्यक्रमों का लाभ लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचाना सुनिश्चित करने के मिशन के उद्देश्य से मेरी यह आशा बलवती होती है कि यह 'क्या है' और 'क्या होना चाहिए' की खाई को पाटने में समर्थ हो सकेगा। परंतु इसे हक़ीक़त में बदलने के लिए केंद्र सरकार, राज्यों और नागरिक समाज को मिलकर काम करना होगा। इसे सफल बनाने में देश के सभी नागरिकों को अपनी भूमिका निभानी होगी। मैं इसे अंतरराष्ट्रीय दिवस पर देश की महिलाओं को एक उपहार मानती हूं।''

मिशन का एक प्रमुख उद्देश्य सहभागी मंत्रालयों, संस्थाओं और संगठनों के कार्यक्रमों, नीतियों, संस्थागत प्रबंधों एवं प्रक्रियाओं को महिलाओं के हित में मुख्यधारा में लाने के प्रयासों पर नज़र रखना है। विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ उठाने के लिए मांग करने की जागरुकता पैदा करना भी मिशन का उद्देश्य है। मिशन प्राधिकरण के प्रमुख प्रधानमंत्री स्वयं हैं। उनके साथ 13 सहभागी मंत्रालय हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय मिशन का नियामक मंत्रालय है। यह मिशन महिला-सरोकारों को लोकनीति और प्रशासन के केंद्र में रखने का एक ज़ोरदार प्रयास है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य, शिक्षा और आजीविका की सुविधाएं मुहैया कराने के अलावा महिलाओं के विरुद्ध हिंसा को क्रमिक रूप से समाप्त करना और सेवा प्रदान करने वालों तथा हक़दारों के बीच सूचना की खाई कम करना भी है।

राज्यों के मिशन के माध्यम से राज्य सरकारों तक पहुंचकर यह मिशन महिलाओं के हित के नज़रिये से योजनाओं, कार्यक्रमों और कानूनों की समीक्षा के लिए सरकारी कार्रवाइयों को उत्प्रेरित कर रहा है। केंद्रीय स्तर पर गठित राष्ट्रीय संसाधन केंद्र के माध्यम से आवश्यक तक़नीकी सहायता प्रदान की जा रही है। यह केंद्र राज्य महिला संसाधन केंद्र जैसी आवश्यक संस्थागत व्यवस्था कायम कर महिलाओं के विकास संबंधी सूचकांकों में सुधार की सरकारी कार्रवाई के लिए गठित एक बहुविधायी और अंतर्क्षेत्रीय निकाय है। राज्य महिला संसाधन केंद्र को वित्तीय सहायता केंद्र सरकार प्रदान करता है। फरवरी-अप्रैल 2012 के बीच सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में क्षेत्रीय सम्मेलनों की शृंखला आयोजित की गई। इन सम्मेलनों में महिलाओं के लिए बनी विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के अनुभवों को साझा किया गया ताकि तमाम कार्यक्रमों को एक साथ लेकर चलने की बेहतर रणनीति तैयार की जा सके और लाभार्थियों तथा सेवाप्रदाओं की क्षमता का विकास हो सके। इन सम्मेलनों के माध्यम से जो साझा ज़मीन तैयार हुई, उसमें सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक सशक्तीकरण के लिए एकजुट कार्रवाई के समेकित दृष्टिकोण की आवश्यकता प्रमुख रूप से सामने आई। इसके अतिरिक्त, जीवन-चक्र दृष्टिकोण अपनाना, सभी स्तरों पर महिला केंद्रित इकाइयों की स्थापना, महिलाओं संबंधी आंकड़ों के संकलन और उपयोग हेतु प्रणाली कायम करना, महिला संबंधी मुद्दों के बारे में जागरुकता फैलाना, सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी का प्रसार, क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण, सामाजिक परिवर्तन के तौर पर महिलाओं के संगठनों को बढ़ावा, वर्तमान योजनाओं को तर्क़संगत बनाना, सहभागी प्रशासक को सुदृढ़ बनाना और पहले से चल रही निगरानी और समीक्षा प्रणाली को और ठोस स्वरूप देना भी इन सम्मेलनों के निष्कर्षों के रूप में उभरे हैं।

महिला हित को मुख्यधारा में लाने के लिए यह मिशन जिन साधनों पर ध्यान दे रहा है, उनमें जेंडर बजटिंग अर्थात नारी को समान अधिकार देने के लिए बजटीय व्यवस्था प्रमुख है। जेंडर बजटिंग का उद्देश्य बजटीय आवंटन में स्त्री-पुरुष समानता हेतु सरकार की नीतिगत प्रतिबद्धता का क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया के व्यवस्थागत रूप के लिए 2005 में केंद्र के सभी मंत्रालयों और विभागों में जेंडर बजट प्रकोष्ठ गठित किए गए थे। ये प्रकोष्ठ अपने-अपने मंत्रालयों और विभागों में नारियोचित कार्यक्रमों के लिए समुचित बजटीय आवंटन के लिए समन्वयक के तौर पर काम करते हैं। भारत में जेंडर बजटिंग को मुख्यधारा में 2005-06 के केंद्रीय बजट में इससे संबंधित एक वक्तव्य शामिल किया गया था। यह वक्तव्य महिलाओं हेतु आवंटन के बारे में सभी सूचनाओं को एक साथ लाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। केंद्र सरकार के 56 मंत्रालयों/विभागों में इन प्रकोष्ठों का गठन हो चुका है। ये रिपोर्टिंग की व्यवस्था के तौर पर भी काम करते हैं और महिलाओं के लिए आवंटित धनराशि की ओर भी इशारा करते रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में, जेंडर बजटिंग वक्तव्यों में रिपोर्ट करने वाले मंत्रालयों/विभागों की संख्या 9 (2005-06) से बढ़कर 29 (2011-12) हो गई है। इसके साथ ही जेंडर बजटिंग के लिए आवंटन का प्रतिशत 2005-06 के 2.7 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 6.22 प्रतिशत हो गया। महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय जेंडर बजटिंग की नियामक एजेंसी है।

उपसंहार

महिलाओं की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक पहचान के बीच घनिष्ठ संबंध होने की सच्चाई को स्वीकार करने के समग्र और वृहद दृष्टिकोण से महिलाओं के सशक्तीकरण के बारे में आशा को बल मिलता है। यह बात अब सर्वथा स्वीकार की जा रही है कि ये तीनों आपस में ऐसी जुड़ीं हैं कि एक भी आयाम के कमज़ोर होने अथवा अनुपस्थित होने से अन्य अंगों द्वारा जनित संवेग ज़्यादा समय तक बना नहीं रह सकता। जब इन तीनों कारकों पर एक साथ काम होगा और तीनों को एक-दूसरे के अनुकूल बनाया जाएगा, तभी महिलाएं वास्तव में सशक्त बन सकेंगी। इसलिए महिलाओं के समग्र विकास के लिए सभी मंत्रालयों-विभागों को जेंडर बजटिंग जैसे साधनों के उपयोग से अपने समन्वयवादी उपायों को ऊर्जा प्रदान करनी होगी। राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन का योगदान इसमें अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। समानता और न्याय के साथ समावेशी विकास का हमारा चिर-प्रतीक्षित स्वप्न तभी साकार होगा। ❑

(लेखिका राष्ट्रीय महिला सशक्तीकरण मिशन की कार्यकारी निदेशक हैं।
ई-मेल : rashmi.nct@gmail.com)

AN ISO 9001:2008 CERTIFIED INSTITUTE

There is no holiday in moral life.

लोक प्रशासन

(हिन्दी माध्यम)

By **Atul Lohiya**

(A person who believes in scientific approach and hard work)

Dynamic Approach for Dynamic Subject

- Special **Audio-Visual Class** on each & every Hot topics
- **200 Hours Lecture** and **Discussion**
- Computerised **Current updated best Study Material** on each and every topic
- **Case Studies, Flow Chart, Diagram, IIPA** Journal based lecture and study material
- Revision notes with **Chart and Diagram**
- **Daily Test** and **News Paper** analysis
- Unit wise **Answer Formating** of UPSC Questions (Last 10 years)
- Complete Coverage of Syllabus & **100% Syllabus (Ist & IInd Paper)** by **Atul Lohiya**

* ***UPSC*** के साथ ***UP, MP, Raj., Bihar, Uttaranchal, Jharkhand Chhattisgarh, Haryana, Himachal PCS*** की भी तैयारी;

संस्थान के सफल विद्यार्थियों द्वारा समय-समय पर मार्गदर्शन!

पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध

(पूर्णतः संशोधित; परिमार्जित एवं परिवर्धित कम्प्यूटराइज्ड नोट्स)

MAINS - 7500/- • MAINS + PRE. - 8500/-

डाक खर्च - 300/- अतिरिक्त

लोक प्रशासन

वर्तमान और भविष्य के लिए एकमात्र सुरक्षित विषय

★सर्वोत्कृष्ट संस्थान ★सर्वोत्कृष्ट नोट्स

★सर्वोच्च रैंक ★सर्वोच्च अंक...

सामान्य अध्ययन हिन्दी माध्यम

अतुल लोहिया एवं विशेषज्ञ समूह

- ★ मुख्य सह प्रारंभिक परीक्षा हेतु 11 महीने (7+4) का आधारभूत कक्षा कार्यक्रम (Basic to Advance Level)
- ★ सामान्य अध्ययन के संपूर्ण पाठ्यक्रम पर अद्यतन पाठ्य सामग्री विश्लेषणात्मक एवं बिंदुवार नोट्स के रूप में
- ★ समसामयिक घटनाक्रम के प्रत्येक विषय खंड पर संबंधित विषय विशेषज्ञों द्वारा पाक्षिक कक्षा (अद्यतन नोट्स के साथ)
- ★ सार्वजनिक जीवन से जुड़े प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा समय-समय पर अतिथि व्याख्यान
- ★ जटिल विषयों की बोधगम्य व सरल प्रस्तुति हेतु ऑडियो-विजुअल माध्यमों का प्रयोग
- ★ प्रत्येक अध्याय की समाप्ति पर विगत वर्षों की मुख्य व प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्नों पर चर्चा एवं उत्तर प्रारूप की प्रिंटेड कॉपी
- ★ साप्ताहिक जाँच परीक्षा एवं उस पर चर्चा

नया बैच : 17 जून

लोक प्रशासन (हिन्दी माध्यम) का सर्वोच्च संस्थान -

सर्वोच्च अंक (गिरिवर दयाल सिंह)	सर्वोच्च अंक (मिहिर रायका)
390	**370**
(183/207)	**(179/191)**

आप भी प्राप्त कर सकते हैं 400+ अंक, कैसे? Winning Strategy के साथ

New Batch

31 May(Morning) & **14 June**(Evening)

Admission Open : 3rd May - 15th May

'अतुल लोहिया'

शिक्षक; मार्गदर्शक और मित्र भी

"PRABHA"

AN INSTITUTE OF PUBLIC ADMINISTRATION

HEAD OFFICE : 105, VIRAT BHAWAN (MTNL BLDG.), NEAR BATRA CINEMA, MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009.
CLASS ROOM : 702, ABOVE MEERUT WALE SWEETS, MAIN ROAD MUKHERJEE NAGAR, DELHI-110009.

Phone : 27653498, 27655134. Cell.: 9810651005, 8010282492

YH-33/2012

सशक्तीकरण : एक समाजशास्त्रीय विश्लेषण

● ममता मोहन

प्रत्येक समाज में स्त्रियों और पुरुषों की सामाजिक स्थिति उनके आदर्शों और कार्यों के अनुसार निश्चित होती है। इन आदर्शों और कार्यों का निर्धारण उस समाज की संस्कृति करती है। संस्कृति यह निश्चित करती है कि पारिवारिक और सामाजिक जीवन में स्त्रियों और पुरुषों का महत्व कितना है और उनके क्या-क्या कार्य हैं। ये महत्व और कार्य ही यह निश्चित करते हैं कि समाज में स्त्रियों का स्थान पुरुषों के ऊपर, बराबर या नीचे होगा।

बीसवीं शताब्दी में भारत में स्त्रियों की स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन हुआ। महिलाओं के लिए अब कोई क्षेत्र ऐसा नहीं रहा जहां उनकी पहुंच न हो। भारत में महिला राष्ट्रपति (श्रीमती प्रतिभा पाटिल) विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री, लोकसभा एवं राज्य सभा की अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यपाल, राजदूत, न्यायाधीश, डीन इत्यादि पदों पर भी रहीं हैं। भारत में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों या महिलाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 1901 में भारत में मात्र 0.60 प्रतिशत महिलाएं साक्षर थीं जबकि 2001 की जनगणना के अनुसार, महिला साक्षरता दर 54 प्रतिशत थी। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष लगभग 1.25 लाख महिलाएं डॉक्टर बनती हैं तथा कला संकाय में बीए की उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों का 50 प्रतिशत महिलाएं हैं। भारत के 21 प्रतिशत सॉफ्टवेयर व्यावसायिक तथा 25 प्रतिशत इंजीनियर एवं विज्ञान स्नातक महिलाएं हैं। संगठित क्षेत्र के कुल कर्मचारियों का 18 प्रतिशत तथा 6.38 लाख गांवों में से 77,210 गांवों की पंचायतों की प्रधान महिलाएं हैं। विभिन्न नागरिक संस्थानों में 10 लाख से अधिक महिलाएं कार्यरत हैं। भारतीय महिलाएं भारतीय पूंजी का लगभग 30 प्रतिशत का प्रत्यक्ष रूप में तथा 20 प्रतिशत पूंजी का अप्रत्यक्ष रूप में निर्माण करती हैं। महिलाओं का टीवी चैनलों एवं फ़िल्म उद्योगों में भी आधिपत्य है।

भारत में सदैव ही स्त्रियों का आदर हुआ है। व्यावहारिक रूप में विभिन्न युगों में भारत में नारी की स्थिति उठती और गिरती रही है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं पर्दे से बाहर निकली हैं तथा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उनका योगदान निरंतर बढ़ रहा है। भारतीय समाज पर दृष्टिपात करें तो हम पाएंगे कि चंद वर्षों में ही महिलाओं ने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए हैं जो भले ही उनके समक्ष नयी समस्याएं पैदा करने वाले कारक बने हों, परंतु पुरानी रूढ़ियां हिल गई हैं। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं से अछूता हो। पिछले 20 सालों में भारतीय महिलाओं ने अपनी स्थिति में अभूतपूर्व परिवर्तन किया है। भारतीय मूल की कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम को नासा के अंतरिक्ष यात्री दल के लिए चुने गए सिविलियन मिशन विशेषज्ञों के दल में शामिल किया गया। प्रसिद्ध धाविका रोसा कुट्टी एवं भारोत्तोलक मल्लेश्वरी को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चीन में विश्व भारोत्तोलक प्रतियोगिता में भारत की मल्लेश्वरी ने तीन स्वर्ण पदक जीतकर विश्व रिकार्ड कायम किया है।

भारतीय स्त्रियों की ये उपलब्धियां जितना सच हैं, उससे बड़ा सच उनका अंधकारमय पक्ष है। हमें इस सच को नहीं भूलना चाहिए कि ये सारी उपलब्धियां शहरी महिलाओं तक ही सीमित हैं और शहरों में भारत की जनसंख्या का मात्र 30 प्रतिशत ही निवास करता है। आंकड़े बोलते हैं कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में महिलाएं यदि उन्नति के पथ पर अग्रसर

हुई हैं तो दूसरी ओर एक भयावह तस्वीर भी है। भारत की स्त्रियां चांद पर जा सकती हैं, हिमालय पर चढ़ सकती हैं फिर भी अन्याय, शोषण, अत्याचार, यौनाचार, उत्पीड़न एवं भेदभाव की शिकार हैं। एक तरफ महिलाओं के उच्च स्थान प्राप्त कर लेने पर भी क्या ग्रामीण परिवेश एवं मलिन बस्तियों में रहने वाली एवं निम्न व मध्यम वर्ग की महिलाओं के जीवन में परिवर्तन हुआ है? मध्यम वर्ग की महिलाओं के चेहरों पर असमानता, शोषण, दमन, अत्याचार की ज्वाला साफ़ नज़र आती है। महिला चाहे ग्रामीण अंचल की हों या शहरी, कहीं न कहीं शोषण से पीड़ित हैं। इसका मूल कारण पुरुष प्रधान समाज है। भारत में पुरुष प्रधान समाज होने के कारण महिला वर्ग मां के गर्भ से मृत्यु की गोद तक शोषण, दमन, अत्याचार एवं उत्पीड़न का शिकार है। इस पुरुष प्रधान समाज के कारण पुरुष शासक एवं महिला शोषित बनकर रह गई हैं। नारियों के संबंध में समाज में प्रचलित अवधारणाओं के कारण भी इनकी स्थिति कमज़ोर हुई हैं। भूमि के स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण तथा निर्णय लेने की शक्ति पुरुषों के हाथों में होने के कारण महिलाएं आर्थिक रूप से पुरुष को देवता, अन्नदाता एवं स्वामी मानती हैं। आर्थिक विषमता के परिणामस्वरूप स्त्री-पुरुष के मध्य अंतर उत्पन्न हुआ और महिलाओं की स्थिति अधीनस्थ की हो गई। महिलाओं की इस स्थिति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं मौलिक कारण है– पुत्र प्राप्ति की लालसा। पुत्र को परिवार का उत्तराधिकारी, वंशबेल, संपत्ति का रखवाला एवं कुलदीपक माना जाता है। इसी मानसिकता के कारण स्त्रियां युगों-युगों से शोषित होती चली आ रही हैं। पुरुष महिला विरोधी मानसिकता, सामाजिक व्यवस्था, अर्थतंत्र, धार्मिक व्यवस्था, सांस्कृतिक तंत्र, प्रशासन एवं राजनीतिक व्यवस्था पर वर्चस्व स्थापित किए हुए हैं तथा महिलाएं पुरुषों पर निर्भर हैं। पुत्र की लालसा ने पुत्रियों को संपत्ति, ज़मीन, जायदाद, शिक्षा, पोषण, चिकित्सा सुविधाओं इत्यादि से वंचित किया है। यही कारण है कि हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। भारतवर्ष में प्रतिवर्ष पांच लाख कन्या भ्रूणों की हत्या कर दी जाती है। 1986 से 2006 के अंतराल में लगभग एक करोड़ कन्या भ्रूणों की कोख में हत्या की गई। भारत में स्त्री-पुरुष लिंगानुपात में अंतर का सर्वाधिक अहम कारण ग़रीबी एवं पुत्रों का अत्यधिक महत्व है। यहां प्रतिवर्ष पैदा होने वाली 15 लाख बच्चियों में से लगभग 1.5 लाख बच्चियां अपने प्रथम जन्मदिन से पूर्व तथा लगभग 25 प्रतिशत बच्चियां 15वां जन्मदिन देखने से पूर्व ही मर जाती हैं। ग़रीबी के कारण लड़कियों की कम खुराक़, कम कैलोरी, कुपोषण इत्यादि के कारण युवावस्था भी बुढ़ापे और कमज़ोरी में बदल जाती है। भारत में लगभग 70 प्रतिशत महिलाएं रक्ताल्पता से पीड़ित हैं। दलित, जनजातीय एवं पिछड़ी जातियों की महिलाओं की स्थिति संपन्न वर्गों एवं जातियों की महिलाओं से भी बदतर है। मातृत्व मृत्युदर का चिकित्सा एवं सामाजिक कारणों से घनिष्ठ संबंध है। महिला मृत्युदर अधिक होने से भी लिंगानुपात में असंतुलन उत्पन्न होता है। महिलाओं की संख्या में गिरावट के कारण यौन हिंसा, बाल शोषण, पत्नियों की अदला-बदली, बच्चियों का यौन उत्पीड़न, इत्यादि मामले बढ़े हैं। लड़कियों की ख़रीद-फरोख़्त के मामले भी बढ़े हैं।

महिलाओं की साक्षरता दर पुरुषों के मुक़ाबले बहुत कम है। ग़रीब बालिका के लिए आज भी शिक्षा की अपेक्षा पेट की भूख को मिटाने के लिए काम करने को प्राथमिकता दी जाती है। केंद्रीय एवं राज्य सरकारों द्वारा लड़कियों की शिक्षा हेतु कई नीतियों एवं परियोजनाओं के बावजूद 2011 की जनगणना के अनुसार 36 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित पाई गईं। भारत में लड़कियों की अशिक्षा के मूल कारणों में सामाजिक नियमों का लड़कियों के विरुद्ध होना प्रमुख है। पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक कार्य करती हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं लगभग दिनभर काम करती हैं जबकि पुरुष 4 या 5 घंटे कार्य करते हैं। परंतु महिलाओं के कार्यों को 'अदृश्य कार्य' कहा जाता है। अधिक कार्यबोझ के कारण महिलाओं को शारीरिक एवं मानसिक थकावट, कम नींद, मानसिक तनाव आदि परेशानियों से जूझना पड़ता है।

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एवं अत्याचार दिन-प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। यह अत्याचार एवं हिंसा ग्रामीण, शहरी, शिक्षित एवं अशिक्षित व्यावसायिक एवं गैर-व्यावसायिक, नौकरीपेशा एवं गृहणी, बच्ची एवं अधेड़ सभी वर्गों में बढ़ रही है।

देश में आज महिलाएं घर-बाहर, गांवों तथा शहरों, महानगरों तथा कस्बों सभी जगह असुरक्षित हैं। विवाहित महिलाओं के पति, सास, ससुर, कामकाजी महिलाओं को कार्यस्थल पर नियोक्ताओं, शिक्षण संस्थाओं में शिक्षकों एवं सहपाठियों, गली एवं बाज़ार में गुंडों द्वारा हिंसा, उत्पीड़न, मारपीट, चीरहरण, छेड़खानी, यौन शोषण इत्यादि का सामना करना पड़ता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, देश के 612 जिलों में किए अध्ययन के मुताबिक आधे से अधिक जिलों में यौन शोषण के लिए नाबालिग लड़कियों, युवतियों, बच्चों एवं महिलाओं की तस्करी होती है। सीबीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में रेडलाइट क्षेत्रों में 13 लाख से अधिक महिलाएं वेश्यावृति की शिकार हैं। मुंबई के कमाठीपुरम में लगभग 70,000 से अधिक यौनकर्मी हैं। महिलाओं के प्रति हिंसा व बलात्कार के मामलों में प्रतिवर्ष वृद्धि हो रही है।

दहेज प्रथा महिलाओं की मौत का एक महत्वपूर्ण कारण है। महिलाओं की ज़िंदगी को नारकीय बनाने और अप्राकृतिक मौत का एक कारण है दहेज। दिन-प्रतिदिन दहेज हत्याएं बढ़ती जा रही हैं। गृह मंत्रालय की अपराध पंजीकरण शाखा की रिपोर्ट के अनुसार 1987 से 1991 तक दहेज के कारण हत्याओं में 170 प्रतिशत की वृद्धि देखी गई। यह समझा जाता है कि महिलाएं घर की चारदीवारी के अंदर सुरक्षित हैं, परंतु वास्तविकता कुछ और ही कहानी बयां करती है। महिलाओं के प्रति हिंसा के लिए जिम्मेदार स्वयं महिलाएं भी हैं। केवल कानूनों के निर्माण से महिलाओं को घर में सुरक्षा एवं शांति प्राप्त नहीं होगी अपितु स्त्रियों के संबंध में पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलनी होगी।

विश्व के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में बड़ी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है परंतु इस परिवर्तनशील परिवेश में महिलाओं की स्थिति में उतनी तीव्र गति से सुधार नहीं हुआ है।

भारत में पंचायती राज की शुरुआत से एवं

महिलाओं के सरपंच बनने से यह समझा गया है कि महिलाएं सशक्त हुई हैं। लेकिन तस्वीर कुछ अलग ही है। अनेक स्थानों पर महिला सरपंच के स्थान पर उसके पति का आदेश चलता है। महिला तो सिर्फ़ नाम की सरपंच होती हैं। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है परंतु भारतीय संसद एवं राज्य विधानसभाओं में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत कम है। स्पष्ट है कि जन्म से मृत्यु तक महिलाओं का जीवन संघर्षमय है और उनका जीवन तिल-तिल जल रहा है। स्त्रियों की शक्ति का वर्णन करते समय स्त्रियों के दुखद पक्ष को नहीं भूलना चाहिए। भारत में महिलाओं की वास्तविक स्थिति क्या है? नारी सशक्तीकरण एवं नारी मुक्ति हेतु स्थानीय स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक समाज का पुनर्निर्माण होना चाहिए तथा ऐसे समाज की स्थापना हो जहां महिलाओं का शोषण न हो तथा नारी के पांवों में पड़ी पायल रूपी जंजीर हमेशा के लिए टूट जाए और उसका आंचल उसकी गुलामी का नहीं अपितु आज़ादी का परचम बन कर लहराए। ❑

(लेखिका जबलपुर के हवाबाग महिला महाविद्यालय में समाजशास्त्र की सहायक प्राध्यापक हैं।

ई-मेल : dr.mamtamohan@yahoo.com)

(पृष्ठ 21 का शेषांश)

1991-95 में जहां 10वें स्थान पर था, वहीं बाद के कालखंड में वह छठे स्थान पर आ गया। इसके साथ ही महिलाओं की राजनीतिक सहभागिता के सूचकांक में भी उत्तर प्रदेश की स्थिति में आंशिक सुधार हुआ है। जनसांख्यिकी सूचकांक में राजस्थान में क्रमिक सुधार हुआ है। आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता के मामले में भी राज्य के प्रदर्शन में हाल के वर्षों में सुधार हुआ है। फलस्वरूप 2001-07 के दौरान महिला सशक्तीकरण के समग्र क्षेत्र में राजस्थान के प्रदर्शन में सुधार हुआ है।

परंतु बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के साथ-साथ असम का स्वास्थ्य संबंधी प्रतिमानों में प्रदर्शन निरंतर ख़राब ही रहा है। असम में एक सुखद स्थिति यह रही है कि पहले प्रसव के समय महिला की औसत आयु अन्य राज्यों की तुलना में ऊंची रही है। बाल लिंगानुपात के लिहाज़ से असम की गणना देश के सबसे अच्छे राज्यों में होती है। छात्राओं द्वारा पढ़ाई अधूरी छोड़ने की दर काफी ऊंची होने के कारण महिलाओं की शैक्षिक उपलब्धि के सूचकांक में असम के प्रदर्शन में गिरावट आ रही है। असम में उच्च शिक्षा में महिलाओं की भर्तीदर भी कम ही है। परंतु 15 राज्यों में से असम में घरेलू हिंसा की घटनाएं सबसे कम हैं।

इस अध्ययन में महिला सशक्तीकरण के 32 चुनिंदा प्रतिमानों और भारतीय राज्यों के सामाजिक, आर्थिक विकास के प्रतिमानों का उपयोग किया गया है। परंतु इस की जटिलता और बहुआयामी चरित्र को देखते हुए ऐसे अन्य कारक भी हो सकते हैं जो महिला सशक्तीकरण पर प्रभाव डालते हों। इस अध्ययन के कुछ निष्कर्ष अन्य सर्वेक्षणों तथा भारतीय राज्यों में महिला सशक्तीकरण की प्रचलित धारणाओं से भिन्न भी हो सकते हैं। अध्ययन में भारतीय राज्यों में महिला सशक्तीकरण का यथार्थवादी चित्र प्रस्तुत करने के लिए सशक्तीकरण के मध्यवर्ती प्रतिमानों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। ❑

(लेखिका राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद में उपनिदेशक हैं।

ई-मेल : arundhatichattopadhyaya@gmail.com)

IAS निश्चय IAS ACADEMY PCS

दर्शनशास्त्र

दर्शनशास्त्र के बदले पैटर्न में एकमात्र विकल्प

(वर्तमान में अंकदायी एवं सफलता सुनिश्चित करने वाला विषय)

यशवंत सिंह

बैच प्रारम्भ 11 JUNE, 5.30 PM

मैथिली साहित्य

औसत अंक 325 (35 दिनों में)

अमित कुमार दिव्य (DU)

बैच प्रारम्भ 13 JUNE, 12 PM

सामान्य अध्ययन

निश्चय टीम

(यशवंत सिंह, मुकेश सर, निशांत सर, बी.के. सिंह, अमित कुमार दिव्य, आर.पी. सर, हरीश पाण्डेय)

बैच प्रारम्भ 12 JUNE, 3 PM

102, 103, 1st Floor, Jaina House, Mukherjee Nagar, Delhi

9891352177, 9953279719, 9990158578

YH-36/2012

IAS

दीक्षांत

PCS

सा. अध्ययन

&

CSAT

By

DR. S. S. PANDEY & Team

नया बैच हेतु **WORKSHOP** 19 June 5.30 PM

UPSC, हरियाणा एवं राजस्थान मुख्य परीक्षा 2012 के लिए
75 दिनों का विशेष कक्षा कार्यक्रम

समाजशास्त्र

By

DR. S. S. PANDEY

नया बैच हेतु **WORKSHOP** 19 June 4 PM

UPSC, हरियाणा एवं राजस्थान मुख्य परीक्षा 2012 के लिए
90 दिनों का विशेष कक्षा कार्यक्रम

DISTANCE LEARNING PROGRAMME

SOCIO MAINS	SOCIO PT	GS MAINS	GS PT	CSAT	GS PT + MAINS
Rs. 8000/-	Rs. 5000/-	Rs. 8000/-	Rs. 5000/-	Rs. 4000/-	Rs. 10000/-
• Study Material	• Study Material	• Study Material	• Study Material	• Study Material	• Study Material
• Class Notes	• Class Notes	• Class Notes	• Class Notes	• Class Notes	• Class Notes
• 6 Tests (Mains)	• 10 Tests (PT)	• 6 Tests (Mains)	• 12 Tests (PT)	• 10 Tests (CSAT)	• Test (6 + 12)

Please Send DD in favour of Dikshant Education Centre, payable at Delhi with 2 Passport Size Photographs.

TATA Mc Graw Hill से प्रकाशित पुस्तकें

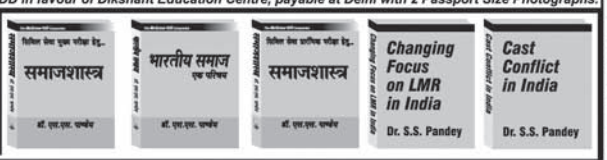

PT + MAINS SPECIAL PROGRAMME

• नवीन घटनाओं एवं नवीन सैद्धांतिक विकास के साथ सम्बद्ध करते हुए अध्यापन • प्रश्नोत्तर परिचर्चा कार्यक्रम जिसमें संभावित प्रश्नों के उत्तरों की रूपरेखा पर चर्चा एवं UPSC में पूछे गए 10 वर्षों के प्रश्नों की समीक्षा • राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय, राजनैतिक, आर्थिक, समसामयिक व सामाजिक विषयों की तैयारी हेतु विश्लेषणात्मक प्रशिक्षण व्यवस्था • PCS परीक्षा हेतु विशेष कक्षा कार्यक्रम • Current Affairs और सामान्य ज्ञान अभिवर्धन पर विशेष बल • NCERT, India Year Book, Economic Survey, Hindu आदि पर आधारित परीक्षण व्यवस्था • त्रिस्तरीय जांच परीक्षा- 1. Daily Class Test, 2. Unit Wise Test, 3. Test Series

हमारे संस्थान के सफल छात्र

Dikshant Education Centre
303-309-310, Jaina Building Extension, Commercial Complex, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009, Ph.: 011-27652723, 9868902785, E-mail: dikshantias2011@gmail.com

YH-32/2012

राजनीति में महिला नेतृत्व
महिला सशक्तीकरण की नयी परिभाषा

● अजय कुमार सिंह

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत को स्वतंत्र हुए छह दशक बीत चुके हैं। इस अवधि में समाज में बहुत कुछ बदला है। स्वतंत्रता के बाद हमारे यहां जो लोकतांत्रिक प्रणाली लाई गई वह वैश्विक वयस्क मताधिकार पर आधारित है। नागरिकों को मिले समान अधिकारों के साथ ही भारतीय महिलाओं को समान शैक्षिक अवसर, संपत्ति और विरासत में बराबर का अधिकार प्राप्त हुआ, जिससे सामाजिक स्तर पर स्त्रियों की स्थिति में सुधार आया, लेकिन राजनीतिक मानचित्र फिर भी नहीं बदला। महिला सशक्तीकरण के संबंध में ऑफिस ऑफ द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स का कहना है कि ''यह औरतों को शक्ति, क्षमता तथा काबिलियत देता है ताकि वे अपने जीवनस्तर को सुधारकर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सकें। अर्थात यह वह प्रक्रिया है जो महिलाओं को सत्ता की कार्यशैली समझने की न केवल समझ दे अपितु साथ ही साथ सत्ता के स्रोतों पर नियंत्रण कर सकने की क्षमता प्रदान करे। राजनीति के क्षेत्र में लंबे समय से पुरुषों का वर्चस्व कायम रहा है। गांधीजी ने कहा है कि ''स्त्रियों के साथ अपने व्यवहार और बर्ताव में पुरुषों ने इस सत्य को पूरी तरह से पहचाना नहीं है। स्त्री को अपना मित्र या साथी मानने के बदले पुरुषों ने अपने को उसका स्वामी माना है।''

महिलाओं की स्थिति की विवेचना करने के लिए तत्कालीन सरकार ने 22 सितंबर, 1971 को एक समिति का गठन किया। 'टुवाड्र्स इक्वालिटी' शीर्षक से 1974 में प्रकाशित इस समिति की रिपोर्ट में कहा गया था कि ''संस्थागत तौर पर सबसे बड़ी अल्पसंख्यक होने के बावजूद राजनीति पर महिलाओं का असर नाममात्र है।'' इस संबंध में समिति ने सुझाव दिया था कि इसका उपाय यही है कि हर राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों का एक कोटा निर्धारित करे और फौरी उपाय के तौर पर समिति ने नगर परिषदों और पंचायतों में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने के लिए संविधान में संशोधन के माध्यम से ऐसा किया भी। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान महिला सशक्तीकरण तथा निर्णय प्रक्रिया में उनकी सहभागिता में वृद्धि की दिशा में एक क्रांतिकारी क़दम था। आरक्षण का अभिप्राय समाज में शोषण व असमानता का शिकार रही जनसंख्या को संरक्षणात्मक अवसर देना है जिससे वे भविष्य में निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनें और कालांतर में स्वयं को लोकतांत्रिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण एवं सक्रिय हिस्सा मानें। अगर महिलाओं को संसद तथा विधानमंडल में आरक्षण प्राप्त होगा तो एक तरफ महिलाएं चुनाव प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगी और दूसरी तरफ राजनीतिक दलों में सक्रिय सहभागिता का अवसर प्राप्त होगा, जिससे महिला सशक्तीकरण की अवधारणा मूर्त रूप ग्रहण कर सकेगी। यह आरक्षण उन्हें संकीर्ण व सीमित दायरे से बाहर लाने में मददगार सिद्ध होगा।

भारत में किसी राजनीति दल ने महिला आरक्षण के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखने के बावजूद इस दिशा में कोई ठोस क़दम नहीं उठाया। सबसे

मज़बूत और विशाल लोकतंत्र का दावा करने वाले हमारे देश के संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व मात्र 8.3 प्रतिशत है। ये आंकड़े पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के नेतृत्व की अस्वीकार्यता की संकीर्ण मानसिकता को उजागर करते हैं। इसकी पुष्टि गांधीजी के इन कथनों में है कि ''कानून की रचना ज्यादातर पुरुषों द्वारा हुई है और इस काम को करने में, जिसे करने का जिम्मा पुरुषों ने अपने ऊपर खुद ही उठा लिया है, उसने हमेशा न्याय और विवेक का पालन नहीं किया है।''

महिला नेतृत्व को तभी बल मिलता है जब उन्हें आरक्षण प्राप्त हो। महिला आरक्षण से संबंधित विधेयक के विरोध में आमतौर पर यह तर्क़ दिया जाता है कि महिलाओं के लिए राजनीति के दांवपेचों को समझना मुश्किल है क्योंकि महिला का जीवन घर-परिवार में ही व्यतीत हो जाता है। इसलिए राजनीति जैसे गूढ़ विषय को समझना एवं नेतृत्व की क्षमता को विकसित करना महिलाओं के वश की बात नहीं है। राजनीति में महिलाओं द्वारा सामना की जाने वाली प्रमुख बाधाओं में एक है, राजनीति का अपराधीकरण या अपराधियों का राजनीतिकरण भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन संगठन की संस्थापक नाईस हसन का मानना है कि महिलाओं के मुद्दे सभी वर्ग में एक से हैं चाहे वह मुस्लिम हो, हिंदू हो या किसी और वर्ग की हो। मुस्लिम समुदाय में नेतृत्व की कमी है। इस समुदाय में केवल महिलाओं को मजहब के दायरे में ही बांधकर देखा जाता है। उन्हें घर के बाहर निकलने की इज़ाज़त नहीं है। इनका मानना है कि अशिक्षा महिलाओं की प्रगति के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। शिक्षा से तात्पर्य डिग्रियां हासिल करना नहीं है, शिक्षा का अर्थ है– जानकारी। अपने आस-पास के वातावरण की जानकारी और खुद को समझने की क्षमता ही जुर्म के खिलाफ़ लड़ने का हथियार बनती है। यही जानकारी उसे अपनी पहचान दिलाने में भी सहायक होती है। गांधीजी ने कहा कि स्त्रियों के अधिकारों के सवाल पर मैं किसी तरह का समझौता स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी राय में उन पर ऐसा कोई कानूनी प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए जो पुरुषों पर न लगाया गया हो।

8 मार्च, 2010 को भारतीय महिलाओं ने दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां पाई। पहली थी सेना कमीशन में स्थायी नियुक्ति और दूसरा, चेन्नई से कोलंबो की एयर इंडिया की उड़ान सिर्फ़ महिलाओं ने उड़ाई जिसकी कैप्टन एम. दीपा तथा सह-पायलट सोनिया जैन थी।

राजनीति में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के मामले में भारत अपने पड़ोसी देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल से भी पीछे है। यह जानकारी 100वें अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) द्वारा पेश की गई एक अहम रिपोर्ट में दी गई। यह रिपोर्ट एशिया और प्रशांत क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति पर केंद्रित है।

यूएनडीपी के स्थानीय प्रतिनिधि पेट्रिस कोउर बिजॉट ने कहा कि भारत में महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व मिलता है और उन्हें संवैधानिक अधिकार भी प्राप्त है, लेकिन इसके साथ वह हिंसा और उपेक्षा की शिकार भी हैं। भारत में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए हमें उन्हें राजनीति में अधिक प्रतिनिधित्व देना होगा।

भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष का कथन उपयुक्त है कि हम वक्त के ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां महिलाओं के सशक्तीकरण को हमारे विकास के एजेंडों तथा नीति के एक अहम अंग के रूप में प्राथमिकता देने की ज़रूरत है। महिलाओं की रक्षा और कल्याण के लिए तमाम कानून हैं लेकिन इन्हें प्रभावी बनाने के लिए अक्षरशः लागू करना ज़रूरी है। इसके लिए समाज की मानसिकता बदलनी होगी। महिलाओं के हितों की रक्षा व उनका सशक्तीकरण हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।

गांधीजी ने भी महसूस किया और कहा कि मैं स्त्री-पुरुष की समानता में विश्वास रखता हूं इसलिए स्त्रियों के लिए मैं उन्हीं अधिकारों की कल्पना कर सकता हूं जो पुरुषों को प्राप्त है। आज यदि समाज महिलाओं की सामाजिक समानता के हक़ की बात सुनने को तैयार हुआ है तो यह महिलाओं के पक्ष में उभरती आवाज़ से आई नारी चेतना का परिणाम है। महिलाओं की वोट देने तथा देश की राजनीति और पंचायतों में हिस्सेदारी करने का अधिकार भी इसी ताक़त के आधार पर मिला है महिलाओं के आरक्षण का मुद्दा कोई नया नहीं है। 1909 में मिंटो-मोरले राजनीतिक सुधार के अंतर्गत अंग्रेज़ों द्वारा मुस्लिमों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण करने का प्रयास किया गया था। पुनः 1932 में कम्युनल अवार्ड के तहत 17 संप्रदायों को आधार बनाकर जिसमें हिंदू, भारतीय यहूदी, सिक्ख, यूरोपीय, दलित तथा महिलाएं शामिल थीं, आरक्षण देने का प्रावधान किया गया। दूसरी ओर मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई, एंग्लो इंडियन महिलाओं को अलग से राजनीतिक आरक्षण देने का सुझाव भी रखा गया है। राजनीतिक सुधारों के इस पहले भाग में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन की नींव रखी गई, जबकि सुधार के दूसरे हिस्से यानी महिलाओं में आरक्षण के मुद्दे

को विरोध किए जाने पर उसी समय ख़ारिज कर दिया गया। आज़ादी के बाद भी महिलाओं को राजनीति में आरक्षण देने की मांग विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा दबी आवाज़ में उठाई गई परंतु कोई ठोस प्रस्ताव सामने न आने की वज़ह से महिला आरक्षण का मुद्दा बार-बार अपनी पृष्ठभूमि में चला जाता है। पृष्ठभूमि में जाने से इस महत्वपूर्ण विधेयक को रोकने की ज़रूरत है, इस पर गहन विमर्श कर वर्तमान आरक्षण पद्धति को समाप्त कर महिला आरक्षण में आरक्षण का प्रावधान किया जाना नितांत आवश्यक है।

महिला सशक्तीकरण वर्ष 2001 के बाद लगभग दो दशक के बाद भी हम काफी पीछे हैं। हां कुछ मामलों में प्रगति ज़रूर दिखाई दी जैसे- पंचायतों और नगर-निकायों में 50 प्रतिशत महिला आरक्षण। पंचायती राज संस्था, जो ज़मीनी लोकतांत्रिक ढांचे का निर्माण करती है, में महिलाओं की भागीदारी में ग्रामीण संरचना को सकारात्मक की दिशा में बढ़ाया है। महिलाओं को पंचायत के माध्यम से विकास प्रक्रियाओं एवं निर्णय लेने की प्रक्रिया में सहभागिता एक ओर सामाजिक, राजनीतिक न्याय तथा समानता के मध्य संबंधों को अभिव्यक्त करती है तथा दूसरी ओर लोकतांत्रिक जड़ों को मज़बूत करती है, साथ ही महिलाएं वित्तीय संसाधनों का उचित प्रयोग करती हैं। अपनी इस क्षमता का उपयोग उन्होंने गांवों के वित्तीय संसाधनों को नियंत्रित करने में किया है। जहां महिलाएं पंच व सरपंच हैं वहां उन्होंने पानी, सड़क व शिक्षा के लिए प्रस्तावित बजट से कम में ही कार्य को पूर्ण कर दिखाया है। ऐसा भी नहीं है कि यह सारे कार्य उन्होंने सहजता से कर दिखाया है इनके मार्ग में भी अनेक बाधाएं आईं और आ रही हैं। परंतु अनुभव और आत्मविश्वास उन बाधाओं को पार करने के रास्ते खोज लेता है।

पुरुष-सत्तात्मक समाज में महिला के नेतृत्व को स्वीकार कर पाना आसान नहीं है और यही कारण रहा कि येन-केन-प्रकारेण महिला सरपंचों को अविश्वास प्रस्ताव पारित कर हटाने के प्रयास भी किए गए। इस समस्या से निपटने के लिए वर्ष 2008 के मध्य में केंद्र सरकार ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि महिला सरपंचों को डेढ़ साल से पहले अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से न हटाया जाए। सरकार द्वारा उठाया गया क़दम न केवल महिला नेतृत्व की स्वीकारोक्ति का प्रमाण है अपितु विश्वास का प्रतीक भी है जोकि महिला नेताओं पर किया गया है। पर दुख की बात यह है कि इस विश्वास का अभाव राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक मंच पर है। गांधीजी के शब्दों में, जो राष्ट्र अमर्यादित त्याग और बलिदान करने की क्षमता रखता है, वही अमर्यादित ऊंचाई तक उठने की क्षमता रखता है। बलिदान जितना अधिक शुद्ध होगा, प्रगति उतनी ही तेज़ होगी।

राजनीतिक नेतृत्व महिलाओं के विकास से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है इसलिए आवश्यकता है कि राजनीतिक दल और उनसे संबद्ध संगठन अपनी पुनर्रचना करें जहां महिलाओं के प्रति ज्यादा संवेदनशीलता और जबावदेही हो। हमें इस सत्य को स्वीकार करना होगा कि विधायिका में महिलाओं की संख्या न केवल लोकतांत्रिक प्रक्रिया को तीव्रता प्रदान करेगी बल्कि, लैंगिक समानता और न्याय के प्रति प्रतिबद्ध समाज का निर्माण भी करेगी। ❑

(लेखक गोरखपुर विश्वविद्यालय में इतिहास के शोध छात्र हैं।

ई-मेल : ajaykumarsingh0@gmail.com)

भारत इन्स्टीट्यूट
For civil services

सामान्य अध्ययन
CSAT
D. Chandra
S. Tripathi & Team

दिल्ली केन्द्र ← Work Shop → इलाहाबाद केन्द्र

I st Batch
5 June 9 a.m.

I st Batch
14 June 9.30 a.m.

II nd Batch
26 June 6.30 p.m.

II nd Batch
3 July 5.30 p.m.

भूगोल
D. Chandra

आओ भूगोल को समझें → With → Concept
आओ भूगोल को सरल करें → by → Tricks
आओ भूगोल करके सीखें → Through → Maps

दिल्ली केन्द्र ◇ Work Shop ◇ इलाहाबाद केन्द्र

I st Batch
6 June 4 p.m.

I st Batch
15 June 7.30 a.m.

II nd Batch
27 June 11.30 a.m.

II nd Batch
6 July 3.30 p.m.

इतिहास
Satyam Tripathi

दिल्ली केन्द्र
I st Batch
16 June 4.00 a.m.

इलाहाबाद केन्द्र
I st Batch
20 June 7.30 a.m.

हमारी विशेषतायें

- G.S. में प्रतिदिन 4 पेज करेन्ट अफेयर्स जो मुख्य परीक्षा हेतु राम बाण है।
- प्रत्येक छात्र की फाइल बनाकर उसकी प्रतिभा एवं क्षमता के अनुरूप छात्र का विकास कराया जाता है।
- मुख्य परीक्षा के प्रत्येक टॉपिक पर प्रिंटेड नोट्स उपलब्ध।
- प्राचार्य हेतु वैज्ञानिक ढंग से विकसित नोट्स उन छात्रों के लिए जो क्लास कार्यक्रम में भाग नहीं ले पाते।

दिल्ली केन्द्र - Ist फ्लोर बिल्डिंग नं. ए-7 कामर्शियल कॉम्पलेक्स डॉ0 मुखर्जी नगर दिल्ली-9
9555539144, 7503889922
इलाहाबाद केन्द्र - 850, यूनिवर्सिटी रोड, साइंस फेकेल्टी के सामने (ज्ञान भारती के बगल में) कटरा इलाहाबाद
8005322310, 9450808484

YH-34/2012

CHRONICLE IAS ACADEMY

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल की पहल

IAS

15 विशेषज्ञों की टीम के साथ

सामान्य अध्ययन

20 जून

बैच प्रारंभ

सत्र प्रारम्भ

15 जून

समाजशास्त्र

डॉ. सुरेन्द्र कुमार सिंह

नामांकन जारी

visit: chronicleias.com

Reach us

2nd floor, 2520, Hudson Lane,
Vijay Nagar Chowk, Near GTB Nagar
Metro Station, New Delhi-9

Call: 09582263947, 09953120676

सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल

22 वर्षों से सफलता का मार्गदर्शक

YH-30/2012

अपराध एवं कानूनी संरक्षण

● मनीष कुमार चौबे

महिलाओं के प्रति किए जा रहे अपराध की समस्या राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं अपितु अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सभ्य राष्ट्रों के बीच एक बहस का मुद्दा बना हुआ है। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक संपन्नता प्राप्त करते हुए स्वतंत्रता एवं समानता के अधिकारों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा कर ही समरस समाज की स्थापना की जा सकती है। प्राचीन समाज से लेकर आधुनिक समाज में महिलाओं की स्थिति बड़ी विवादास्पद रही है। कभी स्त्रियों का दाह, कभी स्त्रियों को द्यूत में दांव पर लगाना तथा कभी उनकी अग्नि परीक्षा! ये सभी पहलू तत्कालीन समाज में नारियों की स्थिति का आईना हैं वहीं दूसरी ओर *यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता:* जैसी उक्ति हमें प्राचीन समाज में नारियों की प्रतिष्ठित अवस्था का भी बोध कराती है। समाज चाहे प्राचीन हो या आधुनिक, सभी सामाजिक व्यवस्थाओं में पुरुष प्रधान समाज की स्थापना यह प्रदर्शित करती है कि महिलाओं को वास्तव में जो सम्मान या उपलब्धि समाज में मिलनी चाहिए वह अभी तक नहीं मिल सकी है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान निर्माता नारियों के अधिकार के प्रति अधिक सचेत रहे हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ही सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता सभी नागरिकों को प्रदान करने की बात कही गई है। भारतीय संविधान सभी नागरिकों को समान रूप से कुछ अधिकार प्रदान करता है, वे हैं, समता, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का निषेध, महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष उपबंध हेतु प्रावधान, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मानव व्यापार और बलात श्रम का निषेध, पुरुष और स्त्री को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन का अधिकार, पुरुष और स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके अतिरिक्त महिलाओं को कुछ कानूनी उपबंधों के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है। ये हैं- न्यूनतम मज़दूरी अधिनियम 1948, विशेष विवाह अधिनियम 1954, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम 1956, दहेज निषेध अधिनियम 1961, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, पारिवारिक न्यायालय अधिनियम 1984, स्त्री अशिष्ट रूपण (निषेध) अधिनियम 1986, सती प्रथा (निवारण) अधिनियम 1987, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990, महिला कर्मकार अधिनियम 1993 एवं घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 आदि भारतीय समाज में महिलाओं को उपर्युक्त संरक्षण विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत प्रदान तो कर दिया गया है परंतु फिर भी समाज में वह अपने आपको उपेक्षित एवं असहाय महसूस कर रही हैं। आंकड़े एवं सर्वेक्षण यह स्पष्ट कर रहे हैं कि दिन-प्रतिदिन महिलाओं के विरुद्ध किए जा रहे अपराधों में वृद्धि हो रही है। महिलाओं के प्रति मुख्य रूप से भ्रूण हत्या, दहेज मृत्यु, बलात्कार, अपहरण, आनर किलिंग आदि अपराध आम हैं। पिछले 50 वर्षों से अपराधों का ग्राफ निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। महिलाओं के प्रति किए जा रहे अपराधों में निरंतर वृद्धि आगे दो रेखाचित्रों में देखी जा सकती है।

महिलाओं के प्रति अपराध

महिलाओं के प्रति किए जा रहे अपराधों का अध्ययन निम्नांकित शीर्षकों के अंतर्गत देखा जा सकता है:

- **भ्रूणहत्या/गर्भपात :** महिलाओं के विरुद्ध किए गए अपराधों में भ्रूणहत्या एक ऐसा अपराध है जिसके कारण भारत में स्त्री व पुरुष के लिंगानुपात में असंतुलन की स्थिति बनी हुई है, जिससे समाज में अस्थिरता का ख़तरा बना हुआ है। इस अपराध का व्यापक दुष्प्रभाव हरियाणा, दिल्ली व पंजाब में देखा जा सकता है। जहां विगत वर्षों में स्त्री लिंगानुपात तेज़ी से गिरा है। भ्रूण हत्या रोकने के लिए जहां अलग-अलग राज्यों ने अपने स्तर से नियम बनाए हैं, वहीं दूसरी ओर भारतीय

रेखाचित्र-1

पंजीकृत संज्ञेय अपराधों का निरंतर बढ़ता हुआ ग्राफ (वर्ष 1953-2007

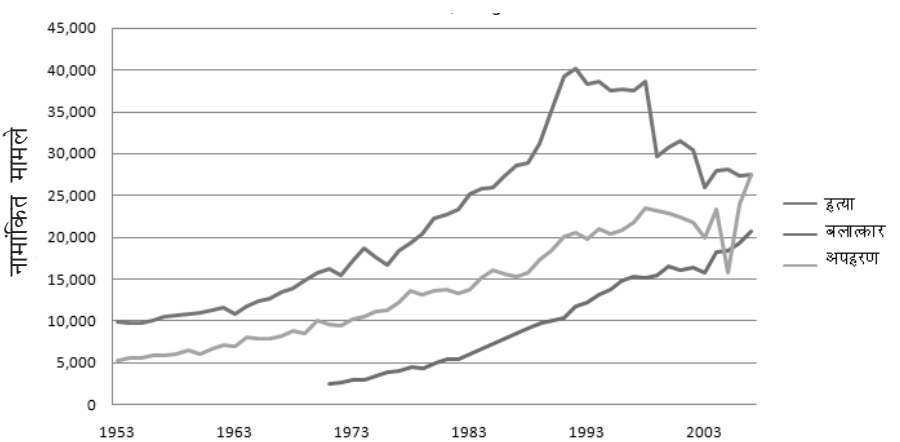

(नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के गत वर्षों की रिपोर्ट पर आधारित)

दंड संहिता, 1860 की धारा 312 से लेकर धारा 315 में गर्भपात कराने, शिशुओं को क्षति पहुंचाने व शिशु को जीवित पैदा होने से रोकने के संबंध में किए गए कृत्य को अपराध की कोटि में रखा गया है। भ्रूणहत्या व गर्भपात का ही परिणाम है कि समाज में स्त्री व पुरुष के बीच आनुपातिक रूप से लिंगानुपात में काफी अंतर देखने को मिल रहा है जो किसी भी समाज के लिए या राष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं है।

- **दहेज मृत्यु :** भारतीय समाज में दहेज के लिए की जाने वाली हत्या विकराल समस्या के रूप में अपनी जड़ें जमा चुका है। निरंतर दहेज मृत्यु के मामले में वृद्धि हो रही है। विगत कुछ वर्षों में दहेज हेतु नवविवाहित स्त्रियों को प्रताड़ित एवं तंग करने के मामलों के साथ-साथ उनकी हत्या संबंधित अनेक मामले प्रकाश में आए हैं। अतएव इस बढ़ती हुई सामाजिक बुराई पर प्रभावकारी अंकुश लगाने हेतु भारतीय दंड संहिता, 1860 में आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम (अधिनियम संख्या 43), 1986 द्वारा एक धारा-304ख जोड़ी गई है। इस धारा के अंतर्गत यह प्रावधान है कि किसी स्त्री के पति अथवा संबंधियों द्वारा दहेज लेने के लिए की गई हत्या साबित होने पर उन्हें दंडित किया जाता है। इस अपराध हेतु कम से कम 7 वर्ष का कारावास व अधिक से अधिक आजीवन कारावास तक हो सकता है।
- **ऑनर कीलिंग :** ऑनर कीलिंग अर्थात सम्मान की खातिर की गई हत्या वह हत्या है जिसमें किसी परिवार, वंश या समुदाय के किसी सदस्य की हत्या उसी परिवार, वंश, समुदाय व्यक्ति द्वारा कर दी जाती है। हत्यारे इस विश्वास के साथ हत्या को अंजाम देते हैं कि मरने वाले सदस्य के कृत्यों के कारण उस परिवार, वंश या समुदाय का अपमान हुआ है। आमतौर पर इस प्रकार के अपराध का शिकार स्त्रियां ही होती हैं। सम्मान के लिए किसी महिला की हत्या महिलाओं के प्रति गंभीर अपराध हैं तथा मानवाधिकार व स्वतंत्रता का खुला उल्लंघन है। अंतरजातीय विवाह व धार्मिक चिंताओं तथा सगोत्री विवाह के कारण महिलाओं की हत्या का दुष्कृत्य दिन-प्रतिदिन एक सनसनी खेज मामले के रूप में सामने आ रहा है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आधुनिक मानव समाज बर्बरता की ओर अग्रसर हो रहा है। हरियाणा, पंजाब व उत्तर प्रदेश के अनेक इलाक़ों में खाप (जाति) पंचायतें सक्रिय रूप से कार्यरत हैं। इन खाप पंचायतों के कारण ऑनर कीलिंग के मामले तेज़ी से बढ़े हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने ऑनर कीलिंग के नाम पर की जाने वाली हत्या को काफी गंभीरता से लिया है और उसे समाज के प्रति गंभीर अपराध माना है।
- **अपहरण/व्यपहरण:** अपहरण व व्यपहरण के मामले महिलाओं के साथ बहुधा होते हैं। व्यपहरण का तात्पर्य है किसी व्यक्ति को उसकी या उसकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति की सम्मति के बिना देश की सीमाओं से परे प्रवहण। इसकी शिकार प्राय: महिलाएं और बच्चे होते हैं। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट यह प्रदर्शित करती है कि अपहरण एवं व्यपहरण के मामले वर्ष 2004 में 15,578, 2005 में 15,750, 2006 में 17,414, 2007 में 20,416 दर्ज़ किए गए। इन मामलों में निरंतर वृद्धि हो रही है। अत: यह कहा जा सकता है कि इन अपराधों के प्रति ज्यादा सचेत रहने की आवश्यकता है।
- **हत्या एवं बलात्कार:** हत्या व बलात्कार ऐसे अपराध हैं जिनकी शिकार प्राय: महिलाएं होती हैं। विगत दस वर्षों के राष्ट्रीय आपराधिक आंकड़ों का विश्लेषण करें तो यह तथ्यपरक बात देखी जा सकती है कि महिलाओं के प्रति हत्या व बलात्कार के मामलों में तेज़ी से वृद्धि हुई है। वास्तव में हत्या से ज्यादा दुष्प्रभाव बलात्कार से पीड़ित महिलाओं का होता है क्योंकि जब महिला की हत्या कर दी जाती है तो उसके जीवन का वहीं अंत हो जाता है। सोचने, समझने या जानने के लिए कोई चीज़ नहीं बचती, लेकिन बलात्कार महिलाओं के प्रति किया गया एक ऐसा अपराध है जिसके दंश को वह जीवनभर झेलती है एक ओर आत्म ग्लानि, दूसरी ओर सामाजिक प्रतिष्ठा का ह्रास उसे आजन्म पंगु बना देता है। अभी हाल ही में मुंबई की एक प्रतिष्ठित अस्पताल की महिला नर्स ने सर्वोच्च न्यायालय से इच्छामृत्यु की मांग कर सबको चौंका दिया था। वह महिला नर्स (अरुणा सानबाग) बलात्कार से पीड़ित है तथा पिछले 37 वर्षों से बिस्तर पर पड़ी है। ऐसे दर्दनाक व मार्मिक मामले एक-दो नहीं अपितु बड़ी संख्या में समाज में विद्यमान हैं। भारतीय न्यायपालिका ने महिलाओं के प्रति किए जा रहे हत्या व बलात्कार के मामलों को गंभीरता से लिया है। ऐसे आरोपियों को मृत्युदंड देने तथा मामले की सुनवाई यथासंभव महिला न्यायाधीश द्वारा करने की व्यवस्था की है।

(शेषांश पृष्ठ 54 पर)

रेखाचित्र-2

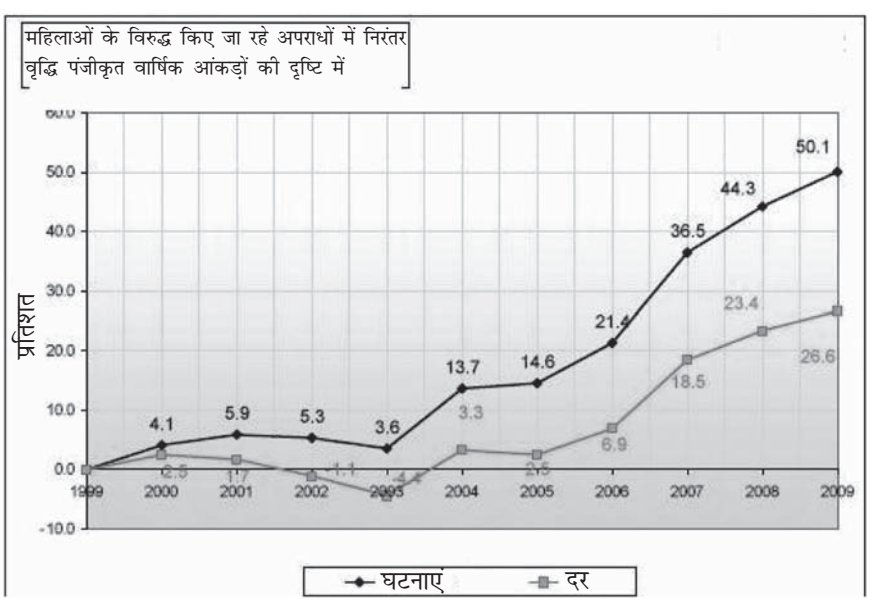

स्त्री अधिकारिता और कानून

● जी. आर. वर्मा

● **मानवीय अधिकार**

स्त्री-पुरुष के समान अधिकारों को निर्धारित करने वाला प्रथम अंतरराष्ट्रीय प्रयास संयुक्त राष्ट्र संघ की नियमावली है। इस नियमावली में कहा गया है कि समस्त मानव जाति को जन्म से समान प्रतिष्ठा और अधिकार प्राप्त हैं। सभी स्त्री-पुरुषों को बिना किसी भेदभाव के समान स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होने चाहिए। संघ के सदस्य देशों से यह अपेक्षा की गई कि वे सभी स्त्री-पुरुषों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों से आश्वस्त करें। स्त्रियों के प्रति भेदभाव को समान अधिकार और मानव प्रतिष्ठा का उल्लंघन माना गया।

● **सामाजिक अधिकार**

समाज में स्त्रियों की स्थिति को सशक्त बनाने के लिए उन्हें कई वैवाहिक, प्रसूति, गर्भपात, दहेज, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, अशिष्ट विज्ञापन तथा यौन अपराध संबंधी अधिकार कानून द्वारा प्रदान किए गए हैं। इनका संक्षिप्त वर्णन इस प्रकार है :

– **विवाह अधिकार :** स्त्रियों को बिना किसी जाति, धर्म और राष्ट्रीयता के भेदभाव के विवाह करने व परिवार संगठन का अधिकार दिया गया।

– **तलाक का अधिकार :** स्त्री-पुरुष का वैवाहिक जीवन जब कष्टप्रद हो जाए तो प्रत्येक स्त्री को तलाक लेकर वैवाहिक बंधनों को तोड़ने का अधिकार दिया गया। अल्पवयस्कता में किसी स्त्री को यदि विवाह के लिए मज़बूर किया जाता है तो वह उसे अस्वीकार कर सकती है।

– **मुआवज़े का अधिकार :** मुस्लिम स्त्रियों के अतिरिक्त सभी स्त्रियों को तलाक के बाद मुआवज़ा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है।

– **मातृत्व का अधिकार :** किसी भी विवाहित या अविवाहित स्त्री को शिशु को जन्म देने के लिए एवं गर्भपात के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। कोई भी स्त्री पति की स्वीकृति के बिना वाजिब कारणों से गर्भपात करा सकती है।

– **दहेज प्रतिरोध अधिनियम :** दहेज प्रथा को रोकने के लिए दहेज प्रतिरोध अधिनियम, 1961 लागू किया गया जिसमें दहेज लेना व देना आईपीसी की धारा 304 ख, 498क तथा साक्ष्य अधिनियम की धारा 113अ तथा ब के अंतर्गत दंडनीय अपराध है।

– **घरेलू हिंसा संबंधी अधिनियम :** घरेलू हिंसा (महिला संरक्षण कानून) परिवार में किसी भी रूप में साथ रह रही स्त्रियों को पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक व शारीरिक संरक्षण प्रदान करता है।

– **अशिष्ट रूपण प्रतिरोध अधिनियम :** आईपीसी की धारा 292 से 294 में स्त्रियों के विरुद्ध अश्लीलता संबंधी अपराधों से बचाव का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार विज्ञापनों, प्रकाशनों, रेखाचित्रों आदि के माध्यम से स्त्रियों के अशिष्ट रूपण प्रतिरोध अधिनियम, 1987 का प्रावधान किया गया है जिसके अंतर्गत अपराधी को बिना वारंट गिरफ्तार किया जा सकता है।

– **बाल-विवाह अवरोधक अधिनियम :** बाल-विवाह को रोकने के लिए बाल-विवाह अवरोधक अधिनियम (शारदा एक्ट), 1978 का प्रावधान किया गया है।

– **दांपत्य एवं परिवार संबंधी विवाद :** ऐसे विवादों को निपटाने के लिए पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 लागू किया गया है।

– **बच्चे का अधिकार :** स्त्रियों को यह अधिकार दिया गया है कि विवाह विच्छेद के मामलों में वह 5 वर्ष तक के बच्चों को अपने पास रख सकती है।

– **हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 :** इस अधिनियम की धारा 25 तथा आईपीसी 125 के अनुसार प्रत्येक स्त्री न्यायालय से भरण-पोषण की मांग कर सकती है।

– **प्रसूति सुविधा अधिनियम :** इस अधिनियम के अनुसार प्रत्येक स्त्री को प्रसव तथा नवजात शिशु की सुरक्षा के लिए सवैतनिक अवकाश देने का प्रावधान है।

– **विशेष विवाह अधिनियम, 1954 :** इस अधिनियम के अनुसार स्वस्थ व बालिग स्त्रियां अपनी इच्छा से प्रेम विवाह या अंतरजातीय विवाह कर सकती हैं बशर्ते कि जिससे वह विवाह कर रही है वह बालिग, स्वस्थ मस्तिष्क वाला हो तथा उसकी पूर्व पत्नी जीवित न हो।

– **प्रसव पूर्व तक़नीक निवारण अधिनियम, 1994 :** इस अधिनियम की धारा 312 से 318 का उल्लंघन करने पर डॉक्टर को 5 वर्ष की सजा व 50 हज़ार रुपये जुर्माना का प्रावधान किया गया है।

– **चिकित्सकीय गर्भ समापन कानून, 1971:** इसके अनुसार, स्त्रियों को अनचाहे गर्भ से छुटकारा पाने की अनुमति दी गई है।

● **आर्थिक अधिकार**

– स्त्रियों को किसी भी व्यवसाय को अपनाने तथा जीविकोपार्जन का अधिकार दिया गया है।

– स्त्रियों को बेरोज़गारी की स्थिति में सुरक्षा की मांग का अधिकार दिया गया है।

– स्त्रियां अपने काम के अनुरूप वेतन की मांग कर सकती हैं तथा वे एक समान कार्य के लिए पुरुषों के बराबर वेतन की मांग कर सकती हैं।

– स्त्रियों को रात्रि में कार्य पर नहीं बुलाया जा सकता।

– हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1955 में स्त्रियों को संपत्ति में व्यापक अधिकार

दिए गए हैं। स्त्रियों को अपना स्त्री धन स्वेच्छा से ख़र्च करने व अपने माता-पिता व पूर्वजों की संपत्ति में हिस्सा पाने का अधिकार दिया गया है।

– परिवार के मुखिया के निधन के पश्चात यदि मकान किराये का है, तो उसमें रह रहे परिवार के सभी सदस्यों को उसी मकान में रहने का अधिकार है। तलाक के बाद स्त्री अपने पिता के मकान में रह सकती है चाहे वह किराये का क्यों न हो। विधवा को अपने ससुराल में बने रहने का उतना ही हक़ है जितना कि उसके पति के जीवित रहते था।

- **राजनीतिक अधिकार**

– देश की संसद और विधान सभाओं में स्त्रियों को एक तिहाई यानी 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का विधेयक लाया गया है। हालांकि पंचायतों और स्थानीय निकायों में यह व्यवस्था एक दशक पूर्व से ही प्रभावी है।

– स्त्रियों को केवल सूर्योदय व सूर्यास्त के बीच महिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर महिला कक्ष में ही रखा जा सकता है।

– स्त्रियों को पूछताछ के लिए थाने में नहीं बुलाया जा सकता।

- **यौन अपराध संबंधी अधिकार**

स्त्रियों की लज्जा भंग करना, हाथ पकड़ना व परिधानों को छेड़ना आईपीसी धारा 354 तथा 509 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है।

– यौन अपराध संबंधी कानून– आईपीसी की धारा 375, 376 तथा 417 में यौन अपराधी को दंड देने का प्रावधान है।

– वेश्यावृत्ति संशोधन अधिनियम, 1986– के द्वारा देह व्यापार पर अंकुश लगाया गया है।

– अब 15 वर्ष की आयु से कम उम्र की पत्नी के साथ संबंध बनाने को भी बलात्कार माना गया है। बलात्कार का प्रयास, शारीरिक स्पर्श आदि को भी आईपीसी की धारा 351 के अंतर्गत दंडनीय अपराध माना गया है।

- **अन्य अधिकार**

– देश में सती प्रथा को रोकने के लिए सती निषेध अधिनियम, 1986 लागू किया गया है। स्त्रियां विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के अंतर्गत विधिक सहायता पाने की अधिकारी हैं। संतान अपनी माता के नाम से भी जानी जाएगी। स्त्रियों को उनके अधिकार दिलाने हेतु राष्ट्रीय व राज्य महिला आयोग का गठन किया गया है। ❑

(लेखक कॉलेज के पूर्व प्राचार्य हैं)

(पृष्ठ 52 का शेषांश)

- **कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न:** कामकाजी महिलाओं का यौन उत्पीड़न की कोई निश्चित परिभाषा भारतीय दंड संहिता में नहीं की गई है। दंड संहिता अश्लील कार्य व गाने, स्त्री की लज्जा भंग व स्त्री की लज्जा का अनादर को आपराधिक कृत्य घोषित करता है, यद्यपि इन सभी कृत्यों का यौन उत्पीड़न से प्रत्यक्ष संबंध है, परंतु आज के परिवेश में तमाम ऐसे कार्य हैं जो इसकी परिधि को और भी व्यापक कर रहे हैं। यही कारण है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य के मामले में न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने यौन उत्पीड़न को परिभाषित करते हुए कहा– यौन उत्पीड़न में प्रत्यक्ष या संकेत रूप से प्रदर्शित सारे अवांछित यौन व्यवहार आते हैं जो (क) शारीरिक संपर्क या संकेतों, (ख) यौन कार्य की याचना या अनुरोध, (ग) यौन सूचक टिप्पणियां, (घ) अश्लील साहित्य दिखाना, (ड.) अन्य अवांछित, शारीरिक या गैर-शाब्दिक यौनजनित व्यवहार के रूप में व्यक्त किए गए हों। इनमें से कोई भी व्यवहार ऐसी परिस्थितियों में किए गए हैं जहां महिला, चाहे वह सरकारी, सार्वजनिक या निजी उद्यम में वेतन, मानदेय या स्वेच्छा से काम कर रही हो, को यह डर हो सकता है कि उसके काम के संदर्भ में ऐसे व्यवहार अपमानजनक तथा उसके स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए ख़तरा बन सकते हैं या महिला के लिए यह विश्वास करने का आधार विद्यमान है कि उसका अस्वीकार (यौन उत्पीड़न में) उसके काम (बहाली सहित) प्रोन्नति को प्रभावित कर सकता है या कार्यस्थल पर एक शत्रुतापूर्ण वातावरण का निर्माण कर सकता है या यदि महिला उस अपेक्षा का पालन नहीं करती है या अस्वीकार करती है तो उसे बुरे परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। वस्तुत: नारी अपनी अस्मिता एवं सम्मान के प्रति इतनी संवेदनशील होती है कि क़दम-क़दम पर उसे तत्कालीन परिस्थितियों से समझौता करना पड़ता है। पारिवारिक जिम्मेदारी, सम्मान की चिंता, अपमान का भय, सामाजिक तिरस्कार की ग्लानि कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से वे अपने साथ हुई प्रत्येक दुर्व्यवहारों एवं यौन उत्पीड़न को आंख बंदकर सह लेती हैं। इसका दूसरा पक्ष इसके तत्काल पश्चात प्रारंभ हो जाता है और पुरुष प्रधान समाज एवं वातावरण महिलाओं की इस बेबसी का लाभ उठाने लगता है, जिसकी परिणति यौन उत्पीड़न के रूप में सामने आती है।

महिलाओं के हितों के रक्षार्थ सुझाव

महिलाओं के सुरक्षित हित एवं समाज में समान भागीदारी के लिए कुछ सुझाव दिए जा सकते हैं उन पर यदि अमल किया जाए तो जहां महिलाओं के प्रति किए जा रहे अपराध दर में कमी आएगी वहीं दूसरी ओर समाज में उनके हितों का भी संरक्षण किया जा सकेगा। सुझाव निम्न हैं : विवाह का अनिवार्य पंजीयन किया जाए, महिलाओं के प्रति की जा रही क्रूरता की परिभाषा को व्यापक किया जाए, भारतीय दंड संहिता में बलात्कार की दोषपूर्ण परिभाषा संशोधित की जाए, महिलाओं के प्रति किए जा रहे यौन उत्पीड़न की परिभाषा की परिधि बढ़ाते हुए इसे सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में संशोधित किया जाए, महिलाओं को संसद एवं विधानसभा में आरक्षण प्रदान किया जाए, शिक्षा पर बराबर पहुंच के सिद्धांत पर व्यावहारिक अमल किया जाए, महिलाओं एवं लड़कियों के विकास के लिए निवेश की व्यवस्था की जाए, महिलाओं के ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा रोकने के लिए संबंधित कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए तथा साथ ही साथ स्त्री-पुरुष समानता और सहस्राब्दिक विकास कार्यक्रम पर अमल किया जाए। ❑

(लेखक कानून के जानकार हैं)

पत्रिकाओं से झांकती शोध की नयी परिपाटी

● दिलीप खान

पत्रिका का नाम : जन मीडिया (हिंदी) और मास मीडिया (अंग्रेज़ी); **संपादक :** अनिल चमड़िया; **अवधि :** मासिक; **पृष्ठ सं. :** 32 (जून अंक से); **मूल्य :** ₹ 20; **संपर्क :** ए-4/5ए सेक्टर-18, रोहिणी, दिल्ली-110089; **ई-मेल :** janmedia.editor@gmail.com, massmedia.editor@gmail.com

भारतीय पत्र-पत्रिकाओं में संचार मीडिया अध्ययन से संबंधित गंभीर सामग्रियों के अकाल का इतिहास उतना ही पुराना है जितनी पुरानी यह विधा। अनुशासन विधा के तौर पर संचार/संप्रेषण ने भारत में लंबा सफर तय किया है लगभग 90 साल का। लेकिन संकट यह है कि इस दौरान जिन संस्थानों में स्वतंत्र विषय के तौर पर इसे पढ़ाने की शुरुआत हुई, वहां भी शोधकर्म परंपरा के तौर पर विकसित नहीं हो पाया। शोध हुआ और हो भी रहा है, लेकिन उनमें से ज्यादातर यूरोपीय और अमरीकी देशों में 60-70 साल पहले हो चुके शोधों की नकल हैं। अकादमिक संस्थानों के भीतर हो रहे शोध के साथ जो दूसरी दिक्कत है वह ये कि डिग्रियां दिलवाने में मददगार भूमिका निभाने के अतिरिक्त यह कोई और महत्वपूर्ण काम नहीं कर पा रहे हैं। पुस्तकालयों में शोध के पुलिंदे लगातार बढ़े हैं और उससे भी ज्यादा उन पर धूल।

ऐसी स्थिति में समाज के बड़े हिस्से के बीच मीडिया और संचार से संबंधित अवधारणाओं और दैनंदिन होने वाली घटनाओं को सैद्धांतिक रूप में पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है, साथ में शोध की पारंपरिक परिपाटी को तोड़ने की एक कवायद भी। अनिल चमड़िया के संपादन में आईं दो पत्रिकाएं *जन मीडिया* और *मास मीडिया* फिलहाल यह उम्मीद जगाती हैं कि भविष्य में वे इस नयी परिपाटी का वाहक बन सकें। हालांकि दोनों पत्रिकाएं अलग-अलग भाषाओं में हैं, जन मीडिया हिंदी में छपती है तो मास मीडिया अंग्रेज़ी में, लेकिन विषय-सामग्री के मद्देनज़र दोनों पत्रिकाओं के बीच साफ़ अंतर है। दोनों के तौर-तरीक़े ज़रूर एक से हैं। दोनों पत्रिकाओं में पहला लेख मीडिया और संप्रेषण से जुड़े किसी महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दे को अपने केंद्र में रखता है और विषय का सघन विवेचन करता है। 'शोध' नाम के इस कॉलम में मीडिया में दलित-आदिवासियों के निरुपण और उनके हिस्सेदारी वाले लेख को खासा तवज़्ज़ो मिली। इतिहास के सापेक्ष होने की जो बहस है उसका एक स्पष्ट प्रतिबिंबन इस लेख में देखने को मिलता है। 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों से लेकर पत्रकारिता के अब तक के सफ़र की दलित-आदिवासी नज़रिये से यह लेख गहरी पड़ताल करता है। ठीक इसी तरह पंजाब में 1980 के आस-पास सिख उग्रवाद के संदर्भ को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने किस तरह कवर किया और उस पूरे घटनाक्रम में मीडिया की भूमिका कैसी रही, इसका ऐतिहासिक और विषद विवरण पेश किया गया है। मनरेगा के विज्ञापन को जिन चैनलों पर प्रसारित किया गया, उससे मनरेगा का संदेश लक्षित वर्ग तक ठीक तरीक़े से पहुंच पाया कि नहीं, इसको लेकर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने एक अध्ययन करवाया था, जोकि इस संदर्भ में मंत्रालय के चुनाव को पूरी तरह गलत साबित करता है। जाहिर है यह अध्ययन मंत्रालय की चहारदीवारी से बाहर अबाध तौर पर नहीं पहुंच पाया। मास मीडिया और जन मीडिया में इस अध्ययन को जगह दिया जाना यह साबित करता है कि जनता से जुड़े मुद्दे को जनता के बीच पहुंचाना ही पत्रिकाओं का लक्ष्य है। आलेख का प्रकाशित या अप्रकाशित होना आलेख के चयन के वास्ते प्राथमिक शर्त नहीं है।

पत्रिकाओं का कलेवर उसकी जिल्द पर ही चस्पां है, जहां पत्रिका के नाम के नीचे साफ़ तौर पर लिखा है *हमारा समाज, हमारा शोध* । यह वाक्य एक तरह से यह इशारा भी करता है कि शोध की मौजूदा संरचना समाज के भीतर पूरी तरह पैबस्त नहीं है और कई बार आउटसाइडर की मानिंद जो शोध होते हैं उनमें गलतबयानी की आशंका

बनी रहती है। इससे भी ज्यादा इस वाक्य में यह अधिकारभाव छिपा है कि पत्रिका क्षेत्रीय भाषाओं में शोध करने वालों को एक माकूल मंच मुहैया करा रही है।

अब तक निकले दोनों अंक में जनशोध कॉलम के तहत किसी जरूरी समसामयिक विषय पर मीडिया प्रचलन की पड़ताल की गई है। मिसाल के तौर पर *जन मीडिया* के पहले अंक में आजमगढ़ के मीडिया ट्रायल को उभारा गया है तो दूसरे अंक में इजरायली दूतावास के पास हुए बम विस्फोट को विमर्श का प्रस्थान बिंदु मानते हुए मीडिया में खबरों की पुष्टिकरण में बीते दो दशक में आए बदलाव/भटकाव को रेखांकित किया गया है। यह कॉलम बेहद पठनीय है और एक तरह से समाज में मीडिया की गतिविधियों को सूत्रबद्ध तरीक़े से उजागर करता है।

शोध-सर्वे जब अकादमिक खांचे से बाहर निकलते हैं तो अमूर्त सैद्धांतिक बहसों से खुद को अलग कर समाज की हक़ीकत को नुमाया करते हैं। *जन मीडिया* और *मास मीडिया* के दोनों अंकों में जो सर्वेक्षण पेश किए गए हैं वे नये तरह के रहस्योद्घाटन करते हैं। अप्रैल अंक बयां करता है कि जिस ढोल-मुनादी के साथ दूरदर्शन ने उर्दू भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए डीडी उर्दू के नये चैनल शुरू किए थे, वे आधे दशक बाद ही किस अवस्था में पहुंच चुके हैं। मई का सर्वेक्षण कहीं ज्यादा विषद और गहरी सामाजिक सच्चाई को हमारे बीच पेश करता है। मीडिया और मीडिया के साथ-साथ पूरे सामाजिक संरचना में महिलाओं की हिस्सेदारी की जर्जर अवस्था की यह पोल-पट्टी खोलता है। यह पत्रकारिता में महिलाओं की भागीदारी पर किया गया शायद देश का सबसे बृहद सर्वेक्षण है। इस सर्वे में बताया गया है कि देश में जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त महिला पत्रकारों की संख्या बेहद कम है- सिर्फ़ 2.70 फ़ीसदी। किसी ऐसी पत्रिका के लिए जिसके पास पूंजी के विशाल स्रोत न हों, हर अंक में ऐसे सर्वेक्षण प्रस्तुत करना चुनौती भरा काम है, लेकिन इस मामले में पत्रिका को मीडिया स्टडीज़ ग्रुप का बराबर का साथ मिल रहा है। हालांकि पत्रिका से जुड़ा हरेक व्यक्ति मीडिया स्टडीज़ ग्रुप से भी जुड़ा है और यही वजह है कि शोध-उन्मुख सर्वेक्षण और विश्लेषण में पत्रिका अपनी चौहद्दी को लांघ पा रही है।

अंतरराष्ट्रीय मीडिया कॉलम के तहत हर बार दोनों ही पत्रिकाओं में एक नये देश के मीडिया के बारे में सूचनापरक लेख छापे जा रहे हैं। इसमें विश्लेषण से ज्यादा सूचना पर ज़ोर दिया गया है। खास बात यह है कि ये ऐसे देश हैं जिनके मीडिया को लेकर इस तरह की सूचनाएं इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध नहीं हैं। सऊदी अरब या फिर इराक को लेकर हमारे यहां राजनीतिक स्थिरता-अस्थिरता और पश्चिमी देशों के प्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेप के संबंध में ही ज्यादातर चर्चाएं होती हैं, लेकिन इन दोनों पत्रिकाओं में आप वहां के मीडिया की कार्यशैली और विचारधारा को जान पाएंगे। किसी भी देश की विचारधारा, राजनीति और समाज के बुनावट को देखने-समझने के लिए वहां के मीडिया को जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि हम जिस कालखंड में रह रहे हैं वहां मीडिया बेहद शक्तिशाली मुकाम पर पहुंचा हुआ है जिसकी भूमिका देश की राजनीति तय करने में काफी अहम है।

इस तरह दोनों पत्रिकाएं मौजूदा भारतीय समाज के भीतर की सामाजिक सच्चाई, मीडिया प्रचलन, मीडिया के व्यवहार, संप्रेषण की राजनीति से लेकर अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक बड़े कैनवास पर खुद को रखती है। लेकिन यह सिर्फ़ वर्तमान समय-समाज-मीडिया की ही तहकीकात नहीं करती बल्कि इतिहास के पन्नों में दर्ज़ महत्वपूर्ण दस्तावेज़ों को भी हमारे बीच पेश कर रही है। दस्तावेज़ नाम के कॉलम में मीडिया से संबंधित पुराने दस्तावेज़ों से पाठकों को रू-ब-रू कराया जाता है। पुस्तकालयों में कैद कुछ ऐसे सरकारी, गैर-सरकारी दस्तावेज़ हैं जो अपने समय के मीडिया पर गंभीर टिप्पणियों को समेटे हैं और कई बार तो कुछ ऐसे तथ्य और विश्लेषण उनमें देखने को मिलते हैं जो मौजूदा समय पर फिट बैठते हैं जिनको आज के जमाने के लेखक अपनी लेखनी में दर्ज़ करने के बाद यह समझते है कि उन्होंने बिल्कुल नयी और अलहदा बातें कह दी हैं। इस लिहाज़ से ये दस्तावेज़ अपने भीतर महत्वपूर्ण अर्थ समेटे हैं।

आमतौर पर भारतीय भाषाओं में होने वाले शोध लोगों तक नहीं पहुंच पाते। बहुत कम ऐसी पत्रिकाएं हैं जो शोधपरक लेखों को बढ़ावा देती हैं, खासकर मीडिया संबंधी शोध को। लेकिन इसका मतलब यह नहीं निकाला जा सकता कि हिंदी और अंग्रेज़ी के अतिरिक्त पंजाबी, उड़िया, गुजराती, बांग्ला या फिर मराठी में बेहतर शोध नहीं हुए हैं। हुए हैं, लेकिन लोगों की नज़रों में नहीं आ पाए। *जन मीडिया* और *मास मीडिया* इन भाषाओं में होने वाले शोध का अनुवाद कर पाठकों तक पहुंचाने का जो आश्वासन देती है, वह ज्ञान को भाषा की चंगुल से मुक्त करने में सहायक साबित होगी।

संक्षेप में कहें तो देश, काल और समाज को देखने का आलोचनात्मक नज़रिया इन दोनों पत्रिकाओं के केंद्र में है। इस तरह ये मुद्रित शब्द को अंतिम सच मान लेने वाले लोगों से नये सिरे से सवाल उठाने का आह्वान करती हैं, साथ ही पत्रिकाओं के जरिये ज्ञान-मीमांसा में पैबस्त यथास्थितिवाद और ठहराव को तोड़ने की सघन कोशिश करती दिखती हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो ज्ञान क्षेत्र में लोकतंत्र के दायरे को विस्तार देने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं ये दोनों पत्रिकाएं। शोध को अकादमिक संस्थान के दायरे से मुक्त करना शोध को समाज के ज़्यादा क़रीब पहुंचाना है और समाज में मौजूद वैज्ञानिक चेतना को विस्तार देने के लिए यह बेहद जरूरी है।

हां, पत्रिका की मोटाई को पठन की प्राथमिक शर्त मानने वाले लोगों को ये दोनों ही पत्रिकाएं निराश करेंगी। लेकिन कवर सहित 26-28 पेज की इन दोनों पत्रिकाओं में अकादमिक और गैर-अकादमिक विमर्श की खुराक पाठकों को जरूर मिलेगी। शोध आलेख में शोध के परंपरागत ढांचे को नहीं अपनाया गया है इसलिए पत्रिका के भीतर विशुद्ध अकादमिक संरचना वाले लेख की तलाश करने पहुंचे पाठक भी उदास हो सकते हैं। लेकिन शोध की जिस परिपाटी को पत्रिकाओं के सहारे रचा-बुना जा रहा है, अपने देश में ऐसे प्रयोग पहले ही हो जाने चाहिए थे। हालांकि पत्रिका के सिर्फ़ दो ही अंक अभी तक बाज़ार में आए हैं और ऐसी स्थिति में किसी निर्णयात्मक स्थिति तक पहुंचने को जल्दबाजी कहा जा सकता है, लेकिन जो इशारा दोनों पत्रिकाएं दे रही हैं, कम से कम उस बिना पर हम इससे बेहतरी की उम्मीद तो कर ही सकते हैं। ❑

(समीक्षक दिल्ली स्थित पत्रकार हैं)

(कवर II का शेषांश)

- **राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके):** आरएमके (महिलाओं हेतु राष्ट्रीय ऋण निधि) 31 करोड़ रुपये की आधारभूत निधि से 1993 में सृजित किया गया था। आरंभिक आधारभूत निधि 180 करोड़ रुपये से अधिक बढ़ गई है जिसमें ऋण के कारण आरक्षित और अधिशेष निवेश तथा वसूली प्रबंधन तथा 69 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बजटीय आवंटन शामिल है। आय सृजन से ही आरएमके ग़रीब महिलाओं के लिए असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म ऋण के प्रवाह की बढ़ोतरी हेतु राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तरों पर सूक्ष्म वित्त क्षेत्र की प्रमुखता से पैरवी करने वाला संगठन बन कर उभरा है। आजीविका संबंधी गतिविधियों हेतु ऋण उपलब्ध कराकर यह ग़रीब महिलाओं और उनकी अधिकारिता पर ध्यान केंद्रित करता है। आरएमके अर्द्ध-अनौपचारिक पद्धति से सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराता है, राज्यों में मध्यवर्ती सूक्ष्म ऋण संगठनों (आईएमओ) को उधार देता है। आरएमके ने सूक्ष्म-वित्तपोषण, बचत तथा ऋण, एसएचजी के स्थिरीकरण तथा ग़रीब महिलाओं के लिए उपक्रम विकास करते हुए भी कई उन्नतिकारक उपाय किए हैं। अपनी स्थापना से आरंभ कर 15 दिसंबर, 2011 तक आरएमके ने 315.32 करोड़ रुपये मूल्य के ऋण स्वीकृत किए तथा 6.94 लाख महिला लाभार्थियों को कवर करते हुए 260.23 करोड़ रुपये जारी किए।
- **माताओं के लिए स्वास्थ्य कार्यक्रम :** परिवार कल्याण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 1997-98 से आरसीएच कार्यक्रम एक अलग निकाय के रूप में शुरू किया गया। ग्यारहवीं योजना के दौरान इसे एनआरएचएम की परिधि के अंतर्गत लाया गया। पल्स पोलियो टीकाकरण तथा बच्चों को ऐसी घातक परिस्थितियों से सुरक्षा देने के लिए, जिनकी रोकथाम संभव है जैसे—क्षयरोग, डिप्थीरिया (गलघोंटू), परट्यूसिस, टेटनस, पोलियो तथा मिजल्स आदि के लिए सामान्य टीकाकरण के उपाय हैं।
- **जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) :** जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ ऐसे राज्यों और क्षेत्रों में संस्थागत सुविधाओं, जैसेकि प्रसव के लिए मांग संवर्धन हेतु किया गया जहां इनका अभाव है और इसमें प्रसव तथा प्रसव-पश्चात सुविधाओं के साथ नकद सहायता को जोड़ा जाता है। इसका लक्ष्य प्रसव प्रक्रिया कुशल परिचारिकाओं की देखभाल में संपन्न करा मातृ-मृत्युदर (एमएमआर) को कम करना है। जननी सुरक्षा योजना में पिछले तीन वर्षों के दौरान तेज़ी से प्रगति हुई है जिसके अंतर्गत 2008-09 में 90.37 लाख लाभार्थी तथा 2010-11 में 106.96 लाख लाभार्थी थे। जननी सुरक्षा योजना में अब प्रमुख बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में संचालन, पारदर्शिता और शिकायत निपटान तंत्र के मुद्दे शामिल हैं।
- **जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके) :** जेएसएसके एक नया प्रयास है। यह 1 जून, 2011 से प्रारंभ हुआ। इसमें गर्भवती महिलाओं तथा बीमार नवजात बच्चों को नकद भुगतान के बगैर प्रसव, सी-सेक्शन, दवाइयां तथा पथ्य, जांच, स्वास्थ्य संस्थानों में ठहरने के दौरान खुराक़, रक्त उपलब्ध कराना, उपयोगकर्त्ता प्रभारों से छूट, घर से स्वास्थ्य संस्थान हेतु परिवहन, जच्चा-बच्चा को स्थानांतरित करने के मामले में सुविधाओं में परिवहन तथा संस्थानों से घर वापस छोड़ने का प्रावधान है। 2011-12 के दौरान जेएसएसके के अंतर्गत राज्यों को 1,437 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। केंद्रित ध्यान के लिए 21 राज्यों में 264 उच्च ध्यान केंद्रित जिलों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी की सघनता तथा नक्सलियों की उपस्थिति के आधार पर कठिन, अगम्य, पिछड़े तथा कम स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर सेवाहीन क्षेत्रों की शिनाख़्त की गई है। माताओं की प्रसव-पूर्व व प्रसव-उपरांत जांच एवं टीकाकरण सेवाओं की प्रभावी निगरानी हेतु एक मातृ-शिशु ट्रैकिंग प्रणाली शुरू की गई है जिसमें माताओं के पते तथा टेलीफोन संख्या इत्यादि का पूरा आंकड़ा उपलब्ध होता है।

तालिका
स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना

सुविधाएं	सं.
उप-केंद्र/पीएचसी/सीएचसी* (2010)	175,277
सरकारी अस्पताल (ग्रामीण और शहरी)**	12,760
आयुष अस्पताल और डिस्पेंसरी	24,943
नर्सिंग कार्मिक (31.12.09)**	1,702,555
डॉक्टर (आधुनिक प्रणाली) (2010)**	816,629

स्रोत : *आरएचएस भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2010
**राष्ट्रीय स्वास्थ्य रूपरेखा, 2010

- **अन्य योजनाएं :** महिला और बाल विकास से संबंधित कुछ अन्य योजनाएं इस प्रकार हैं: (i) अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए पांच विनिर्दिष्ट अवयवों- रोकथाम, बचाव, पुनर्वास, पुनः एकीकरण तथा शिकारों का प्रत्यार्पण वाली उज्ज्वला योजना 4 दिसंबर, 2007 को प्रारंभ की गई थी। 2011-12 के दौरान जनवरी 2012 तक गैर-सरकारी संगठनों को 27 नयी योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई जिससे अनुमोदित परियोजनाओं की कुल संख्या 173 हो गई है। 2010-11 में इन योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वास केंद्रों की संख्या 75 के मुक़ाबले बढ़कर 86 हो गई जिससे अवैध व्यापार के 4,000 पीड़ितों की देखभाल और पुनर्वास हेतु क्षमता का सृजन हो गया। (ii) नागरिक अशांति वाले क्षेत्रों में बच्चों के संरक्षण के लिए बाल बंधु योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के माध्यम से किया जा रहा है जिसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुदान स्वीकृत किया गया है। (iii) स्वाधार गृह योजना : दो विद्यमान योजनाओं यथा—स्वाधार तथा लघु अवधि आवास गृह जोकि समान उद्देश्यों तथा समान लक्ष्य समूह हेतु चलाई जा रही हैं, को स्वाधार गृह योजना में मिला दिया गया है ताकि परिस्थितियों की मारी उन महिलाओं तक पहुंचा जा सके जिन्हें संस्थागत सहायता की आवश्यकता है ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकें। नयी योजना के अंतर्गत महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर तथा सामाजिक और शिक्षा, कौशल उन्नयन तथा व्यक्तित्व विकास द्वारा आर्थिक रूप से पुनर्वासित होने में सक्षम बनाने हेतु उन्हें भावनात्मक समर्थन तथा परामर्श दिया जाता है। प्रस्तावित योजना में देश के सभी 641 जिलों को कवर करना निहित है। ❑

प्रकाशक व मुद्रक के. गणेशन, महानिदेशक द्वारा प्रकाशन विभाग के लिए ब्रजबासी आर्ट प्रेस लिमिटेड, ई-46/11, ओखला औद्योगिक क्षेत्र, फेस-2, नयी दिल्ली-110 020 से मुद्रित एवं प्रकाशन विभाग, सूचना भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली-110 003 से प्रकाशित। वरिष्ठ संपादक : राकेशरेणु

रजि.सं.डीएल (एस)-05/3231/2012-14
Reg. No. D.L.(S)-05/3231/2012-14 at RMS, Delhi
26 मई, 2012 को प्रकाशित • 29-30 मई, 2012 को डाक द्वारा जारी

Licenced under U (DN)-55/2012-14
आर.एन.आई. 951/57
R.N.I. 951/57

प्रतियोगिता दर्पण

के अतिरिक्तांक

टॉपर्स की नजर में

➡ ....प्रतियोगिता दर्पण की अतिरिक्तांक सीरीज विषयों/विशिष्ट विषयों की पुस्तकों की सर्वश्रेष्ठ सीरीज है. यह परीक्षार्थियों के लिए अत्यन्त लाभप्रद है. प्रतियोगिता दर्पण के 'अर्थव्यवस्था' अतिरिक्तांक की संस्तुति मैं विशेष रूप से करता हूँ.

—अजय प्रकाश
सिविल सेवा परीक्षा, 2010 में 9वाँ स्थान

➡ ....मैंने प्रतियोगिता दर्पण के अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक का अध्ययन किया है जो मेरे लिए तैयारी के दौरान काफी उपयोगी साबित हुआ है.

—शिव सहाय अवस्थी
सिविल सेवा परीक्षा, 2010 में हिन्दी माध्यम से सर्वोच्च स्थान

➡ ....प्रतियोगिता दर्पण का भारतीय अर्थव्यवस्था अतिरिक्तांक तो मेरा पसंदीदा है. प्रारम्भिक और मुख्य दोनों परीक्षाओं के लिए मैं काफी हद तक इस पर निर्भर रहा हूँ. अन्य अतिरिक्तांक भी काफी उपयोगी हैं.

—राहुल कुमार
सिविल सेवा परीक्षा, 2010 में हिन्दी माध्यम से द्वितीय स्थान

➡ ....मुझे विशेष रूप से अर्थव्यवस्था के अतिरिक्तांक से बड़े स्तर पर फायदा पहुँचा है.

—मनोज कुमार
आर.ए.एस. परीक्षा, 2010 में सर्वोच्च स्थान

To purchase online log on to **www.pdgroup.in**

New Revised & Enlarged Editions

Series-1	Indian Economy (2012-13)	790	260.00
Series-2	Geography (India & World)	793	235.00
Series-3	Indian History	798	130.00
Series-4	Indian Polity & Governance	797	175.00
Series-6	General Science Vol. 1	814	95.00
Series-6	General Science Vol. 2	818	80.00
Series-7	Current Events Round-up	819	115.00
Series-12	Indian National Movement & Constitutional Development	812	95.00
Series-15	Indian History–Ancient India	804	130.00
Series-16	Indian History–Medieval India	806	140.00
Series-17	Indian History–Modern India	802	120.00
Series-19	New Reasoning Test	826	210.00
Series-22	Political Science	821	190.00
Series-23	Public Administration	824	175.00
Series-24	Commerce	805	230.00
प. सीरीज–1	भारतीय अर्थव्यवस्था (2012-13)	791	255.00
प. सीरीज–2	भूगोल (भारत एवं विश्व)	792	160.00
प. सीरीज–3	भारतीय इतिहास	795	130.00
प. सीरीज–4	भारतीय राजव्यवस्था एवं शासन	794	155.00
प. सीरीज–5	भारतीय कला एवं संस्कृति	796	115.00
प. सीरीज–6	सामान्य विज्ञान Vol. 1	829	95.00
प. सीरीज–6	सामान्य विज्ञान Vol. 2	830	95.00
प. सीरीज–7	समसामयिक घटनाचक्र	809	75.00
प. सीरीज–9	वस्तुनिष्ठ सामान्य हिन्दी	822	95.00
प. सीरीज–10	बौद्धिक एवं तर्कशक्ति परीक्षा	825	105.00
प. सीरीज–11	समाजशास्त्र	810	120.00
प. सीरीज–12	भारत का राष्ट्रीय आन्दोलन एवं संवैधानिक विकास	823	105.00
प. सीरीज–13	खेलकूद	828	145.00
प. सीरीज–14	कृषि विज्ञान	836	140.00
प. सीरीज–15	प्राचीन इतिहास	837	130.00
प. सीरीज–16	मध्यकालीन इतिहास	838	145.00
प. सीरीज–17	आधुनिक इतिहास	839	165.00
प. सीरीज–18	दर्शनशास्त्र	842	99.00
प. सीरीज–19	न्यू रीजनिंग टेस्ट	843	150.00
प. सीरीज–20	हिन्दी भाषा	860	110.00
प. सीरीज–21	संख्यात्मक अभियोग्यता	861	250.00
प. सीरीज–22	राजनीति विज्ञान	866	185.00
प. सीरीज–23	लोक प्रशासन	813	199.00
प. सीरीज–24	वाणिज्य	816	235.00

प्रतियोगिता दर्पण
2/11 ए, स्वदेशी बीमा नगर, आगरा – 282 002
फोन : 4053333, 2530966, 2531101; फैक्स (0562) 4053330
E-mail : care@pdgroup.in
ब्राँच ऑफिस : • नई दिल्ली फोन : 011-3251844/66 • हैदराबाद फोन : 040-66753330

YH-23/2012